राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३ तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ३० वां दिवस संख्या २३

दिनांक २८ मार्च, गुरुवार १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

[राजस्व, आबकारी एवं कर, पंचायत, शिक्षा, नियुक्ति, खनिज, सामान्य प्रशासन, उद्योग, योजना एवं मंत्री-मंडल—विभाग]

तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली तहसील में चकबन्दी का कार्य

६५०. श्री मोहनराज (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली तहसील में जारी चकबन्दी के कार्य के सम्पूर्ण होने की घोषणा कब तक कर दी जावेगी ?

(२) उक्त चकबन्दी के कार्य को लेकर कुल कितनी उज़रदारियां पाली तहसील में पेश हुई और कितनों का फैसला हो चुका है ?

(३) क्या नियमानुसार अथवा राज्य सरकार के आदेशानुसार एलॉटीज़ काश्तकारों को पास बुक्स मिलना आवश्यक है ?

(४) यदि हां, तो बूसी और हिंगन-खुरी ग्रामों के काश्तकारों को पास बुक्स अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ? और अब कब तक दी जा सकेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) ३० मई सन् १९६३ तक जा सकेगी ।

(२) ८८७ उजदारियां पेश हुई थी और उन सब का निर्णय फरवरी सन् १९६३ तक हो चुका है ।

(३) एलाटीज़ काश्तकारों को पास बुक देने का नियम भूमि एकीकरण नियमावली में नहीं है । मगर एलाटीज़ ज्यादा होने से महकमा एकीकरण से ऐसा कोई आदेश दिया गया है कि एलाटीज़ को पास बुक जिसमें एलाटीज़ के नाम, उसी हैसियत से दर्ज हो, दी जावें । जिन एलाटीज़ ने अपने एलाटमेंट-पत्र तस्दीक के समय व योजना से पूर्व तहसील से लाकर दर्ज करवा दिये थे उनको पास बुक बना कर दे दी गई है ।

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(४) ग्राम बूसी व हिरनाखुरी के जिन जिन एलाटीज ने अपने एलाटमेंट-पत्र वक्त तस्दीक व योजना से पूर्व पेश कर दिये उनको पास बुकें दे दी गई। दीगर काश्तकारों को जिन्होंने बाद में पेश किये उनको पास बुकें नहीं दी गई।

श्री मोहनराज : जिनको अभी तक पास बुक्स नहीं दी गई उनको शीघ्र से शीघ्र पास बुक मिले, उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन यह है कि पास बुक्स उन लोगों को दी जाती है जो जमीन के पानी का विभाजन करते हैं। उससे पहले अगर अलोटमेंट के पत्र तसदीक के समय व योजना से पूर्व तहसील से लाकर दर्ज करवा दिये थे उनको तो पास बुक दे दी गई। अगर यह सब कार्यवाही होने के बाद पास बुक के लिये आवेदन देता है तो पास बुक देने में असुविधा रहती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।
(अनुपस्थित)

तहसील हिन्डौन में भूमिहीन किसान

६५२. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील हिन्डौन में भूमिहीन किसान कुल कितने हैं और उन्हें भूमि देने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(२) भूमिहीनों को भूमि कब तक मिल सकेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) इस तहसील में भूमिहीनों की की संख्या १८९६ है। सरकार का विचार उन्हें भूमि देने का है।

(२) ६४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर कार्यवाही एडवाइजरी कमेटी द्वारा की जा रही है।

श्री श्रवणलाल : इस तहसील में कुल कितनी जमीन है बन्जर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस तहसील में जहां तक जमीन का सवाल है, बहुत है।

चारागाह में है १,८२५ एकड चराई के काबिल ९ हजार एकड है। ग्राउन्ड सडकें वगैरह ३,७४४ है एलॉटमेंट के लिये २३ ३.१८ बिस्वा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): तो फिर इन १,८९६ को कैसे वितरित किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जिस तरह से भी संभव होगा। मांग पूरी किये जाने में दिक्कत अवश्य है। दूसरी, काबिल काश्त जमीन निकल सकेगी उसमें से पूर्ति करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : यह एडवाइजरी कमेटी कौन सी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर तहसील में रूल्स के तहत एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी

Page No 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
बनी हुई है, जिसमें एम० एल० ए० भी होते हैं जिनको एलॉटमेन्ट एडवाइज़री कमेटी कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : एलॉटमेन्ट एडवाइज़री कमेटी से मतलब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वह नियमानुसार एडवाइज़ कर सकती है । एडवाइज़री कमेटी की सिफारिश के अनुसार एलॉटमेन्ट होता है । अगर तहसीलदार उस कमेटी की राय से इत्तफाक न करे तो आगे रेफर करने की बात आती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): एडवाइजरी कमेटी के और तहसीलदार के मत भेद हों तो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तो कलेक्टर को रेफर होती है ।

एक माननीय सदस्य : ये फैसले बहुमत के आधार पर नहीं होते ?

श्री मयुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): कलेक्टर का प्रावधान कहां है ? एलॉटमेन्ट कमेटी की राय के खिलाफ तहसीलदार अलॉटमेन्ट करता है । वे कहते हैं कि यह तो एडवाइजरी कमेटी है, उसकी सिफारिश को हम माने या न माने । कलेक्टर को रेफर करने का प्रावधान नहीं है ? अगर आप कलेक्टर को रेफर करने का कहते हैं तो रूल्स में संशोधन करें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेफर करने का प्रावधान नहीं है, अपील किये जाने का प्रावधान है ।

श्री मयुरेशबिहारी माथुर: अपील तो एग्रीव्ड करेगा जो एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर्स रखे गये हैं उनमें अगर मत भेद हो जाय तो किस को रेफर करें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसे इन्स्टान्सेज़ सरकार के सामने नहीं आये कि सभी मेम्बरों की एक राय होते हुए भी किसी ने हस्तक्षेप किया हो । ऐसी स्थिति आने पर वास्तव में क्या किया जायगा ? क्या तरमीम की जायगी ? यह तो स्थिति आने पर देखा जायगा ।

श्री श्रवणलाल : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एलॉटमेन्ट किये जाते हैं उसकी करीब चार-चार तारीखें दे दी जाती हैं और एक बार भी बहस पर फैसला नहीं किया जाता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह तो जनरल सवाल है । पर फिर भी उम्मीद यह की जाने चाहिये कि एलॉटमेन्ट कमेटी, कोई खास कारण न हो तो उस रोज का एजेन्डा उसी रोज पूरा कर दिया करे ।

सेल्स टैक्स की अदायगी

६५३. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आबकारी एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर की लक्ष्मी साइकिल इन्डस्ट्रीज ने अपने यहां तैयार हुए माल की बिक्री पर क्या कोई सैल्स टैक्स जमा कराया है ? यदि हां, तो कितनी साइकिलों का, कब कब और कितना ?

आबकारी एवं कर मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल): जी हां । इस इन्डस्ट्रीज ने १९५८-५९ में ७४९.९० न० पै० व १९५९-६० में

Page No 4

(श्री बालकृष्ण कौल)
१,०४२.९५ न० पै० सैल्स टैक्स के जमा कराये हैं।

श्री रामकिशन: ६० के बाद फिर जमा नहीं कराया ?

श्री बालकृष्ण कौल: इसके बाद एग्जेम्पशन मिल गया।

श्री रामकिशन: एग्जेम्पशन देने का कारण क्या है ?

पंचायत समिति रतनगढ़ द्वारा अनुदान

६५४. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हामुसर, तहसील रतनगढ़ में कुए के निर्माण हेतु पंचायत समिति रतनगढ से आज तक कितना अनुदान दिया गया ?

(२) क्या पंचायत द्वारा दी गई अनुदान की राशि कुए में लगा दी गई ?

(३) अब तक कुए की कितनी चिनाई हुई है और कितना काम बाकी है ?

उप-मंत्रीपंचायत (**श्री भवानीशंकर नन्दवाना**): (१) कुल १,८०० रु० का अनुदान दिया गया।

(२) जी हां।

(३) अब तक कुए की खुदाई २१० फुट हुई है तथा चिनाई १६८ फुट हुई है।

भाखरा क्षेत्र की भूमि

६५५. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भाखरा क्षेत्र में सन् १९६०-६१ व ६१-६२ में ऐसी कितनी एकड सरकारी भूमि थी जो नीलाम न होने की वजह से खाली पड़ी रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (**श्री रामप्रसाद लड्ढा**): भाखरा क्षेत्र में सन् १९६०-६१ में ३०,४०० एकड व १९६१-६२ में २३,६०० एकड भूमि के लगभग सरकारी भूमि खाली रही।

श्री श्योपतसिंह: यह सरकारी भूमि खाली रखने का क्या कारण था ? क्यों खाली रखी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ज्योग्राफिकली जो एरिया खाली रहेगा वह तो रहेगा ही। ज्योग्राफिकल पोजीशन वहां की आपको समझनी चाहिये।

श्री श्योपतसिंह: जिस जमीन पर काश्त होती थी उस काश्त वाली जमीन को क्यों खाली रख दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया कि ६१ में सरकार ने निर्णय किया कि नीलामी के द्वारा बची हुई जमीन बेची जावे। क्योंकि उस समय कीमत ज्यादा आती है, जब जमीन खरीदने वाले को जमीन का कब्जा तुरन्त दिया जा सके और तुरन्त कब्जा तभी दिया जा सकता है जब वह खाली रहे। एक ओर कल्टीवेशन के लिये टेम्प्रोरेरिली भी देने पर वापिस कब्जा लेने में दिक्कत पडती है। कब्जा छुडवाया नहीं जा सकता चार-पांच वर्ष तक। तो इसलिये और हमारे ऑक्शन के प्रोग्राम में किसी प्रकार की रूकावट न हो इसलिये उस जमीन को टेम्पोरेरी कल्टीवेशन के लिये देना बन्द कर दिया गया है।

Page No 5

श्री श्योपतसिंह : क्या यह सही है कि पहले एक साल के टेम्पोरेरी पट्टे पर कल्टीवेशन के लिये यह जमीन दी जाती थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उसी के अनुभव का लाभ उठा कर यह पॉलिसी बनाई गई है।

श्री श्योपतसिंह : ६०-६१ में ३१ हजार एकड भूमि पडी थी, ६२ में वह २३ हजार रह गई। बाकी की भूमि कहां गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अब तो ६३ आ गया है। इससे भी कम रह गई है, करीब बीस-बाईस हजार बीघा रह गई है। बाकी तो सब नीलाम कर दी। अब अगर उस वक्त टेम्पोरेरी एलॉट करते तो इतना नीलाम कैसे होता और कैसे उनको कब्जा मिलता ?

श्री श्योपतसिंह: जब नीलाम करना था तो सभी हो सकती थी, यह कैसे बची ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: नीलाम की एक पॉलिसी होती है। कुछ जमीन हमने यहां की बेच दी तो यह जरूरी नहीं कि उसके बाद पास वाली बेचें, उसको छोड कर दूसरी तरफ की भी बेच सकते हैं। वह थोडे दिन पडी भी रख सकते हैं। इससे कीमत ज्यादा आ सकती है।

इसमें फिर यह कारण भी है कि घग्घर में बाढ आई, तीन चार साल से वहां की पांच हजार के लगभग एकड भूमि पानी में रहती है। उनको हम बदले में दूसरी जमीन दे रहे हैं जिनकी भूमि उसमें डूब में आ गई है। तो अगर इस तरह से जमीन सरकार के पास कुछ खाली न हो तो उनको कहां से दें ? बहुतों की जमीन कमान्डेड एरिया में थी तो वह अनकमान्डेड हो गई ? उनको भी इसमें एडजेस्ट करना है। ऐसी सारी परिस्थितियों को देख कर ऐसा किया गया है।

राजस्थान पेसेंजर तथा गुड्स टैक्स

६५६. **श्री भीमसेन** : (लूणकरणसर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान पैसेन्जर तथा गुड्स टैक्स कब से व किस दर से लागू किया गया तथा उस वर्ष के बजट अनुमान क्या थे तथा वास्तविक आमदनी कितनी हुई ?

(२) प्रथम वर्ष के बाद से लेकर ३१-१२-६२ तक उपरोक्त टैक्सों से अलग अलग कितनी कितनी आमदनी हुई तथा प्रति वर्ष कुल कितनी कितनी आमदनी आंकी जाती रही ?

(३) उपरोक्त टैक्सों में कब कब कितनी वृद्धि की गई ?

(४) प्रति वर्ष उपरोक्त टैक्सों की कितनी कितनी बकाया किन कारणों से से रही ?

वित्त-मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) आर० पी० एण्ड जी० टी० तारीख १-५-१९५९ से नाफिज किया गया था। टैक्स के निर्ख फहरिस्त (क) में १९५९-६० के कॉलम में दिखाये गये हैं जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है। १९५९-६० की एस्टिमेटेड इन्कम ३० लाख रुपये थी और एक्चुअल इन्कम ४८,१९,३९३) रुपये हुई।

(२) १९५९-६० के बाद की एस्टिमेटेड इन्कम और एक्चुअल इन्कम इस तरह से है:—

Page No 6

(श्री बालकृष्ण कौल)

साल	एस्टीमेटेड इन्कम	एक्चुअल इन्कम
१९६०-६१	६७,७८,०००)	७०,५८,७९८)
१९६१-६२	९६,००,०००)	८५,६८,७२२)
१९६२-६३	१,२५,००,०००)	९०,५३,४३९)
		(३१-१२-६२ तक)

(३) टैक्स की रेटों में जो कुछ भी वक्त वक्त पर इजाफा किया गया वह फहरिस्त (क) में दिखाया गया है।

(४) बकाया रकम की हर साल की फहरिस्त (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भीमसेन: यह ५ लाख ६० हजार की बकाया है, इसका क्या कारण है? इतनी बडी रकम बकाया कैसे है?

श्री बालकृष्ण कौल: इसमें १०१ असेसीज ने अपील कर रखी है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की। बाकी बकाया के लिये पी० डी० आर० में कार्यवाही हो रही है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: (नसीराबाद): हाई कोर्ट में चला गया है तो क्या स्टे आ गया है कि न लिया जावे?

श्री बालकृष्ण कौल: जी हां।

श्री भीमसेन: जो केस हाई कोर्ट में हैं उनमें कितनी रकम इन्वोल्ड है?

श्री बालकृष्ण कौल: ये फिगर्स मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इनमें टिकट सिस्टम क्यों न लागू कर दिया जावे ताकि फिर कोई बाकी रहने का सवाल ही न रहे। आप परेशानियों से भी बचेंगे। इस बारे में आपका क्या विचार है?

श्री बालकृष्ण कौल: आपके सुझाव पर सरकार गौर कर रही है।

श्री भीमसेन: कब तक गौर करेगी और निर्णय पर आ जावेगी?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

तहसील लाडपुरा के लोगों से बकाया लगान

६५७. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवडी** (दीगोद): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा तहसील लाडपुरा के लोगों से तहसील द्वारा गत ४ वर्षों का बकाया लगान इस वर्ष एक मुश्त मांगा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(२) यह लगान आज तक क्यों बकाया रहा?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां। चार वर्षों का लगान इस वर्ष तहसील लाडपुरा में लोगों से एक मुश्त वसूल किया जा रहा है। कारण यह है कि रेवेन्यू सेटलमेन्ट सम्वत् २०१६ की खतौनियां इस वर्ष सेटलमेन्ट से प्राप्त हुई है उसका अमल बरामद सम्वत् २०१९ में किया गया है। जो लगान में बेसी हुई है वह चार वर्षों का इकट्ठा वसूल किया जा रहा था, पर अब इस प्रकार का आदेश दे दिया गया है कि इस साल के लगान के साथ साथ दो साल का बढा हुआ लगान वसूल किया

Page No 7

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
जावे और बकाया अगले साल के लगान के साथ वसूल किया जावे।

(२) यह लगान बाकी नहीं रहा, बल्कि रेट बेसी होने से बकाया रहा जो वसूल किया जा रहा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): यह आदेश कब दिया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हाल ही में दिया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: किस तारीख को दिया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तारीख दर्ज नहीं है, हाल ही में दिया है। प्रश्नकर्ता जानते हैं इस बात को।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): चार वर्ष का एक साथ वसूल किया जा रहा है? बहुत सी जगह?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: विशेष परिस्थितियों में वसूल किया जा रहा है। बाकी इसकी परिस्थितियां बिलकुल भिन्न हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): साल दर साल क्यों नहीं वसूल किया गया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: निवेदन किया जा चुका है।

नये मिडिल स्कूल

६५८. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) इस वर्ष सरकार कुल कितने नये मिडिल स्कूल खोलने का इरादा रखती है?

(२) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चंदेसरा व साकरोदा ग्रामों में (मावली तहसील) मिडिल स्कूल की जोरदार मांगे हैं?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर भी मिडिल स्कूल खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) सत्र १९६३-६४ में १०० प्राथमिक शालाओं के माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने का ध्येय है।

(२) न तो जिला परिषद् और न ही शिक्षा निरीक्षक ने चंदेसरा व साकरोदा की प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की सिफारिश की है। ६३-६४ के लिए जो सिफारिशें जिला परिषद् व शिक्षा निरीक्षक से प्राप्त हुई हैं उसमें इन दोनों शालाओं का नाम नहीं है।

(३) इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: सारे राजस्थान में सिर्फ दो ही मिडिल स्कूल बने हैं मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि इस वर्ष सरकार कुल कितने मिडिल स्कूल खोलने का इरादा रखती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: १००।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

Page No 8

जिला चूरू एवं तहसील नोखा के खालसा गांव

६५९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला चूरू एवं तहसील नोखा के खालसा गांवों की पैमाइश कब हुई ? क्या पैमाइश की अवधि समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिसेटलमेंट अब तक क्यों नहीं किया गया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लडढा): जिला चूरू में निम्नांकित ७ तहसीलें हैं । उनमें खालसा ग्रामों की मयाद बन्दोबस्त हर तहसील के सामने अंकित है :

क्रम सं०	नाम तहसील	खालसा ग्राम	कब से	समय
१.	चूरु	७	१९८३-२०१२	३० वर्ष
२.	रतनगढ	३	१९८३-२०१२	"
३.	डूंगरगढ	७	२०१६-२०३५	२० वर्ष
४	सरदारशहर	१२	२०१८-२०३७	"
५.	सुजानगढ	७	१९८३-२०१२	३० वर्ष
६.	तारानगर	१९	१९८३-२०१२	"
७.	राजगढ	७३	१९८३-२०१२	"

तहसील तारानगर व राजगढ के खालसा व जागीर के ग्रामों में रिविजन बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू है ।

तहसील चूरू व सुजानगढ के खालसा व जागीर के ग्रामों की फोरकास्ट रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । रतनगढ की रिपोर्ट सेटलमेंन्ट कमिश्नर के कार्यालय से अभी प्राप्त नहीं हुई है । तहसील नोखा, जिला बीकानेर में खालसा के १० ग्राम हैं । जिनकी मयाद बन्दोबस्त सं० १९८३ से २०१२ तक है । इस तहसील को जल्दी ही रिवीजन हेतु लिए जाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री भीमसेन: यह जो सेटलमेन्ट की मयाद है २०१२ में समाप्त हुई तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री रामप्रसाद लडढा : यह माननीय सदस्य जानते हैं कि यों तो सारे राजस्थान में देखा जाये तो ५० पर्सेन्ट से अधिक एरिया का चूंकि सेटलमेन्ट हो गया है यह फेज प्रोग्राम के अनुसार लिया जाता है । लेकिन जिस तहसील में माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड हैं उसके लिए निवेदन किया है कि जल्दी ही ले लिया जायेगा अगली साल या इससे अगली साल ।

श्री प्रध्यक्ष : श्रीमती गौरीपूनिया:—

Page No 9

नागौर जिले के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

६६०. **श्रीमती गौरीपूनिया** (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

समाज कल्याण विभाग की ओर से नागौर जिले के पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए १९६१-६२ में छात्रवृति मिली ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मुल्तवी करने की प्रार्थना है । अगले सप्ताह इसको ले लिया जाये ।

श्रीमती गौरी पूनिया: यह प्रश्न तो प्रान्तीय लेवल का है, इसलिए इसका उत्तर तो आ जाना चाहिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रयत्न करने पर भी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है । हमने इन्सपेक्टर को कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा कि यह सूचना जोधपुर से मिलेगी । इस पर हमने जोधपुर १९-३-६३ को कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा है कि शीघ्र भेज रहे हैं । अभी तक वह प्राप्त नहीं हुई है सूचना ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सरकार के पास ये आंकड़े भी नहीं हैं तो फिर प्लान कैसे बनाती होगी ? साधारण सा प्रश्न है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न तो साधारण था, लेकिन हमारे प्रयत्न असाधारण हुए फिर भी सूचना नहीं मिल पाई, इसका मुझे दुख है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, इस सैशन में तो सूचना आने की नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: अगले सप्ताह के लिए कहा है ।

प्रश्न संख्या ६६१

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

अलवर तहसील में खुदकाश्त के नाम पर किये गये अलॉटमेन्ट

६६२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** : (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि अलवर तहसील में कुछ ऐसे गांवों में जागीरदारों एवं बिस्वेदारों को खुदकाश्त के नाम पर जागीर रिजम्पशन अधिनियम एवं बिस्वेदारी तथा जमींदारी उन्मूलन विधेयक के तहत जमीन अलॉट की गई हैं जिनमें सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बाकायदा अभी तक गोचर भूमि निर्धारित नहीं की गई है ? यदि हां, तो उन गांवों के नाम बताने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि इन एलॉटमेन्ट्स से उन गांवों की जनता में तीव्र असंतोष है और वे इन अलॉटमेन्ट्स को कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उमरेण पंचायत समिति ने भी अपनी गत मीटिंग में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अपने एक प्रस्ताव द्वारा इस प्रकार के अलॉट-मेन्ट्स को कैंसल करने की मांग की है ?

(४) क्या सरकार इन अलॉटमेन्ट्स को कैंसल करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) अलवर तहसील में कुल ५७ जागीरदार और बिस्वेदारों को ३३ ग्रामों में भूमि अलॉट की गई है। इन ३३ गांवों में से २२ गांवों में बन्दोवस्त विभाग द्वारा गोचर भूमि घोषित की जा चुकी है और ११ ग्रामों में अन्तिम रूप में चरागाह घोषित नहीं हुए हैं, यद्यपि इन ११ ग्रामों में से अलवर तहसील के दसों गांवों में से चरागाह के नम्बरान प्रस्तावित जरुर हो चुके हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उक्त अलॉटमेन्ट को कैंसल कराने के बारे में कलेक्टर अलवर के कार्यालय में कुछ उज्रदारियां प्राप्त हुई हैं जिससे प्रतीत होता है कि गांव की जनता में कुछ असंतोष हो सकता है।

(३) जी हां।

(४) यदि ऐसे अलॉटमेन्ट्स कलेक्टर द्वारा बाद जांच अनियमित पाए जायेंगे तो सरकार उनके केन्सिलेशन पर विचार करेगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो यह लिस्ट आपने दी है, जिन गांवों के अलॉटमेन्ट्स हुए हैं उनमें ग्राम रोगडा शामिल नहीं किया गया है जब कि उस ग्राम में भी ठाकुर जोरावरसिंह अमरपुरे वालों को अलॉटमेन्ट हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब यह तो लम्बी लिस्ट है। इसमें देख लें, इसमें शामिल नहीं है तो नहीं है और अगर तहसील का गांव है और उसमें शामिल नहीं किया गया है तो I shall find out.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह जो अलॉटमेन्ट बगैर बन्दोबस्त हुआ, जागीरदारों और बिस्वेदारों को किया गया इन्हीं ग्रामों में लैन्ड अलॉटमेन्ट भूमिहीनों के बारे में यह गवर्नमेन्ट ने निर्णय किया कि जब तक बन्दोबस्त नहीं हो जाये तब तक भूमि-हीनों को अलॉटमेन्ट नहीं किया जायेगा, तो जागीरदारों और बिस्वेदारों को बन्दोबस्त हुए बगैर अलॉटमेन्ट करने की नीति और भूमिहीनों को बन्दोबस्त हुए बगैर अलॉटमेन्ट नहीं करने की नीति, ये सरकार ने दो अलग अलग नीतियें क्यों अपनाई हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एक स्टेचुटरी प्रोवीजन है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको कार्यान्वित करना भी आवश्यक है और नीति यह है कि भूमिहीनों को भूमि मिले, इससे भी हम इन्कार नहीं करते, लेकिन स्टेचुटरी प्रोवीजन को भी कार्यान्वित करना पडता है। जो कि असेम्बली द्वारा नियम बनाये गये हैं यदि उसको वहां जमीन नहीं देते हैं तो दूसरी जगह कानून से नहीं मिल सकती तो दूसरी जगह मिले नहीं और वहां भी नहीं दें तो फिर क्या करें ? इसीलिए स्टेचुटरी ओब्लीगेशन्स को भी पूरा करना होता है। दूसरी, चारागाह वाली बात कही तो जहां जहां जमीनें दी गयी हैं चाहे वहां चरागाह के लिए जमीन घोषित की गयी है या नहीं, लेकिन चरागाह के लिए यथेष्ठ भूमि का प्रावधान रखते हुए या इस प्रकार की पुष्टि होने पर और रिपोर्ट आने पर कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
चरागाह के लिए भूमि उपलब्ध रहेगी इसको दे देने के बाद भी उनको भूमि का एलॉटमैंट किया गया है खुदकाश्त के लिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लिस्ट में जो आपने गाव बालाडहरा बताया है और अनसैटल्ड में दिखाया है और इसमें अलॉटमेन्ट जिसको किया गया है जिस बिस्वेदार या जागीरदार को, उसका नाम क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हो सकता है इसका नाम इस लिस्ट में न हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, रह गया होगा Through over sight. I shall find out.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस गांव में किशनगढ़ तहसील के एक प्रभावशाली कांग्रेस कार्यकर्त्ता को अलॉटमेन्ट हुआ है जो वकालात करते हैं और जो काफी बड़े बिस्वेदार हैं। जहां काफी जमीन भी आपने बेची है उसके बावजूद उनको अलॉटमेन्ट हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन बेचने और नहीं बेचने का प्रश्न इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह है कि एक पर्टिकुलर डेट जो कानून में बताई हुई है उस डेट से उस कानून की पर्व्यू में आता है तो उसको खुद काश्त के लिए जमीन मिल सकती है। अब पांच सौ में बेंच दी या दो सौ में वेच दी उसका इस प्रश्न पर असर नहीं पडता है और इल्लीगल तरीके से और कांग्रेस वर्कर को दे दी, यह गलत बात है। अगर जमीन वाले बिस्वेदार की तारीफ में आते हैं और नियमों के अन्तर्गत पाने का अधिकार है तो वह कम्युनिस्ट जागीरदार होगा तो उसको भी दी जायेगी और कांग्रेस का होगा तो उसको भी दी जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपके नियमों के अनुसार विसिनिटी में हो; जागीरदार या बिस्वेदार को वही जमीन दी जा सकती है और इसमें एलाटमैन्ट ऐसी ही जगह हुआ है जो कि एक तहसील से दूसरी तहसील में हुआ है तो क्या ऐसे एलॉटमेन्ट्स केन्सल करने का आश्वासन सरकार देगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केन्सिल करने के आश्वासन का प्रश्न इस समय उपस्थित नहीं होता। सरकार ने १५-११-६२ को ही इस प्रकार के आदेश प्रचलित किये हैं जिसको काफी अर्सा हो गया है। उनके अन्तर्गत ये हिदायतें दी गई हैं कि विसिनिटी से क्या मतलब समझा जाना चाहिये। उसके विपरीत यदि कोई एलॉटमेन्ट हुआ है तो उसके बारे में भी हमने इन्क्वायरी कराने के आर्डर्स उसी सर्क्यूलर के अन्दर दे दिये हैं और उन सब केसेज की इन्क्वायरी कलेक्टर के सुपुर्द की गई है और उन इन्क्वायरीज का नतीजा आने पर उसमें आगे कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा सकती है। उसको करने का सरकार प्रयत्न करेगी ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): मेरा प्रश्न यह है कि पंचायत समिति उमरेड द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। यह कहा गया कि पंचायत समिति में पारित होकर सरकार के पास गया है; तो पंचायत समिति उमरेड के किस सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखा गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: श्री रामानन्दजी द्वारा ही रखा गया होगा ।

Page No 12

अ.र० ए० एस० अधिकारियों की आई० ए० एस० पद के लिये सिफारिश

६६३. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत पांच वर्षों में कितने आर० ए० एस० अधिकारियों को आई० ए० एस० अधिकारी बनाने के लिये राज्य सरकार ने सिफारिश की है और किस किस जिले के ऐसे कितने आर० ए० एस० अधिकारियों को प्रमोशन मिला है ? ऐसे अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) १९५६-५७ ५......

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है और उसके बगैर जानकारी करना मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही सूची है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा:

१९५६-५७....५

१९५८....२

१९५९....३

१९६०....६

१९६१....१

कुल १७

उदयपुर जिला:

श्री (१) पी. एल. सुखवाल (१९५५-५७)
(२) श्री एच. एस. मेहता
(३) स्वर्गीय श्री टी. एस. कोठारी (१९५८)
(४) श्री सरफअली (१९६०)
(५) श्री एम. एन. पंचौली (१९६०)
(६) श्री पी. के. बी. कुरूप (१९६०)

जयपुर जिला:

(१) श्री ए. ए. एस. जाफरी (१९५५-५७)
(२) श्री के. एल. बराया (१९६०)
(३) श्री एच. एस. रावत (१९६१)

बीकानेर जिला:

(१) श्री एम. जी. दलेला (१९५९)
(२) श्री सी. एल. कोचर (१९६०)

भरतपुर जिला:

(१) श्री निरंजनसिह (१९५५–५७)

बूंदी जिला ।

(१) श्री अलाउद्दीन खिलजी

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रार्यासहनगर): अलाउद्दीन खिलजी का भी हमला हुआ है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अजमेर जिला

(१) श्री एन. डी. मेहता (१९५८)
(२) श्री जी. जी. के. भगत (१९५९)

पंजाब

(१) श्री आर. डी. खन्ना (१९५५-५७)

एक माननीय सदस्य : क्या इनमें कोई शिड्यूल्ड कास्ट के भी हैं ?

श्री रामकिशन : आपने जो सूची बताई है उसमें उदयपुर के कितने हैं और बाकी जिलों के कितने कितने हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने नाम ही पढकर बता दिये हैं ।

Page No 13

श्री रामकिशन : इसका मतलब यह था कि अलग अलग जिलों का बता दें तो स्थिति का पता लग जावे कि उदयपुर में कितने थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उदयपुर के हैंडिंग के नीचे जितने प्रमोशन्स और अपोइन्ट-मेन्ट्स किये हैं, उनको बता दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : जो प्रमोशन्स दिये गये हैं उनका आधार क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके चेयरमेन यू. पी. एस. सी. के मेम्बर होते हैं जो यू. पी. एस. सी. के चेयरमेन द्वारा नोमिनेटेड होते हैं उनके अलावा, यहां के चीफ सेकेट्री, चेयरमेन बोर्ड ओफ रेवेन्यू, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेन्ट कमिश्नर; ये उसके मेम्बर होते हैं। ये सब मिल कर तय करते हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): तय कोई भी करते हों, लेकिन सच्चाई तो सामने आवे कि किस जगह के कितने लिये गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो मैंने बताया है।

श्री रामकिशन : नम्बर बताने की जरूरत थी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा): अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार से मंत्रीजी इसको टालना चाहते हैं यह अनुचित है, पूरा जवाब आना चाहिये।

श्री रामकिशन : पहले भी मुख्य मंत्रीजी ने जबाब दिया था उस समय भी सूची जान बूझकर नहीं बनाई थी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने नाम बता दिये हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूची के अनुसार आधे से अधिक उदयपुर के हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामकिशन : क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि इसमें चीफ सेक्रेटरी भी बैठते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां हैं। मैंने नाम बोले थे, उनमें चीफ सेक्रेटरी हैं, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, डेवलपमेन्ट कमिश्नर हैं। चेयरमेन बोर्ड आफ रेवेन्यू हैं, चेयरमेन पी. एस. सी. हैं, वे भी यूनियन के हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : प्रमोशन्स सीनियोरिटी के आधार पर होते हैं क्या ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नत्थीसिंह : जो लिस्ट मंत्रीजी ने बताई है उसके अनुसार आधे से अधिक व्यक्ति उदयपुर जिले के हैं और बाकी दूसरे जिलों के हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो अर्थमेटिक का सवाल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्थमेटिक का सवाल है, लेकिन लिखा सी. एस. ने है।

बीदासर में गोचर भूमि

६६४. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीदासर में सेठ श्री जयदयाल गोयनका के द्वारा एक तालाब का निर्माण करवाया गया था तथा उक्त तालाब के पीछे तत्कालीन पट्टेदार ने १,१०० बीघा जमीन गोचर भूमि के रूप में छोडी थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अब लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसे काश्त करने के काम में लेते हैं जिससे वहां के पशु-धन को बहुत बडी तकलीफ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कस्बे में इस भूमि के सिवाय और कोई भूमि पशुओं के चरने के लिये नहीं है ?

(४) बीदासर में कितने पशु हैं और इन पशुओं के अनुपात से इस कस्बे में कितनी भूमि चरागाह के रूप में होनी चाहिये ?

(५) क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं । सेठ घनश्याम दास पुसीयावाला ने तालाब का निर्माण करवाया था । भूतपूर्व जागीरदार बीदासर ने श्री जयदयाल गोयनका को १,००० कच्ची बीघा भूमि का पट्टा गोचर भूमि के लिये सन् १९४७-४८ में दिया गया बतलाया, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई ।

(२) सैटलमेन्ट के अनुसार १५० बीघा पक्का भूमि खातेदारी में दर्ज हुई है एवं बाकी ७०० बीघा कच्ची भूमि पायतन के नाम से दर्ज है । इस पायतन की भूमि में पशु चरते हैं ।

(३) मोजा बीदासर में चरागाह के नाम से कोई आराजी नहीं है, बल्कि उस जोहड के आसपास के पायतन की भूमि में पशु चरते हैं ।

(४) ४,३८० पशु हैं और उनके लिये २,१९० बीघा आराजी होना चाहिये ।

(५) ३०४ बीघा भूमि जो विना कब्जे के मौजा बीदासर की सरहद पर स्थित है जो चरागाह के रूप में छोडने के लिये कार्य-वाही चल रही है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : क्या सरकार के ध्यान में है कि पायतन की जो भूमि बताई जाती है तालाब की वह सारी की सारी काश्त होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया कि पायतन की भमि १,३०८ बीघा है वह आराजी है और वह गोचर के काम में आती है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : चरागाह बिल्कुल है ही नहीं और क्या सरकार जरूरी नहीं समझती है कि वहां चरागाह के लिये जमीन होनी चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जहां चरागाह के लिये भूमि नहीं है वहां पायतन की बीड की भूमि भी सम्मिलित करते हैं और जहां चरागाह के लिये भूमि है तो पायतन बीड को छोड कर देते हैं क्योंकि ऐसी भूमि आसपास ३०४ बीघा के

Page No 15

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
अलावा है वहां उसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी अवेलेबल नहीं इसलिये पायतन और जोड की भूमि से काम चलाना होगा और यदि पट्टा होता है तो इतना नियमानुसार कम होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनके पास रिपोर्ट आई है वह विल्कुल गलत है। वहां कोई जमीन चरागाह की नहीं है और लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पडता है इसलिये निवेदन किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गलत रिपोर्ट का सवाल नहीं है, मैंने खुद ने कहा था कि चरागाह की भूमि नहीं है, पायतन काम में आ रहा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ३०४ बीघा बताई जाती है वह भी नहीं छोडी है।

गंगानगर जिले में ईंटों के भट्टे

६६५. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर जिले में ईंटों के कितने भट्टे हैं? इनमें से कितने आबादी भूमि में हैं तथा कितने एग्रीकल्चरल लैंड में हैं?

(२) उपरोक्त भट्टों में से कितने कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा कितने व्यक्तिगत रूप से?

(३) एग्रीकल्चरल लैन्ड में भट्टे मन्जूर करने का क्या आधार है तथा रहा है?

(४) उपरोक्त भट्टों से खनिज विभाग को रॉयल्टी की कितनी राशि प्राप्त होती है? सन् १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३ की राशि अलग अलग बतायें?

(५) यह राशि किस प्रकार एकत्रित की जाती हैं?

(६) क्या यह सही है कि रॉयल्टी की राशि एकत्रित करने में भारी गडबड है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो खनिज विभाग से अधिक ताल्लुक नहीं रखता, इसलिये सूचना दूसरे विभाग से प्राप्त की गई है, उसमें समय लगेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रॉयल्टी तो आप लेते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पट्टे की इजाजत हम नहीं देते।

सरकारी आदेश का पालन

६६६. **श्री मांगीलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार के रेवेन्यू विभाग ने नम्बर एफ. (१९) आर. बी. बी. ।जी. आर. ११।६२ गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान (बी) डिपार्टमेंट डेटेड १०-१-६३ द्वारा जो आदेश जारी किया उसका जिला पाली के रेवेन्यू अफसरों द्वारा पालन किया गया है या नहीं?

(श्री मांगीलाल)

(२) क्या इस सर्क्यूलर के जारी होने पर भी अभी तक पटवारियों व तहसीलदारों द्वारा काश्तकारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

(३) इस आदेश का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान सरकार राजस्व (ख) विभाग के परि-पत्र संख्या एफ. ११ (१९) राजस्व/ख/ ग्रुप २/६२ दिनांक ९/१० जनवरी, १९६३ में निहित आदेशों की पालना पाली जिले के समस्त रेवेन्यू अफसरान द्वारा की जा रही है ।

(२) जी नहीं। जो काश्तकार उपरोक्त परि-पत्र में निहित आदेशों के अनुसार किसी प्रकार की राहत के अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कोई जाब्ते की कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि पर नाजायज कब्जा, जिला पाली

६६७. **श्री अलदाराम** (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला पाली के बसी जागीरदार ने ४५७ बीघा खालसा भूमि जोड पर नाजायज कब्जा किया था, जिसका सदन के प्रश्नोत्तर काल में ही होना स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह सही है कि जिलाधीश पाली की आज्ञा से तहसीलदार देसूरी ने जांच करके ट्रेसपासर घोषित कर दिया था और अतिरिक्त जिलाधीश पाली ने बेदखल की आज्ञा दे दी ? यदि हां, तो सब डिवीजनल ऑफिसर बाली ने उक्त भूमि को खातेदार एवं खुदकाश्त बूसी जागीरदार के नाम किस आधार पर घोषित की है ?

(३) क्या यह सही है कि सब डिवीजनल ऑफिसर बाली ने जिलाधीश पाली की आज्ञा पेश करने पर कार्यवाही स्थगित कर दी थी और उसमें बूसी पंचायत व रामनिवास दोनों पार्टी थीं ? यदि हां, तो सब डिवीजनल ऑफिसर, बाली ने स्टे वेकेट किस आधार पर किया व कम्प्लेनेन्ट को इत्तला क्यों नहीं दी ?

(४) क्या यह सही है कि तहसीलदार देसूरी भी सरकार की तरफ से लैंड होल्डर होने की हैसियत से पार्टी था ? यदि हां, तो उसको नोटिस दिया गया था या नहीं ? यदि हां, तो तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की ?

(५) क्या यह सही है कि लैंड रेवेन्यू कानून की धारा १४० ए. के माफिक जोड को खुदकाश्त में नहीं दिया जा सकता है ? यदि हां, तो सब डिवीजनल ऑफिसर ने उक्त जोड को किस कानून के तहत खुदकाश्त घोषित किया है ?

(६) क्या यह सही है कि सब डिवीजनल ऑफिसर, बाली द्वारा इस जोड को खुदकाश्त घोषित करने से सरकार को ४०,००० रुपयों का नुकसान किया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(७) क्या यह सही है कि इसी जमीन के विवाद के सम्बन्ध में अलग अलग मुकदमें

(श्री अलदाराम)
चल रहे हैं तो कितने मुकदमें किन किन अदालतों में विचाराधीन हैं व सरकार की तरफ से किन किन अदालतों में पैरवी की जा रही हैं और कौन कौनसी अदालतों में पैरवी नहीं की जा रही है और पैरवी नहीं की जाने के क्या कारण हैं ?

(८) क्या यह सही है कि विशेषाधिकारी जागीर विभाग, एक सरकारी कानून सलाहकार जागीर विभाग भी इसमें पैरवी कर रहे हैं ? यदि हां, तो सब डिवीजनल ऑफिसर, बाली के फैसले के विरुद्ध सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास अपील पेश क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) इस संबंध में प्रश्न संख्या ९९।आर. एम. सन् ५८ के उत्तर में यह माना गया था कि श्री जसवंतसिंह ने सं० २०१२ में खसरा नं० १२२१ के रकबा ४७४ बीघे पर कब्जा कर लिया है, यह नहीं कहा गया था कि जमीन जोड की थी, प्रश्न में भी भूमि खालसा बताई गई थी । इसलिये यह सही नहीं है कि जोड भूमि पर कब्जा कर लिया गया है । यह भूमि जागीर कमिश्नर ने अपने फैसले दि. १४-८-५९ द्वारा जागीरदार की खुदकाश्त भूमि मानी थी, जागीर कमिश्नर के इस फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अपील दायर की गई जो स्वीकार कर ली गई और एस. डी. ओ. की आज्ञा दिनांक २९-७-५९ निरस्त की जाकर मामला मजीद कार्यवाही हेतु रिमांड किया गया है ।

(२) जी हां । तहसीलदार, देसूरी द्वारा श्री रामनिवास के प्रार्थना-पत्र पर जांच की जाकर रिपोर्ट जिलाधीश को पेश की गई, उस पर जिलाधीश ने आज्ञा नं. आर. सं० २०८२ दिनांक १३-४-५७ से रकबा रोकने का हुक्म दिया और दफा १८३ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की कार्यवाही की आज्ञा दी । जिसके अनुसार तहसीलदार ने रिपोर्ट १३-१-५९ को पेश की और उस पर अतिरिक्त जिलाधीश की आज्ञानुसार दिनांक १९-५-५९ को श्री जसवंतसिंह को ट्रेसपासर घोषित किया ।

एस. डी. ओ. ने उक्त भूमि को जागीरदार की खुद काश्त मान कर उसको खातेदार तारीख २७-९-५९ को घोषित किया, यह कार्यवाही टिनेन्सी एक्ट की धारा ८९ के तहत की गई जो राजस्व बोर्ड के निर्णय दिनांक १०-७-६२ से निरस्त हो गई है ।

(३) यह सही है कि श्री रामनिवास द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश पाली के ऑर्डर दिनांक १८-११-५७ की नकल जिसके द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश से कार्यवाही स्थगित किये जाने की आज्ञा दिया जाना बतलाया उप-जिलाधीश बाली को पेश की गई थी, जिस पर कार्यवाही स्थगित किये जाने की आज्ञा लिखी गई । पर उप-जिलाधीश के दस्तखत नहीं हुए और इसीलिये उप-जिलाधीश की पत्रावलि पर लिखे हुए आज्ञा के अनुसार स्टे आर्डर का अमलदरामद नहीं किया । इस बीच में ही एस. डी. ओ. का तबादला भी हो गया ।

(४) खातेदारी हक की प्रार्थना करने पर पत्रावली रेगुलरसूट के रूप में चलती है और सम्बन्धित पत्रकार उसमें सम्मिलित होकर कार्यवाही कर सकते हैं । इस पत्रावली में तहसीलदार देसूरी को विपक्षी के रूप में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
बुलाया गया और उनके उपस्थित न होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई और नियमानसार प्रार्थी से प्रमाण लिये जाकर दनांक २९-७-५९ को दावा डिग्री किया गया ।

(५) जो हां । चूंकि गिरदावरी सं० २०१२ से २०१५ तक में यह भूमि बारानी अव्वल दर्ज है व कब्जा व काश्त जसवंतसिंह का दर्ज है इसलिये उस भूमि को जसवंतसिंह की खुदकाश्त में घोषित किया गया है ।

(६) सब-डिवीजनल ऑफिसर की जिस आज्ञा द्वारा यह भूमि खुदकाश्त घोषित की गई थी वह राजस्व मंडल की आज्ञा दिनांक १०-७-६२ द्वारा निरस्त की जा चुकी है । अतः सरकार को किसी नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(७) राजस्व मंडल के फैसले १०-७-६२ के पश्चात इस मामले में अब सिर्फ मजीद कार्यवाही श्रीमान् जागीर कमिश्नर की अदालत में ही होगी जहां पर सरकारी कानूनी सलाहकार जो पहले से ही इस प्रकार के मामलों के लिये नियुक्त हैं पैरवी करेंगे ।

(८) जी नहीं। नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार एस. डी. ओ. फैसले के खिलाफ अपील सैटलमेंट कमिश्नर को की जाती हो।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): नम्बर चार के उत्तर में आपने यह बताया है कि तहसीलदार की अनुपस्थिति की वजह से मामले को इकतरफा तय किया गया। क्या सरकार ने तहसीलदार से, उस तहसील के इन्ट्रेस्ट को और सरकार के इन्ट्रेस्ट को वाच न कर कोर्ट से अनुपस्थित रहा कोई एक्स्प्लेनेशन पूछा है या कोई कार्यवाही की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री तेजाराम गहलोत: क्या कार्यवाही करने की मन्शा सरकार की नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जानकारी करने के पश्चात् जो कार्यवाही उचित समझी जायगी वैसा किया जायगा।

श्री तेजाराम गहलोत: नम्बर ५ के उत्तर में आपने बताया है कि २,०१२ से २,०१५ तक जो जमीन उसके पास थी उसको खुदकाश्त घोषित किया गया है। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि जागीरदार का वास्तविक खुदकाश्त कितने बीघा थी और उसके पश्चात् कितने बीघा पर कब्जा दिखाया गया है ?

श्री अध्यक्ष: मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए बहस करना उचित नहीं होगा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

पंचायत समिति रायसिंहनगर की जीप

६६८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) २ अक्तूबर, १९५९ से आज तक पंचायत समिति रायसिंहनगर की जीपों पर कितना खर्च हुआ कितना पैट्रोल पर तथा कितना रिपेयर्स पर। वर्ष वार आंकडे दें तथा निर्धारित व्यय भी बतायें ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक पंचायत समिति की जीप कितने मील चली, वर्ष वार आंकडे दें ? २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक प्रतिवर्ष जीप का मिलोमीटर कितने कितने समय बन्द रहा वर्ष वार सूचित करें ?

(३) क्या समिति क्षेत्र के बाहर भी जीप का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां—२ अक्टूबर, १९५९ से आज तक के वर्ष वार आंकडे दें ?

(४) क्या जीप का प्रयोग प्रधान तथा बी. डी. ओ. द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिये भी किया गया है ?

(५) क्या इस सम्बन्ध में १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ की आडिट रिपोर्ट में एतराज भी हुए हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ? इन आब्जैक्शन के बाद सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सका है, इसलिये अगली टर्न पर इसका उत्तर दिया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : ६६९ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सप्ताह में आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह तक आ जायगा ।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

जमीन की सीमा निर्धारण का कानून

६६९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में जमीन की सीमा निर्धारण का कानून कब पास हुआ और उस कानून को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया ?

(२) इस कानून को लागू कर देने पर सरकार को ऐसी कुल कितनी जमीन मिलेगी जो भूमिहीनों को दी जा सकेगी ?

(३) राजस्थान में ऐसे कुल कितने भूमिहीन किसान हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लडढा) : (१) जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारण का कानून राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक १०-१२-१९५९ को पास किया गया था जिसको राष्ट्रपति द्वारा दिनांक १२-३-१९६० को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कानून को लागू करने के पूर्व राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी थी जो कि बहुत विशाल (Voluminous) कार्य था ।

यह कार्य सम्पादित किया जा चुका है तथा इस कानून को लागू करने के बारे में शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी ।

(२) इस बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । सरकार को कितनी भूमि प्राप्त होगी, यह उक्त कानून के लागू होने के पश्चात ही मालूम हो सकेगा ।

(३) २,७७,७४३ ।

श्री मुरलीधर व्यास: विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया कि इसकी नेचर ऑफ वर्क अधिकतम सीमा निर्धारित करने की ऐसी है । चूंकि हमने प्रावधान रखा था एक्ट के अन्दर, ऐसी भूमि जिसमें दस मन गेहूं पैदा हो, उसको एक स्टेन्डर्ड एकड मानेंगे और बारानी को मीडियम रखा क्योंकि उसमें गेहूं नहीं होता है इसलिये उसका इक्विवेलेंट निकालने की बात आई । उसके बाद वर्क आउट करना था प्रोडेक्शन की दृष्टि से, मार्केट वेल्यू कीमत की दृष्टि से । इस सब में काफी समय लगना स्वाभाविक है । अब उसको सम्पादित करके हाउस की टेबिल पर रखा जा चुका है । उससे माननीय सदस्यों को मालूम हो जायगा कि वास्तव में वर्क कितना वाल्यूमिनस था ।

श्री मुरलीधर व्यास : गत वर्ष आम चुनावों के पहले राजस्व मंत्री ने घोषणा की थी कि यह आम चुनावों के पहले लागू कर दिया जायेगा । उस समय ये सारी बातें सोच कर नहीं कहा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे इसका इल्म नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सदन में कहा था । बहुत जोर के साथ उसकी पब्लिसिटी हुई थी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह माननीय मंत्री द्वारा कहा गया था· ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको निवेदन किया कि सभी सम्भव कदम जितनी जल्दी लागू किया जा सके, उसके लिये उठाये जा रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस साल के अंत होने के पहले पहले इसे लागू किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में कोई अश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

प्रवास संबंधी सुविधायें

६७०. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी जो कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से सरकारी कार्य के लिये जयपुर नगर में आते हैं उन्हें सरकार की ओर से प्रवास आदि की क्या सुविधा प्रदान की जाती है ? श्रेणीवार बताइये ।

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये जो सरकारी कार्यवश जयपुर नगरमें आते हैं उन्हें प्रवास आदि की सुविधा निम्न प्रकार से दी जाती है:—

	स्टेट होटल
१. प्रथम श्रेणी के राज्य कर्मचारी:—	
सिंगल रूम	५) रू० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति।

(श्री परसराम मदेरणा)

डबल रूम	६॥) रु० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ।

नोट:—(१) जो अफसरान लन्च या डिनर लेते हैं उन्हें भोजन के नियमित बिल पर २५ प्रतिशत छूट दी जाती है।

(२) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अधिकारियों के साथ में ड्यूटी पर आते हैं।	५० नये पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लेकर क्वार्टर में रखा जाता है।

(३) जो अधिकारी हीटर प्रयोग में लेते हैं उनसे १) रु० प्रतिदिन अतिरिक्त वसूल किया जाता है।

२. अन्य सभी श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी—राजकीय प्रवास भवन

डबल रूम मय बाथ रूम एक व्यक्ति द्वारा लेने पर।	३ रु० ५० न.पै. प्रतिदिन ।
डबल रूम दो व्यक्तियों द्वारा लेने पर।	४) रु० प्रतिदिन।
सिंगल रूम मय बाथ रूम ।	२ रु० ५० न. पै.
सिंगल रूम मय कामन बाथ रूम।	२) रु० प्रतिदिन।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो अधिकारियों के साथ ड्यूटी पर रहते हैं।	५० नये पैसे प्रति दिन प्रति व्यक्ति लेकर क्वार्टर में ठहराये जाते हैं।
३. मिनिस्ट्रियल स्टॉफ	प्रवास की व्यवस्था राज्य की ओर से नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के व्यक्ति जहां ठहरते हैं, उनके क्वार्टर्स कहां पर प्रोवाइडेड हैं वह किस किस जगह पर क्वार्टर प्रोवाइडेड है।

श्री अध्यक्ष : प्रवास भवन के जो क्वार्टर्स हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्वार्टर्स होटल्स में हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितने क्वार्टर प्रोवाइडेड हैं ?

प्रश्न संख्या ६३१.

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीलाल गोठवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : या स्टेशन के वेटिंग रूम में प्रोवाइडेड हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

अटबडा माइन्स

६७२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि श्री केसूसिंह कछावा सोजत को लाइम स्टोन की खानें जिनका नाम अटबडा माइन्स हैं, राज्य सरकार द्वारा लीज पर दी हुई है ?

(२) यदि हां, तो उक्त लीज कब से दी हुई है व किन शर्तों पर दी हुई हैं ? लीज डीड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(३) क्या यह सही है कि उक्त लीज की छः माह की रकम सरकार द्वारा माफ की गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और माफ की गई रकम कितनी है ?

उप-मंत्री, खनिज : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) मेसर्स केशवसिंह शिवजीसिंह को राज्य सरकार द्वारा लाइम स्टोन की लीज अटवारा माइन्स दी हुई है ।

(२) लीज तारीख १-९-६२ से दी हुई है । माइनर मिनिरल कन्सेशन रूल्स १९५९ के अंतर्गत दी गई है । लीज डीड की प्रतिलिपि संलग्न है। कापी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं ।

(सूची वितृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि केशवसिंह शिवजीसिंह ने इन माइन्स का १-६-६२ से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : १-९-६२ से।

श्री मानिकचन्द सुराणा: तारीख १-९-६२ आपने लीज देने की बताई है। मेरा प्रश्न है कि क्या इस लीज दिये जाने के पूर्व, तीन माह पूर्व इन माइन्स पर कार्य करना शुरू कर दिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-९-६२ से काम करना शुरू किया है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राज्य सरकार के पास ' ' ' '

श्री मानिकचन्द सुराणा : १-९-६२ को लीज देने का प्रश्न है, लीज तारीख १-९-६२ को दी गई । मेरा प्रश्न है कि १-९-६२ को लीज देने से पूर्व तीन माह पूर्व वहां पर इन माइन्स का काम शुरू कर दिया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको बताया कि १-९-६३ से काम शुरू किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या मुख्य मंत्री ने आज से पांच या सात दिन पहले कहा था कि दो तीन महीने पहले से काम शुरू कर दिया था, क्या वह गलत कहा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लीज डीड ३-१०-६२ को लिखा गया, लेकिन काम इस पर साइन करने से पूर्व ही शुरू कर दिया था इसलिये लीज में जो कॉन्ट्रेक्ट है उसमें १-९-६२ लिखा गया है ।

श्री अध्यक्ष : वह तो रेकार्ड देखा जा जा सकता है। तथ्य है वही है। १-९ से काम शुरू हुआ, लेकिन लीज १-१० से लिखा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके क्या परिणाम निकलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसके जो भी परिणाम निकलेंगे माननीय मंत्री देखेंगे। मगर इस पर इस समय बहस नहीं हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मगर यह गलत जवाब है ।

श्री अध्यक्ष : गलत जबाब का परिणाम होगा वह निकलेगा वह निकलेगा । इसको भविष्य में देखा जावेगा । फिर भी आप पूछते हैं ।

Page No 23

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या यह सही है कि माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन एक महीने के अन्दर अन्दर हो जाना चाहिये, वह नहीं हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इससे पहले जिसका कॉन्ट्रेक्ट था उसने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी थी और इस वजह से रिट को चलते हुए इसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे रहे तो जिससे सेफ गार्ड कर सकें। इसलिये इसमें समय लगा और इसलिए यह सारा एग्रीमैन्ट ३-१०-६२ को सम्पन्न किया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या यह सही है कि वह क्लाज कम्पलीट नहीं हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मेरे पास जो कॉपी है वह मैंने सदन की मेज पर रखी है उसमें "bject to the decision of the Supreme Court" शब्द लिखा है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट।

आयरन स्टील के आयात के लिये एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट

६७३. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) १ अक्टूबर, सन् १९६० से मार्च सन् १९६१ के समय के लिये आइरन स्टील के आयात के लिये किस किस फर्म को किस किस वेल्यू का एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट दिया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) जिन फर्म्स को इस समय का आयरन एन्ड स्टील के आयात का एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट मिला है उनको इसके लास्ट पीरियड में कितनी कितनी कीमत का माल आयात करने का एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट मिला था? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि भारत सरकार के चीफ कन्ट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट ने भाग १ में अंकित पीरियड के लिये एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट देने के लिये कोई विशेष हिदायत दी थी? यदि हां, तो क्या? इस हिदायत की किस सीमा तक तामील हुई?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन के माननीय सदस्य को देखने को दे दी गई है।

(३) इसके लिये आइरन एन्ड स्टील कन्ट्रोलर प्रत्येक पीरियेड के प्रारंभ में एक पालिसी प्रचारित करता है उसी के आधार पर आइरन एन्ड स्टील के ई. सी. प्रदान किये जाते हैं। इस पॉलिसी की हिदायतों की पूरी तामील की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री भैरोंसिंह: जो कापी आपने मुझे देखने के लिये दी है क्या उसकी कापी आप मुझे देंगे।

श्री चन्दनमल वैद: मैंने आपको देखने के लिये एक कापी एवेलेबल कर दी है, वह आपको रिटर्न करनी होगी।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा है कि इसको आपको वापिस

(श्री भैरोंसिह)
देनी होगी, मगर मैं यह चाहता हूं कि इसकी कापी मुझे एक मिलनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जैसे आपने इनको कापी दी है क्या दूसरों को भी देंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह कहा है कि देखने के लिये दी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अब्दुल जब्बार।

निम्बाहेडा व चित्तौडगढ में दाखिल खारिज

६७४. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेडा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील निम्बाहेडा व चित्तौडगढ़ में सन् १९६२–६३ में कुल कितने दाखिल खारिज (इन्तकाल जायदाद) किये गये और अब कितने बाकी हैं ?

(२) दाखिल खारिज न भरने व देरी करने के क्या कारण हैं ? और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सन् १९६२-६३ में दायर हुए नामान्तरणकरणों (जायदाद) की सूचना निम्न प्रकार है :

तहसील निम्बाहेडा

१. नामान्तरणकरण के केसेज दायर हुए	१,७९०
२. नामान्तरणकरण के केसेज फैसल हुए	९०५
३. नामान्तरणकरण के केसेज बाकी रहे	८८५

तहसील चित्तौड़गढ़

१. नामान्तरण करण केसेज दायर हुए	३०३
२. नामान्तरणकरण केसेज फैसल हुए	२२०
३. नामान्तरणकरण केसेज बाकी हुए	८३

(२) राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा १३३ के अनुसार दाखिल खारिज के ऐसे केसेज में संबंधित व्यक्ति को लिखित में पटवारी लैंड रेकार्ड इन्सपेक्टर द्वारा या सीधी तहसील को सूचना देनी पडती है। इस प्रकार की सूचना यदि ३ माह के समय में दे दी जाती है तो दाखिल खारिज यथा समय भर दिये जाते हैं और यदि यह सूचना देने में देरी की जाती है तो उसके लिये संबंधित व्यक्ति ही जिम्मेवार ह।

श्री अब्दुल जब्बार : इत्तला देने के बाद भी चार-चार और पांच पांच साल तक दाखिल खारिज नहीं हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचना देने के बाद भी अगर खारिज नहीं हुए है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जावेगा, जिनके पास कागजात पडे रहते हैं। ५६३ केसेज तो पंचायतों के पास पड़े हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : पंचायतों के पास क्यों पड़े हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमानुसार पंचायत के पास ये जाने चाहियें और पंचायतों को उन्हें जल्दी फाइनलाइज करने चाहिये। क्यों पडे रहते हैं, उसके लिये कोई कारण होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अब्दुल जब्बार : सरकार को उन लोगों की तकलीफों का भी अन्दाजा लगाना चाहिये।

ग्राम हलेना में आग

६७५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि २१ जनवरी, ६३ को भरतपुर जिले की वैर तहसील के अन्तर्गत ग्राम हलेना में आग लग जाने से कई लोग बेघरबार हो गये हैं ?

(२) यदि हां, तो इस अग्नि-काण्ड से कितनी सम्पत्ति नष्ट हो गई है ?

(३) क्या सरकार द्वारा उन लोगों को, जिनकी सम्पत्ति नष्ट हो गई है, कोई सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें सहायता देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, १६ परिवार क्षतिग्रस्त हुए।

(२) अग्नि-काण्ड में ४,६१२ रुपये की अनुमानित सम्पत्ति नष्ट हुई है।

(३) क्षति ग्रस्तों ने कोई प्रार्थना-पत्र सहायतार्थ प्रस्तुत नहीं किये हैं। फिर भी नियमानुसार सहायता देने हेतु विकास अधिकारी को लिखा जा चुका है।

श्री रामकिशन : यह आप कैसे कहते हैं कि प्रार्थना-पत्र नहीं दिये गये हैं ? दिये हैं और पंचायत समिति में, जहां देने चाहिये, दिये गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। उनके पास जो फंड, अवेलेबल था उसमें से सहायता देते। मगर फिर भी हमने बी. डी. ओ. को लिखा, हमारे जब यह बात नोटिस में आई। १० हजार रुपये पंचायत समिति में इस काम के लिये दिये गये हैं अगर और जरूरत हो तो मांग करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : प्रार्थना-पत्र नहीं आये तो आपको कैसे मालूम हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न तो आया था।

श्री रामकिशन : आग लगे को ६ महीने हो गये, उनको कोई सहायता नहीं दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत समिति ने इसके लिये कोई मांग नहीं की। उन्होंने या तो उसकी क्षति-पूर्ति कर दी होगी या उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी होगी।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जिन लोगों के घरों में आग लगी उनको नुकसान हुआ है, उसके लिये अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वहां पर जन-प्रतिनिधि भी होते हैं। पंचायतों में सभी लोग हैं।

(विराम)

नेक्स्ट । श्री मानिकचन्द सुराणा ।

Page No 26

प्राइमरी व सेकन्डरी शिक्षा के डाइरेक्टर-पद पर नियुक्ति

६७६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार डाइरेक्टर, प्राइमरी व सेकन्डरी शिक्षा के पद पर किसी शिक्षा शास्त्री को नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

(२) यदि नहीं, तो डाइरेक्टर कालेज शिक्षा व डाइरेक्टर प्राइमरी व सेकन्डरी शिक्षा के पदों के लिये सरकार ो प्रकार की नीतियां को किस आधार पर अख्तियार किए हुई है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं ।

(२) डाइरेक्टर प्राइमरी व सेकन्डरी शिक्षा के पद के लिये ऐसे अधिकारी की अधिक आवश्यकता है जिसको प्रशासनिक अनुभव अधिक हो क्योंकि उसको एक बहुत बडी संख्या में जनता, पंचायत समितियों तथा दूसरे लोकल बाडीज से सम्पर्क करना पड़ता है । डाइरेक्टर कालेज शिक्षा के एज्यूकेशन सर्विस से ही नियुक्त किये गये हैं क्योंकि उनको अधिकतर विश्वविद्यालय तथा शिक्षा के बारे में अपने अनुभव से गाइडेन्स देनी पडती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में प्राइमरी और सेकन्डरी एज्यूकेशन के डाइरेक्टर के स्थानों पर शिक्षा विशेषज्ञों को ही नियुक्त किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी तो नहीं है, अगर किया हैं तो ठीक ही किया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यहां पर भी शिक्षा विशेषज्ञों को लेने की कोशिश करेंगे और प्रतिबन्ध हटाएंगे ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : प्रतिबन्ध नहीं है । आई. ए. एस. और नोन आई. ए. एस. को भी ले सकते हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या सरकार की यह मान्यता है कि शिक्षा शास्त्रियों को प्रशासनिक अनुभव नहीं होता है ? क्या सरकार की यह मान्यता है कि कोई भी शिक्षा शास्त्री प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मान्यता है कि शिक्षा शास्त्री में, ज्यादा प्रशासनिक योग्यता नहीं हो सकती है ।

श्री रामकिशन : कालेजों में छात्र वगैरह होते हैं, उन पर उनको कन्ट्रोल करना होता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : साधारणत: बालकों का प्रशासन होता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : क्या डाइरेक्टर का कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करना ही है और दूसरा कोई कार्य उसके जिम्मे नहीं है ? स्पेसिफिक वर्क नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये बोर्ड है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या आप ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जिसको प्रिन्सिपल और सेकन्डरी एज्यूकेशन का डाइरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है

(एक माननीय सदस्य)

कि मौजूदा व्यक्ति को आपने लगा रखा है वे अनुभवी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनके जैसा अनुभवी आदमी नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि रिटायर्ड मिनिस्टरों में कोई ऐसा आदमी मिल सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने सुना नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जोधपुर यूनिवर्सिटी बनी है और जयपुर में भी यूनिवर्सिटी है, उनके अन्तर्गत ३० कालेज आते हैं, तो डाइरेक्टर आफ कालेज को कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्टूडेंटों की संख्या भी बढ गई है।

श्री मोतीलाल चौधरी : ४० पर्सेन्ट स्टूडेन्टों को कन्ट्रोल करने के लिये डाइरेक्टर आफ कालेज अलग नहीं रख कर पहले है उनको ही रखा जावे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे डाइरेक्टर मौका पाकर अच्छा काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मौके का उपयोग करिये।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि बच्चों की शिक्षा कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्पेशेलाइज्ड सब्जेक्ट है इसीलिये तो स्पेशल आदमी रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

प्रति व्यक्ति आय में बढोतरी

६७७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढोतरी हुई है ? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से यह आय कितनी कम है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : रुपये ११) और रुपये १८)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बीच के सात कहां गायब हे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आगे का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेण्ट है।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : मेरा एक स्थगित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न लिया जाना चाहिये।

(दिनांक २२-३-६३ का स्थगित प्रश्न)

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत नागौर जिले में धनराशि

३८०. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत नागौर जिले में सन् १९६१-६२ में कुल कितनी धन-राशि दी गई व किन किन गांवों में कितनी कितनी धन राशि दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : कुल धन-राशि २,६४,०००) रुपया दी गई। प्रत्येक ग्राम को दी गई धन-राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती गौरी पूनिया : पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, क्या उसने रिपोर्ट पेश कर दी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उस कमेटी का निर्णय था कि डेजर्ट और सेमी–डेजर्ट गांव हैं वहां यह खर्च किया जाय, पर ६० प्रतिशत आपने नान डेजर्ट एरिया में रखा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : राजस्थान की पानी की समस्या को सुलझाने के लिये ४ करोड़ रुपया भारत सरकार से मांगा है, वह व्यवस्था होते ही इन स्थानों को प्रिफरेंस देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी :यह सवाल नहीं, सवाल यह है कि माथुर कमेटी की रिपोर्ट छपी है, उसमें डेजर्ट और सेमी–डेजर्ट के लिये ही २ करोड़ रुपया रखा था, पर आपने वहां एक प्रतिशत भी नहीं दिया। १६० लाख नान–डेजर्ट को दिया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह सूचना मेरे पास नहीं है, यह अलग सवाल है।

श्री मोतीलाल चौधरी : सूचना कैसे नहीं है ? इसी हाउस में प्लानिंग मंत्री ने कहा है, १६० लाख डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट के लिये होना चाहिये। वहां डेजर्ट एरिया की दो स्कीम्स हैं, बाकी सब नान–डेजर्ट की हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ६७८।

क्वार्टरली स्टेटमेंट

६७८. **श्री भैरोंसिंह** : (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नियुक्ति विभाग (ए) के स्पेशल सेक्रेट्री द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या डी. २६००।एफ. २३ (१८) एपाइन्टमेन्ट्स (ए) ५८ दिनांक २५ मार्च, १६५८ के अनुसार किस किस विभागाध्यक्ष ने रेग्युलरली क्वार्टरली स्टेटमेन्ट दिये हैं और किस किस ने नहीं और क्यों ? स्टेटमेन्ट नहीं देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) उपरोक्त आदेश में क्या कोई संशोधन हुआ है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(ग) इस आदेश के अनुसार कितनी विभागीय जांच (Departmental Enquiries) ६ माह से अधिक से पेन्डिंग है और कितने व्यक्ति ६ माह से अधिक से निलम्बित किये हुये हैं ? कृपया ऐसे निलम्बित व्यक्तियों की एक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) क्वार्टरली स्टेटमेंटों की नत्थियां अब उपलब्ध नहीं हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(ख) जी हां । यह संशोधन नियुक्ति विभाग के सर्क्यूलर संख्या डी. १६,६३३।५६। एफ.।१६ (२७) नियुक्ति (क) ।६० दिनांक १७-३-६० के आधार पर इसी विभाग के आदेश संख्या एफ. २३ (१८) नियुक्ति (क) । ५८।ग्रुप।३ दिनांक २०-६-६१ के द्वारा प्रसारित किया गया था । प्रश्न (क) में उल्लिखित आदेश के अनुसार प्राप्त होने वाले स्टेटमेंटों का उपरोक्त सर्क्यूलर दिनांक १७-३-६० के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले स्टेटमेन्टों के साथ साथ चालू रहना उचित नहीं समझा गया ।

(ग) नवीन आदेश के अनुसार प्राप्त हुए १९६२ के स्टेटमेंटों से मालूम होता है कि ३७४ विभागीय जांच के मामले ६ माह से अधिक अर्से से जेर तजवीज हैं और ३८७ राज्य कर्मचारी ६ माह से अधिक अर्से से निलम्बित दशा में चल रहे हैं। ऐसे निलम्बित कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बता सकते हैं कि क्वार्टरली स्टेटमेन्ट पेश किये जाने थे वे सब डिपार्टमेंट रेगुलरली पेश करते आये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शुरू में जब प्रोविजन किया गया था तो अनुभव यह रहा था कि रेगुलरली स्टेटमेंट नहीं आये ।

श्री भैरोंसिंह : आपको यह अनुभव होने के बाद, अमेंडमेंट किया गया, क्या रेगुलरली स्टेटमेंट आ रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बाद भी कुछ कमी है ।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन लोगों ने रेगुलरली स्टेटमेंट नहीं भेजे उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समय समय पर आदेश व सर्कूलर निकाले गये हैं और कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उचित समझती है कि जो लोग ५४ से निलम्बित रहे और डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी खत्म नहीं हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उचित नहीं समझती ।

श्री भैरोंसिंह : उचित नहीं समझती तो उन्हें रीइन्स्टेट करने में क्या बाधा उपस्थित होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रीइन्स्टेट करने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने सम्पन्न नहीं किया, सर्कूलर्स भी इसीलिये निकाले हैं फिर भी स्टेटमेंट नहीं देते और सरकार को यह पता नहीं चलता कि कब से कौन कौन निलम्बित हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस संबंध में सरकार और सतर्कता से काम लेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या दूसरे केसेज से प्रायोरिटी देकर किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, ऐसा किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

Page No 30

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(प्रश्न–समय में न पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order, Sir. हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ३-४ माननीय सदस्यों के ही पूछे जाते हैं, बाकी के सदस्यों के होते हैं तो बाकी रह जाते हैं। इसलिये एक एक माननीय सदस्य का एक एक प्रश्न पूछा जाय ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं ।

श्री विजयसिंह झाला : हमेशा ऐसा होता है ।

श्री अध्यक्ष : हमेशा ऐसा नहीं होता, यह बात असत्य कहते हैं, माननीय सदस्य !

(१२. ७. म. प.)

जन लेखा व प्राक्कलन समितियों के नामजद सदस्यों के नाम वापिस लेने सम्बन्धी व्यवस्था

जिन माननीय सदस्यों के नाम समितियों में नामजद हुए हैं उनमें से कोई अपना नाम वापिस लेना चाहें तो ३ बजे से पहले ऐसा कर लें ताकि दूसरी कार्यवाही करने में सुविधा हो ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सदन की बैठक समाप्त होने तक रखें तो अच्छा रहेगा

श्री अध्यक्ष : इसमें दिक्कत होती है । कई फार्म लिखने पड़ते हैं, वैसे पहले ५ बजे तक का ही विचार था ।

एक माननीय सदस्य: ५ बजे तो रिप्लाई होगा ।

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई ३ बजे ही शुरू हो जायगा, मुखबन्ध एप्लाई होगा इसलिये ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : रोजाना तो ६-७ बजे तक चलता है ।

श्री अध्यक्ष : आज ६–७ नहीं बजेंगे, निर्धारित समय पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : प्राक्कलन समिति से मैं अपना नाम वापिस लेता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं दोनों कमेटियों से अपना नाम वापिस लेता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं एस्टीमेट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं एस्टिमेट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूं ।

श्री अमरसिंह (दूदू) : मैं पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी से अपना नाम अपने नेता की इजाजत से नाम वापिस लेता हूं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बीच में नेता कहा से आ गये ?

श्री अध्यक्ष : यह विशेष तौर से उल्लेख कर दिया है कि कभी कोई कहे कि वापिस क्यों लिया तो कह सकें कि इसलिये लिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नाम भी वापिस लें और अहसान भी नहीं हो तो क्या मतलब ।

Page No 31

श्री अध्यक्ष : श्री बालकृष्ण कौल

सदन की मेज पर रखी गई वित्त विभाग की अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : माननीय अध्यक्ष, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) ।६३–I दिनांक २३ मार्च, १९६३ ।

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३–II दिनांक २३ मार्च, १९६३ ।

(३) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३–III दिनांक २३ मार्च, १९६३ ।

(४) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३ VI दिनांक २३ मार्च, १९६३ ।

(५) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३–V दिनांक २३ मार्च, १९६३ ।

मांग संख्या १५ व ९–शिक्षा व सामान्य प्रशासन ।

श्री रामकिशन (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,६४,०८,००० तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,२६,०००) तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

मांग संख्या १५

१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता के दुरुपयोग पर विचार करने हेतु) ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

मांग संख्या ९

१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्व मंडल के सदस्यों में से सीनियर प्रशासन अधिकारियों की कमी की जाकर Judicial experienced की

Page No 32

(श्री तेजाराम गहलोत)
नियुक्ति की जाने के प्रश्न पर बहस करने हेतु ।)

२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्व मंडल के सदस्यों में Revenue Laws का अनुभव न होने के कारण Revenue Laws का सही तरीके से अनुपालन न हो सकने पर बहस करने हेतु) ।

श्री दुर्गालाल बाडदार (हवामहल, जयपुर):

मांग संख्या १५

१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति के समय उनकी समुचित योग्यता का ध्यान न रखने के कारण उत्पन्न दोषों पर बहस करने के लिये) ।

२. मांग सख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षालयों में चरित्र निर्माण पर ध्यान न देने से देश में इसके पडने वाले प्रभावों पर बहस करने के लिए) ।

३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा स्टैण्डर्ड में गिरावट आने से उत्पन्न दुर्गुणों पर बहस करने के लिए)।

४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पाठ्य पुस्तकों के समय पर उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाईयों पर बहस करने के लिए) ।

५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर शहर में हायर सैकेण्डरी स्कूल्स के अभाव पर बहस करने के लिये) ।

मांग संख्या ९

६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सचिवालय में अहलकारों व चपरासियों की दयनीय अवस्था व उनके साथ अधिकारियों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न असन्तोष पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सचिवालय के उच्चाधिकारियों के कार्य-प्रणाली पर समुचित नियन्त्रण न होने से प्रशासन में ढिलाई पर बहस करने हेतु) ।

श्री **रामकिशन** (वैर) :

मांग संख्या १५

१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षकों की स्थिति पर विवाद हेतु) ।

२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (साहित्य एकेडेमी की व्यवस्था पर विवाद हेतु) ।

३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में स्कूल तथा पोलो टेकनिक खोलने पर विवाद हेतु) ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :
मांग संख्या १५

1. Demand No. XV, Major-Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government in achieving the objective of the fee in compulsory Primary Education).

2. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss the feasibility of increasing the retirement age of the Primary teachers from 58to 60 years).

श्री गंगासिंह राठोड (जायल) :

मांग संख्या १५

1. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss about Primary Education in Rajasthan).

2. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss that Government has not made sufficient provisions for military education in Rajasthan).

3. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss that Rajasthan Government has not opened sufficient School and Colleges for technical education).

4. Demand No. XV, Major Head; 28-Education be reduced by rupee one (to discuss that Government has not made sufficient amount for research institutes).

5. Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by rupee one (to discuss that in Rajasthan there are not sufficient Colleges for Medical and Engineering).

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय उप मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ने, दो मांगें शिक्षा और सामान्य प्रशासन सम्बन्धी सदन में प्रस्तुत कीं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की मांग का सम्बन्ध है इसके बजट के आंकडों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पिछले अनेक वर्षों से यह शिक्षा का बजट बढता जा रहा है। शिक्षा पर खर्च की जाने वाली धन राशि बढ़े इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमारे संविधान में, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य की यह मौलिक जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य में प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी करे और फ्री करे। मैं समझता हूं किसी भी देश की उन्नति के लिये शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिये जहां तक बजट का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि किधर भी बैठने वाले माननीय सदस्य शिक्षा में बजट के व्यय की बढोतरी के सम्बन्ध में विरोध नहीं करेंगे लेकिन एक बात जरूर है कि आज राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, वह भारी चिन्ता का विषय है।

Page No 34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चायें हुई हैं। राज्य सरकार ने कई बार आश्वासन दिये कि शिक्षा स्तर को सुधारने का प्रयत्न करेगी, लेकिन मुझे बडा अफसोस है कि आज तक भी, इतने आश्वासनों के बावजूद भी राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को सुधार नहीं पायी। हम किसी शिक्षा पर विचार करें, प्राईमरी से युनिवर्सिटी शिक्षा तक, हम इस बात को पायेंगे कि एजुकेशन का स्टेन्डर्ड निरन्तर गिरता जा रहा है। आज ये शिक्षा के केन्द्र, विद्या के केन्द्र, कितनी ही जगह राजनैतिक दांव-पेच के अखाडे बनते जा रहे हैं जो एक दूसरे को नीचा गिराने के परिचायक हैं। जहां पर धन का दुरुपयोग होता है, अपव्यय होता है, अध्यापकों में व्याप्त असंतोष को लेकर हो, कहीं उनके प्रमोशन को लेकर असंतोष हो, उनके फिक्सेशन को लेकर असंतोष हो, उनके ट्रान्सफर को लेकर असंतोष हो, मैं समझता हूं इस प्रकार की स्थिति में जो शिक्षा का काम चल रहा है सरकार की बडी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में शिक्षा विभाग पर १३,९३,९९,००० रुपयों का खर्चा करने जा रहे है जो २२ पर्सेन्ट हमारे बजट का होता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में जिस प्रकार शिक्षण संस्थाओं की हालत है, इस सारे बजट में से ४ करोड रुपया प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स और लोकल बोडीज को देना है जो शिक्षा का संचालन करती हैं। पिछली बार सदन में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सवाल रखा, तथ्य प्रस्तुत किये थे–लगभग १ करोड की राशि जो नयी शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट में दी जाती हैं उसका किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। सदन में आंकडे प्रस्तुत किये गये, असल हिसाब–किताब तक पेश किये गये जिससे साबित होता था कि अध्यापकों को तनख्वाह कम दी जाती है और हिसाब में जो वेतन की राशि बतायी जाती है उससे उनको कम राशि दी जाती है, इस प्रकार हिसाब दिखा कर अधिक अनुदान लिया जाता है, गरीब अध्यापकों के पेट भरने में वह तनख्वाह नहीं पहुंचती, उनको पूरा पैसा नहीं मिलता और जब उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है तो उनकी विद्या देने में रुचि नहीं रहती। उनमें एक प्रकार का असंतोष रहता है। राजस्थान में इस प्रकार की मशरूम इन्स्टीट्यूशन्स की भरमार होती जा रही है। नकली पर्चे छपवाये जाते हैं, सर्टिफिकेट छपवाये जाते हैं, लोगों से पैसा लेकर नकली सर्टिफिकेट दिये जाते हैं, जाली दस्तखत बनाये जाते हैं, हैड मास्टरों की जाली मोहर बनवा कर उनकी मोहर लगायी जाती है, इस प्रकार की अनेक घटनायें राजस्थान में हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था रखी इन इन्स्टीट्यूशन्स की जांच के बारे में। न राज्य सरकार ने जांच की इन सारे केसेज के बारे में, न शिक्षा विभाग ने जांच की। उनको ग्रान्ट-इन-एड बदस्तूर मिलती जाती है। मैं इस सम्बन्ध में विशेष समय नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक करोड की धनराशि नयी शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट के रूप में देते जिसका इस प्रकार दुरुपयोग होता है। राज्य सरकार के सामने जितने तथ्य आयें, माननीय मंत्री महोदय जांच करेंगे और नयी शिक्षण

Page No 35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संस्थाओं में अध्यापकों को वेतन दिया जाता है; मेरा सुझाव है कि यह गवर्नमेन्ट ट्रेजरी से दिया जाय या उनको चैक से दिया जाय। राज्य सरकार को विचार करना चाहिये कि इन शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापक हैं जितना वेतन हिसाव किताब में दिखाया जाता है वास्तव में उतना नहीं मिलता है। उसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके साथ साथ, राजस्थान में मशरूम इन्स्टीट्यूशन्स बढ़ती जा रही हैं। उनका नियमन करने के लिये राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। जाली मोहर बना कर लगवाना, हैड मास्टर के दस्तखत बना कर एप्लीकेशन्स फोर्वर्ड करना, एग्जामिनर बन कर, यूनिवर्सिटीज बन कर जो इन्स्टीट्यूशन्स इस प्रकार का काम कर रही हैं उनको सख्ती से कम करना चाहिये नहीं तो नतीजा यह होगा कि शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो टीचर्स हैं उनको पंचायत समितियों के अधीन दिया गया है। सदस्यों ने पिछले दिनों और गत सेशन में भी मांग की थी कि जो हालत आज प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की हालत है, १३-१४ करोड का बजट होने पर भी, राजस्थान में यदि दयनीय अवस्था यदि किसी की है तो वह है उन गरीब अध्यापकों की। ये वही अध्यापक हैं जिनका प्रमोशन नहीं होता, ये वे ही अध्यापक हैं जिनका फिक्सेशन नहीं होता और फिक्सेशन होकर जिनको एरियर्स नहीं मिलता। उनके सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने मांग की सदन में। राजस्थान में पांच सात साल से काम करने वाले ऐसे अनेक अध्यापक हैं जिनका लाखों रुपयों का एरियर्स बकाया है। उनके एरियर्स का भुगतान नहीं होता है। अकेले जयपुर जिले में सात लाख रुपये हैं एरियर्स के। शिक्षा विभाग धांधली करता है। इन्स्पेक्टर की गलती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गरीब अध्यापकों का प्रमोशन न करे, फिक्सेशन न करे, एरियर्स न चुकायें इससे अधिक और शर्म की और कलंक की बात राज्य सरकार के लिए क्या हो सकती है। जब तक अध्यापकों को वेतन नहीं मिलेगा, उनका फिक्सेशन नहीं होगा उनमें संतोष व्याप्त नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप १३ करोड की जगह २३ करोड ले लीजिये शिक्षकों का वेतन समय पर नहीं देंगे और उनका प्रमोशन और फिक्सेशन समय पर नहीं करेंगे और एरियर्स नहीं देंगे तो उनमें घोर असंतोष व्याप्त रहेगा और शिक्षा का स्तर आप ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि एक अध्यापक है। ३० रु० तनख्वाह थी। उसकी तनख्वाह ३५) से ४०) हो गई। वह ८ वर्ष तक तनख्वाह लेता रहा लेकिन फिर उसको ३०) रु० में रखा गया। उसने कई रिप्रेजेन्टेशन किये, पंचायत को किये, गवर्नमेन्ट को रिप्रेजेन्टेशन किये, डाइरेक्टर को रिप्रेजेन्टेशन किये, कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अन्तः उसने यह कहा कि मैं आपके दरवाजे पर भूख हड़ताल कर दूंगा तो अधिकारियों ने लिखा कि भूख हडताल की तो पुलिस के हैंड ओवर कर दिये जाओगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा): I would like to know the name of the particular teacher

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैं आपको बता दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एप्लीकेशन आपके पास भी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी स्मृति सजग हो जावेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्मृति आपकी काफी सजग है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण दें और उनको रखें, दो-चार इन्स्टान्सेज सामने रखें ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं आपके आदेश से वह पढ देता हूं । विकास अधिकारी पंचायत समिति हुर्डा जिला भीलवाडा का है पत्र । पत्रांक २५३७ दिनांक ७-३-६२ । श्री निरीक्षक, शिक्षणलय भीलवाडा के पत्रांक आई. एस. जी. एच. पी. एस. फिर ६१-६२ दि. ६-३-६२ के अनुसार आपको लिखा जाता है कि "आपने हडताल की धमकी गत वर्ष भी दी और अभी भी दि. ९-३-६२ से हडताल करने की गीदड धमकी दे रहे हो ।

स्मरण रहे कि इस प्रकार हडताल आदि करने की धमकी देना राजस्थान कर्मचारी नियम के विरुद्ध है । यदि आपने ऐसा किया तो आपको सस्पेन्ड कर पुलिस के हैण्ड ओवर कर दिया जायगा तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जायगी ।"

यह उसको धमकी दी गई कि अगर तुमने भूख हडताल की तो सस्पेन्ड कर दिये जाओगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कहां का मामला है ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह मामला आपको भी पता है । मैं आपको बता दूं । आप कर क्या सकते हैं ? आपके पास एक अध्यापक रिप्रेजेन्टेशन लेकर आया कि मुझे सस्पेन्ड कर दिया गया है, मैं सर्विस में नहीं हूं । आपने उस पर आदेश दे दिया कि इनको रख लिया जाय, आपने टेलीफोन कर दिया डिप्टी डाइरेक्टर को कि इसको रख लिया जाय लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी मिनिस्टर के आर्डर को नहीं मानता । जिसके बारे में पिछली बार भी मैंने बताया । आखिर आप कर क्या सकते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह अध्यापक तो यह बात नहीं कह सकता । आप कैसे कह रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : अध्यापक तो संजीदा हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपसे नहीं कह सकता था, इसलिये माननीय सदस्य को उसने कहा है, वे आपको बता रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो आपको डाउन करना नहीं चाहता ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके कहने मात्र से कोई डाउन नहीं होता ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैंने पिछली बार भी सदन में भाषण दिया था और इस संबंध में आपके सामने तथ्य रखे थे, इसकी आपको जानकारी भी है । यहां तो ऐसा है कि डिप्टी मिनिस्टर को डिप्टी डाइरेक्टर

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

नहीं मानता। डिप्टी सेक्रेट्री, डिप्टी मिनिस्टर को नहीं मानता। लेकिन इसके साथ साथ यहां तो यह भी हाल-चाल है कि एक एल. डी. सी., एक कॉलेज के प्रिन्सिपल को नहीं मानता। प्रिन्सिपल की क्या हैसियत कि उस एल. डी. सी. को निकाल बाहर करे। कॉलेज के एक प्रिन्सिपल रेगुलर अपॉइन्टेड प्रिन्सिपल उसको एक एल. डी. सी. जो सिफारिश के बल बूते पर रखा हुआ है उसने उस प्रिन्सिपल को छः महीने से घर बैठा रखा है।

अध्यक्ष महोदय, वे प्रिन्सिपल कोई साधारण नहीं है उदयपुर के मीरां गर्ल्स कॉलेज के प्रिन्सिपल हैं। रेपुटेड हैं उनकी इन्ट्रीग्रिटी के बारे में कोई भी शक नहीं कर सकता। लेकिन उस प्रिन्सिपल को इन एल० डी० सी० साहब ने कॉलेज से निकलवा दिया है। उन्होंने इस एल० डी० सी० को ट्रान्सफर करना चाहा, उसकी सर्विसेज टर्मीनेट करनी चाही, लेकिन उसने एक ऐसा जेक लगा दिया जिससे न उसका ट्रान्सफर हो सका न उसकी सर्विसेज टर्मीनेट हो सकीं। आज हालत यह है कि एल० डी० सी० मौजूद है और प्रिन्सिपल साहब घर बैठे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। वे किसी के संबन्धी बताये जाते हैं, उनका अपॉइन्टमेंट भी इसी कारण हुआ है कि उनका संबंध मुख्य मंत्री जी से है और उनका हाथ उनके ऊपर है। उनका भी हाथ हो सकता है, हो सकता है उनके किसी रिश्तेदार का हाथ हो। मैं आपकी इजाजत से एक पत्र सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। यह एक पत्र है, अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एज्युकेशन का––

"Director of College Education,
Rajasthan, Jaipur
D.O. No. F. 1 (59) EA/DW/62/629
dated 16-10-62

Dear Mrs. Shekhar,

The Chief Minister has desired that Shri Banwari Lal Sharma, L.D.C., be appointed to your College. I have, therefore, issued the orders today transferring him to your College.

You spoke to me about some improper letters that this clerk wrote to students. You also told me that you have forwarded the letters to Shri Saxena. I am unable to find them in the records of this office. If the letters have been returned to you, I should like you to forward them to me.

This may kindly be treated as urgent".

श्री निरन्जनाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, क्या माननीय सदस्य ओरीजिनल पत्र पढ रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : ओरीजिनल तो आपके पास होगा। मेरे पास कहां से आयगा ? यह ओरीजिनल की कापी है, मिला लीजिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसकी नकल रख दी जाय, ताकि इस बारे में कार्यवाही हो सके।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आदेश दें तो मैं आपको ओरीजिनल भी बता दूगा।

श्री भैरोंसिंह: (किशनपोल, जयपुर): मैं आपको यह भी बता दूं, मामला मुख्य मंत्री का है। शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकते।

श्री रामकिशन (वैर): कर सकते हैं, नहीं तो इस्तीफा तो दे सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: ये तो अ-प्रासंगिक बातें हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह आपके बूते की चीज नहीं है, दा साहव।

श्री अध्यक्ष: यह भी अप्रासंगिक चीज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आज इस प्रकार से एक एल० डी० सी० जी तो विराजमान हैं और उस प्रिन्सिपल को घर बैठना पडा है। मैं ज्यादा इसके कोरस्पोन्डेन्स में जाना नहीं चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि एक मिस तारा आर्य हैं जिनके फूफे का समर्थन इनको प्राप्त है। यह हालत एज्युकेशन डिपार्टमेंट की है। तो आप आशा मत कीजिये कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं से निकले हुए आइ० ए० एस० के कंम्पीटिशन में आ सकेंगे, ऐसी शिक्षण संस्थाओं से निकले हुए ऑल इन्डिया सर्विसेज में आगे जा सकेंगे।

आप किसी भी इन्स्टीट्युशन को ले लीजिये, प्राइमरी स्कूल्स को ले लीजिये, हायर सैकेन्ड्री को ले लीजिये, कॉलेज एजुकेशन को ले लीजिये, युनिर्वासिटी एजुकेशन को ले लीजिये। इनके लिये जहां हम करोडों रुपये की ग्रान्ट-इन-एड देते हैं जो एजुकेशन का स्टेंडर्ड सुधारना चाहिये किन्तु राज्य सरकार इस संबंध में ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय युनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट विल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ उस समय मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि हम किसी का पक्ष लेना नहीं चाहते, लेकिन यह सदन को विदित है कि जब यह विल आया तो हम लोगों ने उस समय कहा था कि इसमें कुछ दाल में काला है। लेकिन मुख्य मंत्री ने कहा कि ऐसी शंका करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। लेकिन जब अमेन्डमेन्ट विल पास हो गया आपने देखा होगा कि सिन्डीकेट डिजोल्व कर दी गई, सीनेट भंग कर दिया गया, नया बना दिया गया। लेकिन जो सिन्डीकेट बनाया गया उसके संबंध में अदालत कहती है: "A review of these contentions would show that a serious matter about the legal ty of the constitution of the syndicate is to be decided. The pleas of the plaintiff are worth consideration and cannot be discarded outright. Plaintiff has been able to make out a *prima facie* case about the illegal constitution of the syndicate. यह जजमेन्ट जयपुर के मुन्सिफ कोर्ट ने १३-१२-६२ को दिया है।

Gulab Chand Sharma.........., Plaintiff Vs. Registrar, University of Rajasthan and 15 others....Defendants. Suit No. 615/1962.

आप इस प्रकार से युनिर्वासिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड कर रहे हैं। राजस्थान युनिर्वासिटी को राजनीति का अखाडा बना रखा है। अदालतों में मुकदमें चलते रहें। वहां के रजिस्ट्रार्स, डीन्स ऑफ दी फेकल्टी जाकर पैरवी करते रहें। आखिर इन सब

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

की जिम्मेदारी किसकी है ? सरकार की है । सिन्डीकेट आपने बनाया है कानून के अन्दर परिवर्तन करके आपने बनाया है, सरकार अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग कर रही है इतना मात्र ही कहना चाहता हूं इसी कारण यह सब परिस्थिति पैदा हुई है ।

एक तरफ तो हमारी युनिवर्सिटी एजुकेशन और नीचे की एजुकेशन का यह हाल है । प्राईमरी स्कूलों के अध्यापकों की सिनीयोरिटी लिस्ट नहीं बन पाई है उन लोगों को एरियर्स नहीं मिल पाये हैं फिर किस तरह से आप अध्यापकों से आशा कर सकते हैं कि वे मन लगा कर लडकों को पढावें । एक तरफ तो शिक्षा की हालत यह है । दूसरी तरफ, हमने नेशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स कर रखा है उसका भी हाल देखिये । इम्तिहान लडकों के सिर पर हैं लेकिन बाजार में किताबें उपलब्ध नहीं होती । माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है ? लडके यदि फैल होते हैं किताबों के अभाव में तो यह जिम्मेदारी किसकी है ? आज बाजार में हाई स्कूल की किताब नहीं मिलती । छठी से लगा कर आंठवीं तक किताबें उपलब्ध नहीं है । आखिर स्कूलों में किताबें मिलती नहीं, तो स्टेंडर्ड ऑफ एजुकेशन किस प्रकार से बढेगा; लडके फैल होंगे तो उनको एडमिशन आगे नहीं मिलेगा ।

आप अगर उनको एडमिशन नहीं देंगे तो क्या यू० पी० वाले देंगे ? कौन व्यवस्था करेगा इनकी ? थर्ड डिवीजन में पास होने वालों को नहीं देना चाहते तो आप कह दीजिये साफ साफ कि हम थर्ड डिवीजन को उडाना चाहते हैं । आपने आज तक राजस्थान में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने और सुधारने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया ।

पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आप उठा कर देखें । अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में आज राजस्थान के हमारे स्कूल के लडकों के बारे में जो चित्रण मिलता है उससे साबित होता है कि हमारी शिक्षा का क्या स्टेंडर्ड है ? स्तर दिन दिन गिर रहा है । यह गम्भीर चिन्ता का विषय है । आज हमारी स्कूलों में बच्चों को यह नहीं बताया जाता कि हमारे यहां के गवर्नर कौन हैं, विधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं, विधान सभा क्या है । राजस्थान की भूगोल का परिचय उनको नहीं कराया जाता । यहां के वीरों के इतिहास का परिचय उनको नहीं । हमारे यहां के और देश के साहित्य और संस्कृति का उनको परिचय नहीं । ये हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ कर निकलने वाले विद्यार्थी पी० एस० सी० के इन्टर्व्यू में सवाल पूछने पर कि आपकी विधान सभा के स्पीकर कौन हैं ? कहते हैं भैरोंसिहजी शेखावत । मैं निवेदन करूं कि इनकी शक्ल मिल सकती है, पर पद तो अलग अलग हैं । उनको यह भी मालूम नहीं कि कोचीन कहां है । कह देते हैं कि इन्डो-चाइना के पास है । पी० एस० सी० ने ये हवाले दिये हैं अपनी रिपोर्ट में ।

इसका कारण क्या है, सरकार का शिक्षा के प्रति उदासीनता का, अवहेलना का दृष्टिकोण । इम्तिहान पास आ जाते हैं, पर पुस्तकें नहीं मिलतीं । जो पढाया जाना चाहिये, नहीं पढाया जाता, जो पुस्तकें पढाने के लिये रखी गई है उनकी हालत यह है कि जिसके नमूने दूसरे कई सदस्यों ने सदन के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सामने रक्खे हैं, उनमें भीखाभाई की जगह भीखानाई लिख दिया जाता है। ऐसी बातों से सरकार की राष्ट्रीयकरण बोर्ड की पुस्तकें भरी पडी हैं। बीसों मिसालें इसकी सदन में दी गई हैं। पर एक यह सरकार है जिसकी कान पर जूं नहीं रेंगती। किताबों का पता नहीं। मिलती नहीं बाजार में वे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आठवीं की एक पुस्तक है आधुनिक कृषि शास्त्र। मुझे किसी ने पत्र लिखा जिसका बच्चा स्कूल में पढता है। वह लिखता है आजकल तो आपकी सरकार इन बच्चों को यह पढाती हैं। मैं वह सब इस पत्र में लिख नहीं सकता, आप स्वयं पुस्तक बाजार से मंगवा कर देख लें। मैं जाकर लाया हूं। कोशिश की पर पुस्तक पढी नहीं गई मुझ से। आप उस पुस्तक के पैरा को पढ कर सुनावें तो सुना नहीं सकते। मन्त्री महोदय स्वयं बहक जावेंगे। ऐसी सूगली बातें इसमें है, जो आठवीं क्लास के बच्चों को सैक्स के सम्बन्ध में बताई जाती हैं। इतनी नैकेड बातें इसमें बताई गई हैं कि जो वे स्वयं पढकर सदन में नहीं सुना सकते। तो जहां आज आठवीं कक्षा की यह बात है, वहां उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा वेंगे? आप तो वे बातें पढावेंगे कि जिनसे धौलपुर वाले काण्ड होंगे। तालाब में डूब मरेंगे। रेल से कट कर मरते मिलेंगे विद्यार्थी आपको। आपने अपना यह स्टेन्डर्ड और एटमोस्फियर बना कर रक्खा है। आपके पढाये हुए विद्यार्थी आज क्रिमिनल बन रहे हैं। उनका आज नैतिक चरित्र गिरावट की तरफ जा रहा है।

दो साहब समझते होंगे कि मेरे पास तो खादी का काम है, कोई चिन्ता नही है आपको, डिप्टी बडा तगडा आदमी लगा दिया है इसलिये। पर ये डिप्टी मिनिस्टर खुद कुछ नहीं कर पाते।

आज एजुकेशन की एक तरफ यह हालत है, तो दूसरी तरफ हालत क्या है अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज इतना सारा जो भी बजट है वह किसमें जाता है? मै बताऊं आपको। वह इसमें जाता है कि हम किसको पेट्रोनाइज करें, किसको निहाल करें, किसको लुटावें यह पैसा। एक डी. पी. आर. का महकमा है। अनेक बार उसकी चर्चा इस सदन में होती रही है। यह सबको मालूम है कि किस प्रकार डी. पी. आर. के महकमे के द्वारा काले कारनामे सामने आते हैं। उसके क्या कारनामे हैं। किस तरह से वह ईमानदार स्वस्थ्य पत्रकारों, को जो कि लोकतन्त्र के प्रहरी हो सकते हैं, पनपने नहीं देता। जो डी.पी.आर. पर चार्जेज थे, उनका आज शिकार दुर्भाग्य से हमारा यह शिक्षा का महकमा भी हो गया है। अपने किसी एक आदमी के अखबार को प्रोत्साहन देना, संरक्षण देना उसको पेट्रोनाइज करना आज इसके कारनामे हो गये हैं। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी इस का जिक्र किया था।

एक एक अखबार को लाखों रुपयों का पेमेन्ट इसलिये किया जा रहा है कि उसमें विशेष इन्ट्रस्ट है किसी को। जो अखबार नियमित रूप से निकलता नहीं, छोटे बच्चे जिसको समझ नहीं सकते, मालूम नहीं हमारे उप–मन्त्री महोदय, ने किस कानून के तहत उसके लिये एक आज्ञा जारी की कि लोग और संस्थाए उसको कम्पलसरिली खरीदें। मैंने इसके लिये शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया है। आपने आज्ञा निकाली है कि एक साप्ताहिक है जिसे सारे इन्स्टीट्यूशन्स में कम्पलसरिली लेना होगा। आदेश आपने जारी कर दिया। मैं पूछता हूं यह आदेश आपने किस कानून के अन्तर्गत निकाला ? डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ सोशियल एजुकेशन को आदेश दिया आपने, उसने इन्सपेक्टर को दिया, उसने सभी स्कूलों में जारी कर दिया। एक अखबार है जो नियमित निकलता नहीं, कल से मैं कोशिश कर रहा हूं उसे प्राप्त करने की, पर मुझे भी अभी तक पूरी कॉपियां मिलीं नहीं हैं । बड़ी मुश्किल से एक कॉपी हाथ में आई है। कहीं पर नहीं मिला पूरा सैट। उसके लिये बहुत दौड-धूप की, पत्रकारों के दफ्तरों में भी गया। उनसे भी कहा कि आपके पास सचित्र राजस्थान की प्रति होगी तो वह दो। राजस्थान विधान सभा की लाइब्रेरी में भी उसे ढूंढने गया, पर यहां भी नहीं आती। अच्छी अच्छी लाइब्रेरियों में गया, पर वहां भी उसके दर्शन नहीं हुए। लोगों ने कहा मुझे कि वह तो निकलता नहीं । बराबर छपता भी नहीं । स्कूल के इन्सपेक्टरर्स ने शिकायतें की कि वह अखबार बराबर उन को नहीं मिलता। ग्राहकों को नहीं मिलता। तो फिर लाख रुपये का पेमेन्ट उसको कैसे हो रहा है ? सभी स्कूलों में वह जावेगा, कम्पलसरिली जावेगा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह १३ करोड का बजट इस विभाग को सरकार इसलिये नहीं देती, यह सदन उसको इसलिये नहीं पास करता, जनता अपनी गाढी खून पसीने की कमाई का यह पैसा उनको इसलिये नहीं देती कि जिन अखबारों में मन्त्रियों की तस्वीरें छपें, फुल साइज में छपें, जो उनके कृपापात्र हों, उनके अखबारों को तो सारी इन्सटीट्यूशन्स में कम्पलसरी कर दियां जावें। लाखों रुपयों का पेमेन्ट उनको दे दिया जावे, जो बराबर नहीं निकालता। मैं माननीय मन्त्री महोदय, से कहूंगा, सम्बन्धित मन्त्री को कहूंगा, सरकार से कहूंगा कि वे पिछले दो महीने के चार महीने के रेगुलर अंक उस अखबार के सदन में प्रस्तुत करें। सौ दो सौ कापियां निकाल दीं और हडप गये लाखों रुपये यों ही। इन्सपैक्टर शिकायतें करता है, राज्य सरकार को लिखते हैं कि यह अखबार नहीं मिलता बराबर, नियमित नहीं निकलता इसे हम कैसे पैट्रोनाइज करें। पर इन उप-मन्त्रीजी पर कोई असर नहीं पडता। नहीं निकले तो नहीं निकले नियमित, इससे उनको क्या ; उनको तो अपने आदमी को, अपने एक कृपापात्र को पैट्रोनाइज करना है, उसको लाखों रुपया देना है। गनीमत इतनी ही है कि उन शिकायत करने वाले इन्सपैक्टर साहबों के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अगर अपने किसी कृपा-पात्र को संरक्षण ही देना चाहती है तो दे। उसके अखबार को एप्रूव कर सकती है, पर उसको कम्पलसरिली खरीदने के लिये आदेश कैसे दे सकती है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सरकार ने एक आदेश निकाला है। सेक्रेटेरियट से निकाला है और उस आदेश में लिखा है। कॉपी आफ लटर, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है।

Page No 42

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"Copy of letter No. F. 2 (68) Ed—(iv) dated 5th November, 1962 from Secretary to Government Education Department Raj., Jaipur to the Dy. Director Social Education 'Rajasthan, Jaipur.

Subject.—Purchase of Sachitra Rajasthan.

I am directed to say that the weekly magazine 'Sachitra Rajasthan' published by Shri Krishna Kumar Ranga, Jagti Jyoti Press Mishra Raja ji ka Rasta,Jaipur may be subscribed as a special case by all the educational institutions for which the magazine has already been app oved. The institutions may subscribe to the magazine from their individual budgets under intimation to this department."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि यह सरकार का आदेश किस नियम और व्यवस्था और परम्परा के आधार पर निकाला गया है ?

इसमें फिर सबसे बडा ताज्जुब यह है कि इसका सालाना चन्दा है ३६) रु० राजस्थान का सबसे अच्छा दैनिक निकलता है राष्ट्रदूत, लोकवाणी, राजस्थान पत्रिका, नवयुग, नवज्योति आदि और भी जितने हैं निकलने वाले उनमे से किसी का भी चन्दा वार्षिक ३६) रु० नहीं है। दिल्ली से निलकने वाले हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान का चन्दा भी इतना नहीं है। शंकर्स वीकली का चन्दा ३६) रु० वार्षिक नहीं है और जहां तक मेरी जानकारी है हिन्दुस्तान में और राजस्थान में खास कर के कोई साप्ताहिक पत्र ऐसा नहीं है जिसका सालाना चन्दा ३६) रु. हो। अब विशेष कर इस अखबार के स्टेन्डर्ड के बारे में तो क्या कहूं।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रवृत्तियां आपकी क्यों? ये हरकतें और आपके कारनामें क्यों? इस तरह से रुपया बहाते क्यों? किसी को किसी अपने चाटुकार को, कृपापात्र को फेवर करने का यह तरीका क्यों ? ये पेट्रोनेज क्यों ? इसलिये कि आपकी उसमें तस्वीरें छपती हैं? अगर इसके लिये आप हमसे बजट चाहते हैं तो हम आपको बजट नहीं देंगे। मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह प्रवृति जो हमारे इस शिक्षा विभाग में हैं, अगर वह और सारे विभागों में चल पडी तो इस राजस्थान का तो कल्याण हो जायगा और इसलिये सदन को गम्भीरता से इन बातों पर विचार करना होगा कि हम ऐसी बातों की तरफ कैसा रुख अपनावें।

मैं इतना निवेदन करूंगा कि शिक्षा विभाग के बारे में कि एक मौका इस साल का आपको और मिला है। आप इन सारी बातों को दुरुस्त करें। राजस्थान में युनीवर्सिटि एजुकेशन से लेकर प्राइमरी एजुकेशन तक गम्भीरता से विचार करें। उसमें आरहे इस विघटन को और इन कुप्रवृत्तियों को शीघ्रातिशीघ्र रोकें और इस शिक्षा के स्तर को सुधार कर इसे प्रगति की तरफ लेजाने की कोशिश करें। यह तो रहा शिक्षा मन्त्रीजी का सवाल।

यह हाल उन्ही का हो, ऐसी बात नहीं है। जी. ए. डी. की भी यहां मांग है।

श्री अध्यक्ष: समय कम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, समय अधिक नहीं लूंगा। एक तरफ तो शिक्षा विभाग की यह बात थी, पर ये उससे भी आगे बढ गये हैं। इनके महकमें का तो हिसाब ही नहीं। उनको तो मालूम पडता है कि कुछ भी देखने की फुर्सत नहीं है।

यहां सदन के सामने मैं केवल इस विभाग की एक इन्स्टान्स रखना चाहूंगा कि लाखों करोडों रुपया जिन महकमों पर यह सरकार खर्च करती है वे महकमे किस प्रकार के कानून और नियम बनाते हैं और किस प्रकार उनका काम चलता है।

अभी तक जो मेरी जानकारी है, जितने साइन्टिफिक इन्वेशन्स हुए हैं उनमें मेरे कम से कम ध्यान में नहीं आया है। मंत्री महोदय के ध्यान में आया हो कि कहीं पर किसी आदमी के लडके या आदमी के पिताजी के कोई बच्चा पैदा हुआ हो। मैंने कहीं भी नहीं पढा। कितना भी विज्ञान का युग आ गया हो किसी भी आदमी को किसी भी अस्पताल में लेबर के लिए या डिलीवरी केस के लिए भर्ती कर लिया गया हो। लेकिन हमारा जी० ए० डी० कहता है कि कोई भी राज्य कर्मचारी मैडीकल रीइम्बर्समेन्ट लेता है वह अपनी पत्नी की डिलीवरी केस हो तो ले सकता है और यदि कोई पत्नी कर्मचारिणी है और उसके पति का हो तो भी ले सकती है। वाइस-वर्सा और यह भी लिखा है कि उसमें लडके भी आयेंगे। अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से इस सदन के सामने राजस्थान सर्विस रूल्स और यह वॉल्यम.....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री सामान्य प्रशासन): आपका तो कट मोशन भी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कट मोशन तो नहीं है, लेकिन कट हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : When there is no cutmotion, how can you speak ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मांग का विरोध भी किया जा सकता है। इस पर बोलने में क्या दिक्कत है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह कटमोशन मेरा डिप्टी मिनिस्टर की कटौती करने के बारे में है, उसमें आपका भी नम्बर आ जायेगा। आप कहें जिस पर बोलूं। तनख्वाह का मामला है उस पर बोलूं, टी० ए०, डी० ए० गलत वसूल करते हैं उस पर बोलूं गाडियां रिस्तेदार के काम आती हैं उस पर बोलूं ? आप कहें जिस पर बोलूं।

श्री परसराम मदरणा: आपका कट-मोशन ही नहीं है, किस पर बोलेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है। आप अब आये हैं। आपके बनाये हुए रूल्स थोडे ही हैं। आपको एक्शन लेना है तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। तो यह राजस्थान सर्विस रूल्स का वॉल्यूम २ है इसमें एपेन्डिक्सेस दी हुई हैं। इसमें एपेन्डिक्स १० है जिसमें लिखा है:

"Rajasthan Government have fixed the revised Schedule of fees to be charged by the employees of the Medical Department, in the case of their private practice as det ailed below

Page No 44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और इसके अन्दर यह लिखा है कि कोई भी सरकारी डाक्टर से इलाज करायेगा तो उसको यह फीस देनी होगी और सरकारी कर्मचारी को ५० पर्सेन्ट कन्सेशन होगा और वह कन्सेशन किस को होगा उसकी फैमिली को होगा और उसकी फैमिली में कौन होगा ? यह मेडीकल ऐड है, मुझे आपत्ति नहीं है; यह पहले पढना चाहता हूं; दूसरी चीज बाद में पढूंगा

"Family" includes Government servant's wife (husband in case of a woman Govt. servant), sons, parents, minor brothers, unmarrieds sisters or daughters, widowed sisters or daughters-in-law, if wholly dependant on the Government servant."

यह मेडीकल री-इम्बर्समेन्ट उनका हो जाये, कोई दिक्कत नहीं है। आगे शिड्यूल (सी) है उसमें लिखा है :

"Schedule of fees for conducting labour cases.

Rajasthan Government servants and their families will have 50% concessions.

बाकी से जितना चार्ज करेंगे उसमें ५० पर्सेन्ट कन्सेशन है। फैमिली की डेफीनिशन दी है आगे और वह यह है:

"'Family' includes Government servant's wife (husband in the case of women Government servants), sons etc. डिलीवरी केस में। फिर आगे लिखा है : "Parents". पिता और माता दोनों। पिताजी के डिलीवरी होगी। यह है, राज्य तुम्हारा, दा साहब! क्या देखते हैं इधर? फिर लिखा है 'माइनर ब्रदर' छोटा भाई, फिर लिखा है 'अन-मेरीड डाटर्स' और 'अन-मेरीड सिस्टर्स' और 'विडो सिस्टर्स'। विधवा बहिन के भी बच्चा होगा। कुंवारी बहिन और बच्ची के भी बच्चा पैदा होगा और हमारे बापों के भी बच्चे पैदा होंगे। ये क्या रूल्स बनाये हैं, दा साहब ? अध्यक्ष महोदय, इनको देख कर कुछ हंसी भी आती है और गुस्सा भी.....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)। यह ड्राफ्टिंग किसी बूढ़ी महिला का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कुछ भी मैंने सदन के सामने तथ्य रखे हैं मैं आशा करूंगा कि इन पर बडी गम्भीरता से सरकार विचार करेगी और जो कुछ भी इस सदन में कहा जाता है, जो बातें सदन में रखी जाती हैं उनके बारे में सरकार यह रुख नहीं लेगी कि इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर कान बन्द करने पड़ेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के अन्दर यह परम्परा है कि जो भी बात सदन में कही जाये उसके ऊपर विचार किया जाये। जब तक सरकार हमारी कही हुई बातों पर कार्यवाही नहीं करेगी तो हमें विचार करना होगा कि हम बारबार वही मिसाल रखें और जब तक उन मसलों को रखते चले जायेंगे जब तक कि सरकार उनके ऊपर रेमेडोफाई नहीं करेगी। हम कहते हैं, हम सुझाव देते हैं, कन्सट्रक्टिव सुझाव देते हैं, इसलिए देते हैं कि शासन अच्छा चले, प्रशासन अच्छा हो और लोकतंत्र राजस्थान में पनपे और यह हमारी और आपकी इच्छा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ९:

(श्री तेजाराम गहलोत)
मुख्य शीर्षक १९ सामान्य प्रशासन पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव यह है, राजस्व मण्डल के सदस्यों में से सीनियर प्रशासन अधिकारियों की कमी की जाकर जुडीशियल एक्सपीरियेन्स्ड की नियुक्ति की जावे।

राजस्थान में रेवेन्यू लॉज का सबसे बडा उच्च न्यायालय अगर कोई है तो वह राजस्व मण्डल है और जहां तक रेवेन्यू लॉज का सवाल है राजस्थान की ८० प्रतिशत काश्तकार जनता जिसका जमीन से ताल्लुक है वह इससे प्रभावित होती है, लेकिन जिस तरह से इस न्यायालय के कॉन्सटीट्यूशन में और जिस तरह से इस कानून के इम्प्लीमेन्टेशन में हमारी सरकार का रुख है उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। जहां तक रेवेन्यू लॉज का सवाल है हमारी सरकार सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्त कर देती है जिनको रेवेन्यू लॉज का प्रैक्टिकल रूप में अनुभव नहीं होता है। यही कारण है कि रेवेन्यू लॉज की वजह से जितना लाभ काश्तकारों को मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिलता है। जहां तक छोटी अदालतें हैं उनमें एक्सपीरियेन्स्ड जुडिशियल जज होते हैं और जिस कानून के अन्तर्गत उनको न्याय मिलना चाहिये उसके अन्तर्गत उनको न्याय मिल जाता है लेकिन छोटी अदालतों को देखा जावे, जिला स्तर पर देखा जाये, रेवेन्यू लॉज के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

हमारा रेवेन्यू बोर्ड का मेनुअल १९५७ में बना और उस मेनुअल के अन्दर रूल १४२ पार्ट २ का है जिसमें प्रावधान रखा है कि अपील केसेज में सेटलमेन्ट के दौरान में जो फैसले होंगे उनकी तामील अपीलें कोर्ट एक प्रेस्काइब्ड फौर्म में पटवारी की दुरुस्ती के लिये भेजेगा। सन् ५७ में मेनुअल बना, लेकिन मुझे दुख है कि ६१ तक रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा वह प्रेस्काइब्ड फोर्म नहीं बनाया गया। तो मैं जनना चाहूंगा कि नियमों का पालन कैसे नहीं किया गया? सारी चाजों के पीछे एक चीज है और वह यह है कि जो राजस्व मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है उनको रेवेन्यू लॉज का एक्सपीरियेन्स नहीं होता है। अगर हमें सही तरीके से काम करना है तो एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी और यह मान कर चलना पडेगा कि जो रेवेन्यू में एक्सपीरियेन्सड ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाये। जहां तक सीनियर आफिसर्स का सवाल है उनको सेक्रेटेरियट में या दूसरी जगह रखा जा सकता है। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से लेण्ड रेकार्डस् मेनुअल बनाया गया है। उसके अन्दर म्यूटेशन फीस की एक शिड्यूल दी गई है। उसमें बिस्वेदार और रैयतवाडी-दो तरह के टेन्योर को रखते हैं। जहां तक राजस्थान टीनेन्सी एक्ट है उसमें न तो बिस्वेदार को एक्सप्लेन किया गया है न रैयतवाडी सिस्टम को। वहां खातेदार और गैर खातेदार टैन्योर का एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हमारा राजस्व मण्डल जो कॉपी की हुई चीज है उसको सुधारने की ओर तुरन्त ध्यान देगा? जहां ऐसी बातें हैं तो जो रेवेन्यू के मामले में उच्च न्यायालय है उससे न्याय की क्या आशा कर सकते हैं? जहां तक तहसीलदार और गिरदावरों का सवाल है उनमें भी राजस्व मण्डल कतई दिलचस्पी नहीं लेता है। कलैक्टर अपनी मर्जी से अलग ट्रान्सफर कर देता है और राजस्व मण्डल अलग ट्रान्सफर कर देता

(श्री तेजाराम गहलोत)

है। यहां तक कि तहसीलदार का चार-पांच महीने में ही ट्रान्सफर हो जाता है। यहां मण्डल में जो आते हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं और उनको रेवेन्यू लॉज का कोई ज्ञान नहीं होता है और न उनको यह मालूम होता है कि एक तहसीलदार के ट्रान्सफर में क्या असर पड़ता है। इसकी ओर कतई ध्यान नहीं देते हैं। वह तो यह जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी में हमारा आदेश हो गया कि फलां शख्स को बदला जाय तो वह बदला ही जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक रेवेन्यू लॉज का सवाल है पटवारी से लेकर तहसीलदार, एस. डी. ओ. और रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर सब की जिम्मेदारी है और वे इस जिम्मेदारी को महसूस करें तभी काश्तकारों को रेवेन्यू लॉज से सही फायदा मिल सकता है। मौजूदा रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों की काबिलियत के बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके सामने गश्त गिरदावरी पेश की जाय तो वह गलत है या किस किस्म की, कैसी होनी चाहिये– इसका एक्सप्लेनेशन वे नहीं दे सकते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस बात की पालिसी जरूर बनावे कि जिनको रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनावें उनको सैटलमेन्ट से लेकर सर्वे के सारे रेवेन्यू प्राबलम्स का एक्सपीरियेन्स होना चाहिये और रेवेन्यू आफिसर्स का तबादला साल या ६ महीने में न करके जैसा जुडिशियरी के अन्दर होता है उसी प्रकार किया जाना चाहिये सीनियर आफिसर्स जो सारे ट्रेनिंग लिये हुए होते हैं, उनका पोस्टिंग किया जाय ताकि रेवेन्यू लॉज का लाभ मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्रीजी भविष्य में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स अपाइन्ट करने में और रेवेन्यू लॉज का इम्प्लीमेन्टेशन करने की ओर ध्यान देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिये शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जिस राष्ट्र ने अपनी जनता की शिक्षा के विषय में विचार नहीं किया, मैं समझता हूं वह राष्ट्र जीवित नहीं कहा जा सकता। आज हमारे देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् हम बहुत कुछ आशा करते थे, शिक्षा के स्तर में बहुत कुछ उत्थान होगा, शिक्षा की उन्नति होगी। शिक्षा को मैं जन-उत्थान का साधन मानता हूं। कोई ईश्वर प्रदत्त वस्तु मानते हैं तो उसको प्रोस्पर करना परम आवश्यक होता है। यदि आप शिक्षा का सुधार नहीं कर सकते, शिक्षा का विस्तार नहीं कर सकते तो आप राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकते, राष्ट्र प्रगति की ओर नहीं जा सकता। जिस देश की जनता जागरुक नहीं होती, सुशिक्षित नहीं होती वह देश प्रगति नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता, इस बात को निर्बाध-रूप से मानकर चलना चाहिये।

इसके बाद मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से जो राजस्थान के अनुभवी शिक्षा शास्त्री कहलाते हैं, उप मन्त्रीजी भी बड़े उत्साही हैं और दिलचस्पी लेते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कार्य भार संभालने के पश्चात् शिक्षा विभाग के अन्दर क्या दिखाई दे रहा है इस बारे में बहुत से पूर्व वक्ता निवेदन कर चुके हैं मैं भी बहुत सी बातें

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप उनको ध्यान से सुनने की चेष्टा करेंगे और शिक्षा का स्तर सुधारने की चेष्टा करेंगे।

सबसे बडे दुःख की बात यह है कि हम कितना ही कहें, बजट के आंकड़े बता कर जनता के सामने कहते हैं कि शिक्षा का विस्तार हमने इतना कर दिया, गांवों में इतने स्कूल खोल दिये, और खोलने के प्रयत्न करते जा रहे हैं। लोगों की भावना जागृत कर दी, कितने विद्यार्थी पढने आते हैं, गांव वालों के लिये हजारों स्कूलें खोल दीं। लेकिन उनमें किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, किसी प्रकार की उन्नति होती है या नहीं यदि इस पर विचार करते हैं तो मैं समझता हूं कि सारे उच्च अधिकारी, इस सदन के माननीय सारे सदस्य और प्रत्येक व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं होता कि किसी प्रकार की उन्नति हुई है। आज स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थी डिग्री हासिल करके आते हैं, उसके बाद योग्य माने जाते हैं लेकिन जितनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उनमें उतनी योग्यता या काबिलियत है या नहीं। बहुत से लडके लडकियों के बारे में यह नहीं कह सकते कि उनमें उतनी योग्यता है, सभी तो एक से नहीं होंगे लेकिन मैट्रिक पास होने के बाद अंग्रेजी में पत्र लिखने या दर्ख्वास्त लिखने की बात तो दूर रही, हिन्दी में भी नहीं लिख सकते। इस प्रकार की जनरल शिकायत, आम शिकायत हर आदमी के मुंह से निकलती चली जाती है, हर नये विद्यार्थी के खिलाफ यह बात आती है तो आखिर आप इस पर क्यों नहीं विचार करते कि इसका कोई न कोई कारण होना चाहिये। मूल में कुछ बात होनी चाहिये जिसके कारण प्रगति नहीं कर पाते। मैं अपनी धारणा के अनुसार यह मानता हूं कि आप शिक्षा में प्रगति उसी सूरत में कर सकते हैं जब कि आप अध्यापक वर्ग को संतोष प्रदान कर सकें। यदि जो पढाने वाला है, शिक्षा प्रसार करने वाला है उन व्यक्तियों की दयनीय स्थिति की ओर आप ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकेगा। सबसे पहली बात चरित्र निर्माण की होती है। यदि चरित्र निर्माण नहीं, जो शिक्षा आप देते हैं, पाठ्यक्रम, पुस्तकें रखते हैं उनसे इस प्रकार का ज्ञान नहीं प्रदान करते, इस प्रकार की बात नहीं बताई जाती है तो देश को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते और न चरित्रवान युवक तैयार हो सकेंगे। और युवक तैयार नहीं होंगे तो उनके बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। यदि आप सर्प्राइज विजिट करके देखेंगे तो मालूम होगा कि जहां अध्यापक रहते हैं वहां उनको कितना असंतोष है। असंतोष होने के कई कारण हो सकते हैं। छोटा सा आदमी, मामूली मुलाजिम जो किसी गांव का रहने वाला है उनको आप इस जगह अपाइन्ट नहीं करके या उसके गांव के आस पास के गांव में अपोइन्ट नहीं करके ५० मील की दूरी पर लगा देते हैं तो ५०) माहवार पाने वाले मामूली अध्यापक, गांवों में ऐसी पैदा नहीं होती कि ट्यूशन करके रुपया कमा सकें। उसका लम्बा कुटुम्ब होता है उसको कितनी असुविधा होती है इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। इसके अलावा, जिसको आप शिक्षक अपाइन्ट करने जाते हैं उसके बारे में यह भी देखने की कोशिश नहीं करते कि जो उसके पास डिग्री है या मैट्रिक है या इन्टर पास है, या एम. ए. पास है, उतनी योग्यता भी उसमें है या नहीं। जो स्वयं किसी बात को नहीं समझ सकता वह

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

दूसरों को क्या समझा सकता हूँ। एक मात्र डिग्री देख कर नियुक्ति कर देते हैं। नियुक्ति करने से पहले यह जानना चाहिये कि जो अध्यापक पढाने के लिये नियुक्त करते हैं उसका वह पात्र है या नहीं, उसके उपयुक्त है या नहीं, यदि नहीं है तो उसके द्वारा दी गई शिक्षा किस प्रकार कल्याण कर सकती है? ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर विचार नहीं करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते।

दूसरा, इस शिक्षा पर आप लाखों रुपये खर्च करते हैं व्यय करते हैं या अपव्यय करते हैं, यह तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जितना व्यय करते हैं उसका थोडा लाभ तो जनता को होना चाहिये। आज आप देखते हैं,जयपुर के बारे में ही विचार करिये। यदि चाहें तो एडमिशन के समय मन्त्रीजी और उप–मन्त्रीजी दोनों चलें, कितने हजार विद्यार्थी एडमिशन के लिये चक्कर लगाते हैं पर उनको एडमिशन नहीं मिलता है। क्या आप यह समझते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जितने राज्य कर्मचारी हैं, उनके अलावा कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सदन के इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जिक्र करते हैं, जिन दिनों उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है तो क्या आप यह समझते हैं कि उनके मां-बाप एफिशियेन्टली कार्य कर सकते हैं। आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है तो आप पर उसका कितना असर पडता है, मानसिक स्थिति उद्विग्न होती है ऐसी अवस्था में जो कार्य आप उनसे कराना चाहते हैं उसमें नुकसान आपका ही होता है। जब तक उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता तब तक उनके मां-बाप की एफिशियेन्सी पर असर पडता है और आप के काम में नुकसान होता है।

मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि जयपुर शहर में हायर सैकेन्ड्री स्कूलों की कितनी कमी है उस पर भी कभी विचार करते हैं या नहीं। एक हायर सैकेन्ड्री स्कूल पुरानी बस्ती में चलती थी चौकडी तोपखाना देश, ब्रह्मपुरी, चौकडी सरहद और पुरानी बस्ती इन चार चौकडियों के विद्यार्थियों के लिये एक मात्र पढने का साधन था। उसको भी आपने तोड कर उतना दूर रख दिया, आप विचार करिये बच्चों की उम्र १०, ११ या १२ साल हो और वे स्कूल उनके घर से २-३ मील की दूरी पर हों और वहां पर वे पढने जाते हैं तो रास्ते में मोटरों, साइकलों और ट्रकों का झगडा रहता है, कई एक्सीडेन्ट्स हो चुके हैं छोटे बच्चों के; लेकिन आप इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। लाखों रुपये व्यर्थ का अखबार खरीदने में शिक्षा विभाग नष्ट कर सकता है लेकिन एक शिक्षा संस्था चलाने के लिये कहते हैं तो यह उत्तर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन का अभाव है। अलावा इसके एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इस विभाग की सदन को बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष, देखिये, बहुत से ऐसे केसेज हैं, जिन केसेज के बारे में मने स्वयं ने इस विभाग के उप-मंत्री महोदय को निवेदन किया है कि गांव वाले अपने खर्च से बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं कि जिनके अन्दर बिल्डिंग बना दी हैं, और शिक्षा विभाग से प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो कुछ सहायता और चाहिये, आप ले लीजिये, अगर आप स्कूल खोल देवे

Page No 49

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

हैं तो हम पढने के लिए विद्यार्थी देंगे, हम बहुत सी बातें देंगे लेकिन उनकी प्रार्थना के ऊपर विचार नहीं किया जाता है । मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कि जिस जगह पर शिक्षालय की आवश्यकता नहीं हैं, वहां अकारण ही शिक्षालय खोल दिये जाते हैं, लेकिन जहां की जनता बराबर मांग करती है और कहती है--लीजिये, हम बिल्डिंग देते हैं, हम और साधन देते हैं, हम और सहायता करते हैं--वहां शिक्षालय खोलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है और कोई न कोई कानूनी पेच, कोई न कोई कानूनी ऑब्जेक्शन आपका विभाग निकाल देता है-हमारे नियमों के अनुसार इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन्स आई हैं उनको कन्सीडर करेंगे, कि प्रायोरिटी फलां को दी जायगी, सैकिंडरी फलां को दी जायगी । इस तरह की कानूनी दिक्कत हर बार कोई न कोई निकाल देते हैं । इसके कारण, जो वास्तविक मांग है वह पूरी नहीं होती है ।

अलावा इसके आप देखते हैं, जो व्यवस्था आपने इस शहर में कर रखी है, मैं वही बात कह रहा हूं, जिसे आप सबको देखना चाहिए, यह बात दूसरी है कि आप अपने महल में बैठे रहना चाहें, अपने बंगले में बैठे रहना चाहें, मंत्री महोदय और उच्चाधिकारी बाहर न निकलें और उनकी नजर में यह न आ सके-लेकिन आप चौपड पर आकर देखिये--वहां बच्चे स्कूल के बाहर सुबह और शाम खडे रहते हैं । मोटर की ठीक व्यवस्था न होने की वजह से वे अपने स्कूल के बाहर खडे रहते हैं । इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि वैनीपार्क का जो स्कूल है, और भी पास स्कूल हैं, उनकी अपनी बस के अभाव के कारण यातायात की सुगम व्यवस्था न होने के कारण अमूमन प्रत्येक लडकी का एक या दो पीरियड रह जाया करता है । या आपके स्कूलों की व्यवस्था है । अलावा इसके लडके-लडकियों की भीड रहती है चौपड के पास, रोज वहां भीड इकट्ठी देखते हैं और रोज मेला देखा करते हैं । आपको इसका उपाय करना चाहिये, आपको यह विचार करना चाहिए, आखिर ये राष्ट्र के नौनिहाल हैं, ये लोग हैं जो आगे जाकर देश की बागडोर सम्भालने वाले होंगे । जिस प्रकार की शिक्षा आप देते हैं उससे क्या आप उम्मीद करते हैं, कि जिन पुरखाओं का आश्रय लेकर, जिस पुरखाओं का आशीर्वाद लेकर आप यहां बैठे हुए हैं, उसी प्रकार के महापुरुष पटेल, मोतीलाल नेहरू, मूलाभाई जैसे व्यक्ति आप आज की शिक्षा से उत्पन्न कर सकेंगे ? यह आपके स्वयं के सोचने की बात है । मैं तो यह कहता हूं मान लीजिये, आप अपने फर्ज को भूल रहे हैं, मान लीजिये आप नहीं समझते हैं अपना धर्म, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें, आज के युवक-युवतियों पर दया करें, करुणा करें और इनको राहत देने की चेष्टा करें ।

दूसरी बात, जो निहायत जरूरी है, वह यह है कि आप आज की पुस्तकों का नमूना देख लीजिये । मैं मानता हूं कि जहां तक माध्यम का प्रश्न है, जिसके आधार पर आप शिक्षा देना चाहेंगे, उस सम्बन्ध में जिसको आप उचित समझते हैं, वैसी ही पुस्तकें आप पढने के लिए देंगे । मुझे इसमें आपत्ति नहीं होती है लेकिन एक सच्चे नागरिक के नाते मैं इतना कहने का अधिकारी हूं कि जो देश की प्राचीन संस्कृति का ज्ञान करायें,

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

आपके देश के प्राचीन संस्कारों का ज्ञान करायें ऐसी पुस्तकें पाठ्क्रम में होनी चाहिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री एक शिक्षा शास्त्री भी हैं क्या वे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनमें भारत के पुराने संस्कारों और संस्कृति का वर्णन है ? आज आपका कोई मैट्रिक पास करने वाला विद्यार्थी है, कालेज एज्यूकेशन में जाने वाला विद्यार्थी है, क्या दावे के साथ वह इस बात को कह सकता है कि भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति के अन्दर कितने प्रकार के धर्म रहे हैं, कितने प्रकार के धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति रहे हैं, किस प्रकार की संस्कृतियां इस देश में चली है ? यह देश जो शिक्षा के क्षेत्र में सारे विश्व में गुरू माना जाता था, जिस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला, नालन्दा विश्व विद्यालय में शिक्षार्थी अन्य राष्ट्रों से आया करते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य राष्ट्रों के लोग-बाग आया करते थे, आज उस देश के शिक्षालयों की क्या अवस्था है, शिक्षालयों को छोडिये, यहां की युनीवर्सिटीज की क्या अवस्था है — इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए हम आशा करते थे कि इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, हम आशा करते थे हमारे पुराने संस्कार पुनर्जीवित हो जायेंगे, हम आशा करते थे हमारी पुरानी संस्कृति फिर जागेगी। लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी संस्कृति और संस्कार मृतप्राय: होते जा रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि आप आंकडे देख लीजिये। पहले जहां दो सौ लडके पढते थे वहां हमने एक हजार को पढा दिया है। मैं कहता हूं-–

वरमेको गुणी पुत्रो न च पुत्र शतान्यपि।
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति, न च तारागणोऽपि।

समझ लीजिये, ऐसे दस हजार मूर्ख पैदा कर दिये, सगर ने दस हजार बेटे पैदा कर दिये, लेकिन ऋषि की आंख जायगी तो एक फूंक मार कर नष्ट कर देगा। इस तरह नष्ट होने वाली सन्तान की जरूरत नहीं है। आप समझदारी से इस पर विचार कीजिये, हमें ऐसी सन्तान की जरूरत है, देश के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश की उन्नति करना जानते हों, जो हुकूमत करना जानते हों, राष्ट्र की संस्कृति के द्वारा राष्ट्र का विकास करना जानते हों। हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। लेकिन जब शिक्षा में आप सुधार नहीं करेंगे, याद रखिये, आप ऐसे व्यक्ति पैदा नहीं कर सकते। मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि इस दृष्टिकोण से विचार कीजिये कि जब शिक्षा के क्षेत्र में मारेल, स्टेन्डर्ड को नही बढायेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकेंगे। आपके इस धर्म निरपेक्ष राज्य में यह आजादी है कि धर्म के नाम पर कोई बात नहीं बता सकते। आप धर्म, संस्कार और संस्कृति को क्यों भिन्न समझते हैं, यह समझ नहीं पाया हूं। आप जिस संस्कृति को मानते हैं वह आपका संस्कार है। आप जिस संस्कार के आधार पर चलते हैं, मैं धर्म उसी को कहता हूं। आप धर्म को रिजिड रूप में क्यों लेते हैं ? धर्म उसको कहते हैं जिसे धारण कर सकें, जिसे आप स्वीकार करें––इस बात को क्यों भुला देते हैं। आपके इस राज्य के अन्दर जितने बडे बडे आफिसर हैं, उनके बच्चे विलायती स्कूलों में पढने जाते हैं जहां सुबह से शाम तक बच्चों को बैठा कर बाइबल की शिक्षा दी जाती है। लेकिन आपकी राज्य सरकार भारतवर्ष के संस्कार और संस्कृति

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

के नाम पर, भारत के प्राचीन इतिहास के गौरव को पढाने के सम्बन्ध में धर्म निरपेक्ष राज्य होने का बहाना बना देती है। आप कहते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा देने का तात्पर्य धर्म का प्रचार करना होगा। आप कहते हैं कि इस प्रकार साम्प्रदायिकता के सिद्धान्तों को लेकर आगे बढना चाहते हैं और इस प्रकार के विचार हमारे सामने व्यक्त करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी इन्डीविजूअल की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी इन्स्टीट्यूशन की आलोचना नहीं करता, कि जिस प्रकार की शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, फैलाव करना चाहते हैं; लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जो संस्कृति आपकी प्राचीन संस्कृति है और जिस संस्कृति के अन्दर आपके मूल ग्रन्थ छपे हुए हैं, जिन ग्रन्थों के ज्ञान मात्र से संसार के समस्त क्षेत्रों के बारे में लोगों के मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं, उस शिक्षा को आप फैलाने की चेष्टा कीजिये, ऐसी शिक्षा देने से फायदा नहीं होगा जिससे आप केवल दफ्तर के बाबू बना कर निकाल दें। ऐसी शिक्षा देने से फायदा नहीं होगा कि चन्द नौकरी के टुकडों के लिए लाखों आर० ए० एस० और आर० पी० एस० आफिसर पैदा कर दें। यह गुलामी की बात है, जो हुकूमत करने वाले बाहर के लोग थे, वे इस प्रकार के लोग तैयार करके ऐसे मस्तिष्क उत्पन्न करने की चेष्टा करते थे। हमें ऐसे लोग तैयार करने चाहिए जिनकी थिंकिंग पावर ओरिजिनल हो और जो व्यक्तिगत रूप से विचार संसार के सामने व्यक्त कर सकें। इस प्रकार के व्यक्ति पैदा करने की ओर सब क्षेत्रों में रिसर्च करने की जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर उन्नति नहीं कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से इस पर जोर देना चाहता हूं।

अलावा इसके मैं थोडा सामान्य प्रशासन पर एक-दो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि वैसे तो इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन एक छोटी सी बात जो मेरे क्षेत्र में आती है, जिसकी मुझे जानकारी है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप उस पर विचार कीजिये और देखिये; वह है १९६०-६१ में सम्भवतः यह गवर्नमेंट होस्टल और आपकी स्टेट होटल—उन दिनों जो राज्य सरकार हुकूमत करती थी उसने बनाये। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते, लेकिन क्या आज राज्य सरकार इस बात को बताने के लिए तैयार है कि सन् १९६०-६१ के अन्दर क्या कभी कोई अकाउन्ट्स बुक, या किसी प्रकार की आमदनी और खर्च का हिसाब इन दिनों इन जगहों के लिये रखा गया कि कितने लाख रुपयों का सामान इन दोनों के अन्दर खरीदा गया और किस प्रकार उसे खर्च किया गया? क्या कोई स्टॉक रजिस्टर कभी मैन्टेन किया गया और उस स्टॉक रजिस्टर में यह लिखा गया कि कितना सामान आया? उसके बाद इस विभाग का आडिट हुआ और आडिटर महोदय ने स्पेसिफिक डाइरेक्शन दिये। उसमें यह बताया गया कि इनमें घोटाला हो रहा है, इनमें अकाउन्ट्स बुक मैन्टेन नहीं की जाती है, कोई हिसाब नहीं रखा जाता है और जो ………

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन): किसके लिए कह रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : १९६०-६१ ।

श्री परसराम मदेरणा: किस जगह के लिए ?

श्री दुर्गालाल बाढदार: स्टेट होटल के लिए ।

श्री परसराम मदेरणा: यह डिमान्ड नम्बर ९ से कवर नहीं होते हैं; स्टेट होटल और रेस्ट हाउसेज वगैरह ।

श्री दुर्गालाल बाढदार: ये अब तक चल रहे हैं और आज तक रुपया एलॉट कर रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : यह मांग दूसरी है, डिमान्ड दूसरी है । आप इसे डिस्कस करते हैं तो मर्जी की बात है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार: मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही है । मैं, माननीय अध्यक्ष, नम्रता से निवेदन करूंगा कि मैंने अपना कट मोशन ऐसा पेश किया है । and in support of that उस पर बहस करने के लिये दो तीन इलस्ट्रेशन्स दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : इलस्ट्रेशन्स उस बात का है जिसका इस मांग से संबंध हो ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : That is true, Sir. I am submitting only in the way of illustrations as to what is happening in the C. A. D. दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ सरकार ने हजारों रुपये हिसाव कराने के लिये खर्च किये और कोई हिसाब नहीं कर सके ।

इसके अलावा मैं, माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्व मंडल के बारे में एक छोटी सी बात हमारे सामने आई है । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा और मेरा यह सुझाव है कि इस पर आपको पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये । आपका रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको आप अपीलेट कोर्ट कहते हैं । इसमें आपको यह नहीं भूलना चाहिये कि वह एक प्रकार का रेवेन्यू के मामलों में हाई कोर्ट है । बोर्ड का दिया हुआ निर्णय फाइनल रेवेन्यू केसेज में होता है और यह लोगों के जमीन के राइट्स, टाइटल आदि के बारे में फाइनेलाइज करने का महकमा है । लेकिन हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि आपने इस महकमे को एक तालीम देने का महकमा बना रखा है, आपने इसको तालीम देने का इन्स्टिट्यूशन बना रखा है । जब कभी आफिसरों को ट्रेनिंग देने का प्रश्न पैदा होता है तो आप उनको दो चार महीने या छः महीने के लिये,जैसा आप उचित समझते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिये रेवेन्यू बोर्ड की कुर्सी पर बिठा देते हैं । नतीजा यह होता है कि ट्रायल ठीक तरह से नहीं होती । दफा १०० जाब्ता दीवानी का स्पेशल पोइन्ट ऑफ लॉ उसमें इन्वोल्व होता है या यूसेज और कस्टम के खिलाफ कोई बात हो उसके लिये तय करने के लिये वे लोग बैठते हैं । मैं यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कहता, लेकिन मैं यह कहूंगा और हमने देखा है कि बहुत से व्यक्ति, जिस समय कानून को रेफर किया जाता है तो कुर्सियों पर बैठने वालों को सोचना पडता है कि यह कौनसी किताब का रेफरेन्स है और इसका क्या मतलब निकलेगा ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आप इस प्रकार के हाकिमों को बैठाते हैं जो आई० ए० एस० होते हैं। यह माना जाता है कि आपके आई० ए० एस० ऑफिसर्स सब जगह फिट हो सकते हैं, चाहे चौकोर हॉल हो या गोल हॉल हो, सब में अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं और काम कर सकते हैं ? हो सकता है आपके ऐसे विचार हों, लेकिन यह कानून का मामला है। कानून में बाल की खाल निकाली जाती है। कानून को समझना कोई आसान काम नहीं है। कानून को इन्टरप्रेट करना और उसके आधार पर निर्णय देना कोई आसान काम नहीं है।

मैं यह कहूंगा कि यह ठीक है आपके आई० ए० एस० ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में काबिल हाकिम हों और उनकी आवश्यकता हो। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि आपके रेवेन्यू बोर्ड में ६ सदस्य हैं। आप मेम्बरों में कमी कर सकते है और ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप चार सदस्य बिठाते है तो उसमें दो जुडिशियरी के आदमी बिठावें और दो आई० ए० एस०। जो साथ में बैठ कर अपनी राय दे सकते है। यदि इन्तजामी मामलों के लिये दो सदस्य यह कहें कि यह होना चाहिये तो कानूनी मामले में वे अपनी राय दें कि कानून यह कहता है। आपसे मैं यह कहूंगा कि आप इन्तजाम के नाम पर कानून का गला मत घोटें। कानून को नजर-अन्दाज न करें। क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड के लिख हुए फैसले दूर दूर दूसरे प्रान्तों में जाते हैं और दुनियां भर के लोग इनको पढते है। इन फैसलों की पोजीशन रेवेन्यू मामलों में हाई कोर्ट के फैसलों के समान है। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दूंगा। एक फैसला होता है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पेश की जाती है। उसको पढ कर हमको बडा दुख होता है, जो हम जुडीशियरी में थोडा काम करते हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि यह बात आपको कैसे बर्दाश्त हो जाती है। आपके उच्च अधिकारियों के प्रतिकूल ऐसे ऑब्जर्वेशन्स हाई कोर्ट के जजों द्वारा दिये जावें मगर आप उन पर विचार नहीं करेंगे।

तो मेरा नम्र निवेदन है कि ६ जजों में से कम से कम तीन जज ऐसे होने चाहिये जो जुडिशियरी का ज्ञान रखते हों और वे इस तरह के आदमी होने चाहिये जो सैशन्स जज की पोस्ट पर एपोइन्ट होने की उनकी योग्यता हो। या जिन को वकालत या जुडिशियरी में १० या १५ वर्षों का तजुर्बा हो। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि बोर्ड में आप एक बहुत ही अजीबो गरीब बात देखेंगे। वह यह कि जिनको आप ४ या ६ महीनों के लिये बोर्ड में नियुक्त करते है वह लोगों की अपीलें सुनता है और जजमेंट रिजर्व कर देता है। बहस तो सुन लेते है और बाद में १०, १५, २० या ३० दिन तक वे फैसला नहीं सुना पाते। यदि हम जाब्ता दीवानी के अनुसार देखते हैं तो फैसला १५ दिन के अन्दर अन्दर बहस सुनने के, सुना देना चाहिये यदि नहीं सुनाया जाता है तो वह बहस रद्द हो जाती है और वह फैसला रद्द हो जाता है। मगर उसको रद्द करने वाला कौन ? यहां तो काफी समय व्यतीत हो जाता है। इसके अलावा बोर्ड के दो-तीन मेम्बर बहस सुनते हैं, मगर फैसला सुनाने से पहले एक मेम्बर चले जाते हैं और दूसरे सदस्य उनकी जगह पर आ गये तो उस केस का दुबारा नम्बर आता है। और वे लोग

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

अपना फैसला देते हैं। अगर वह रिव्यू करता है तो कहा जाता है कि जिस हाकिम ने फैसला दिया वह हाकिम नहीं है उसको सुनने वाला दूसरा जज होगा। इससे जनता पर बहुत बडा असर पडता है और जनता क्रश (Crush) होती है। रेवेन्यू बोर्ड में लोग राजस्थान के कौने कौने से मुकदमे लेकर आते हैं और उनके फैसलों के लिये दो-दो, तीन-तीन और पांच-पांच तारीखें पड जाती हैं इससे उनको बहुत परेशानी होती है। मगर कोई सुनने वाला नहीं। हजारों बार इसके लिये लिख कर मेरे ख्याल से राज्य सरकार के पास पहुंचाया गया लेकिन सरकार के कान तक कोई जूं नहीं रेंगती है। यदि आपको जुडिशियरी में सुधार करना है तो आपको इन बातों पर विचार करना होगा और यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बहुत बडी बात है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन में छोटी छोटी बातें दिखाई देती हैं लेकिन यह बडी गहरी बातें हैं। अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो जनता में असंतोष रहेगा और उसका क्या परिणाम होगा उसको आप खुद सोच सकते हैं। हम नहीं चाहते कि जनता में असंतोष पैदा हो। हम आशा यह करते हैं कि हमारी तकलीफों को सुनने के लिये सरकार बैठी है। आप अपने फर्ज को निभावें और अपने फर्जको भूलने की कोशिश नहीं करें। हम पब्लिक की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे कानों तक आती है। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो आवाज सुनते हैं उसको आप तक पहुंचाते हैं और आपको उस आवाज की वकत करनी चाहिये। आपको इस पर गहराई से विचार करना चाहिये और अपना फर्ज समझना चाहिये और उसके बाद उसे ठीक करने की चेष्टा करनी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में बोलें।

श्री रामकिशन : मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा। शिक्षा के बारे में ही मैं निवेदन करूंगा। सामान्य प्रशासन में तो मुझे एक दो सुझाव देने हैं। शिक्षा के संबन्ध में राजस्थान सरकार मानती है जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है, यह रिपोर्ट अंग्रेजी में निकाली है, मगर पढनी पडती है। काफी उन्नति की है और मैं भी मानता हूं कि पिछले १५ वर्षों में और योजना के १० वर्षों में निश्चित तौर से राजस्थान सरकार इस संबन्ध में आगे बढ रही है इस बात को मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन यह कहा जाता है कि ऐसी प्रगति की है कि किसी दूसरे स्थान में इस प्रकार की प्रगति नहीं, तो मैं यह कहूंगा कि वे मिथ्याभिमान में फंस जावेंगे। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति यह है कि सारे राज्य की १८ प्रतिशत है; चाहे हमने इसके लिये १३॥। करोड का बजट रखा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि राजस्थान में १८ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं।

तो हमारी शिक्षा की दिशा कौनसी हो? इस प्रश्न पर हमें कई तरह से विचार करना होगा। इसमें मुख्य चार दिशाएं हैं– एक तो यह है कि निरक्षरता को मिटायें,

(श्री रामकिशन)

दूसरे यह कि प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान दें, तीसरे यह कि टेक्निकल एजुकेशन पर ध्यान दें और चौथे कालेज युनिर्वासिटी एजुकेशन । तो कालेज युनिर्वासिटी एजुकेशन के बारे में सरकार की नीति बदलनी चाहिये । टेक्निकल एजुकेशन काम धन्धे की शिक्षा की तरफ और बच्चों की शिक्षा की तरफ देखना होगा । पर राजस्थान सरकार ने काम धन्धे की शिक्षा के लिये ८०-९० लाख का प्राविजन किया है, यह रकम बहुत कम है । युनिर्वासिटी एजुकेशन या प्रशासन में कमी करके टेक्निकल एजुकेशन की तरफ और अधिक रकम रखनी चाहिये । जहां तक प्राइमरी एजुकेशन का प्रश्न है मैं मानता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन आज राजस्थान में बढ रही है । राजस्थान में ११ लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं । हो सकता है कि संख्या संतोषप्रद हो, पर जो शिक्षा का स्तर है, एक बच्चे पर जितना पैसा खर्च हो रहा है हिन्दुस्तान के हर सूबे से हमारे यहां राजस्थान में कम खर्च हो रहा है । ३३ रुपये प्रति बच्चा प्राथमिक शिक्षा की दिशा में हमारे यहां खर्च हो रहे हैं, पर कालेज में, युनिर्वासिटी में पढने वाले बच्चों पर प्रति बच्चा ३७०) रु० के आस पास खर्च होता है । जहां कालेज में पढने वाले बच्चों पर ३७०) रु० खर्च होते हैं वहां प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों पर ३३) रु० खर्च होता है, जबकि और मुल्कों में शिक्षा शास्त्रियों से जांच कराने पर पता चलेगा कि प्राथमिक शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । बच्चे ही हमारे देश के आधार-स्तम्भ हैं, नींव हैं, ये ही वह दीवार है जिस पर आगे जाकर हमारे देश का महल खडा किया जाने वाला है । तो सरकार से निवेदन है कि प्राइमरी एजुकेशन में प्रति बच्चा और अधिक खर्च करें । पर अब का बजट दिया है और छात्रों की शिक्षा बढ रही है तो प्रति बच्चा इससे भी कम होगा । इसमें आपने १,३९३ लाख का प्राविजन किया है, पर प्रतिशत घटा है । ६१-६२ में २४ प्रतिशत था ६२-६३ में २२ प्रतिशत था और अब २० प्रतिशत खर्चा करने जा रहे हैं, यह उचित नहीं। रोटी में, कपडे में कटौती हो सकती है पर शिक्षा के मामले में कटौती करना कैसे उचित समझा जा सकता है ? प्रति बच्चे के हिसाब से भी घटा रहे हैं और राज्यों के हिसाब से भी घटा रहे हैं । इस पर विचार करना चाहिये ।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, कार्य प्रणाली और मोटे मोटे मुद्दे हैं उन पर मैंने प्रकाश डाला है । पर और भी विभिन्न समस्यायें हैं उन पर मैं निवेदन करना चाहूंगा । एक तो समस्या यह है कि २८-२९ हजार अध्यापक और प्रशासनिक कर्मचारी शिक्षा विभाग के हैं, उनमें अध्यापकों की स्थिति बहुत अधिक खराब है । और विशेष करके पंचायत समितियों में जो अध्यापक हैं उनकी तो स्थिति और भी अधिक खराब है । न उनके ठीक तरह से प्रमोशन का सवाल हल हुआ है, न ग्रेड और न फिक्सेशन हुआ है । मैंने उप-शिक्षा मंत्रीजी के पास कई चिट्ठियां भेजीं, कई सुझाव भेजे, भरतपुर के दो ढाई सौ अध्यापक हैं उनके बारे में लिखा, मिला भी, मिलने पर कहते हैं कि बहुत शीघ्र ही कार्यवाही होगी, पर बहुत शीघ्र का क्या मतलब है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी दिलचस्पी ले रहे हैं, वे सुधार करने के प्रयत्न करेंगे

(श्री राम किशन)
पर शिक्षा में सुधार तभी हो सकता है कि जब मंत्री से लेकर शिक्षा शास्त्री तक सुलझे दिमाग से इस समस्या को हल करने में सही माने में जुट जायं। पर आई. ए. एस. शिक्षा अधिकारी हों, इस प्रकार का उनका दिमाग बनता है, उप-मंत्रीजी ने मजाक में जवाब दिया कि जो शिक्षा शास्त्री होंगे उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं होता, यह मैं समझता हूं कि संसार में पहली सूचना उप-मंत्री महोदय ने दी है। इस प्रकार की बातों से शिक्षा शास्त्रियों का मन टूटेगा। जो शिक्षा शास्त्री होंगे उनकी प्रशासनिक योग्यता भी होगी। यह उनके अधिकार की बात है कि वे अपने विचारों को बदलें या न बदलें पर मैं यह कहूंगा कि शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्रियों के नीचे चला जाना चाहिये, यदि हम इसमें सही मायने में सुधार और उन्नति करना चाहते हैं तो।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के बारे में कहा था, उनकी भाषा के बारे में मैं नहीं जाना चाहता, पर जो सरकारीकरण किया गया है क्या वह सरकारीकरण कहा जा सकता है, राष्ट्रीयकरण है तो अच्छे विचार आने चाहियें। आठवें, तीसरे और चौथे दर्जे की मेरे पास तीन पुस्तकें हैं। अंग्रेजी की किताब में लिखा है, क्या करूं, पढना ही पडता है, मजबूरी की बात है, बच्चों का मामला है बच्चे जो कि राष्ट्र के स्तम्भ हैं उनके दिलों में किस प्रकार के विचार पैदा करने का प्रयास किया जाता है। 'हमारी गवर्नमेंन्ट, इस तरह का पाठ' दिया गया है, जो कुछ इसमें लिखा है, वहुत शर्मनाक है, सारा नहीं पढता। अन्त का कुछ हिस्सा पढ के सुना देता हूं:

"We must not speak against the Government."

यह कौनसी गवर्नमेन्ट है, कैसे विचार दिये हैं, अगर यह स्टालिन की सरकार होती, माओत्सेतुग की सरकार होती तो यह उपयुक्त कहा जा सकता था, मैं माओ के सिलेक्टेड वर्क्स पढ रहा था, उसमें लिखा है कि बच्चों में शुरू से ही इस प्रकार के विचार कूट कूट कर भर देने चाहिये.....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आपके फ्रेन्ड्स को बता देवें।

श्री रामकिशन: वे हैं नहीं। कल चीन से श्री बृजकिशोरजी शास्त्री ने लिखा है कि लालचीन, उसमें लिखा है कि बच्चों में किस प्रकार के विचार पैदा किये जा रहे हैं? तो क्या मोहनलाल सुखाडिया भी माओ या स्टालिन बनना चाहते हैं? शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस किताब को फौरन बन्द कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): बन्द क्यों कर दें, इस तरह से चेन्ज कर दें: "We may speak against the Government."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): 'मस्ट' क्यों लिखा है?

श्री रामकिशन: तो इस प्रकार की किताबें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह आपके ध्यान में आया क्यों नहीं? आपके पास इतने बडे बडे बोर्ड हैं, शिक्षा शास्त्री रखे हैं, उनको ध्यान नहीं कि किस प्रकार के विचार बच्चों में पैदा किये जा रहे हैं।

(श्री रामकिशन)

इसी तरह मैंने भूगोल की किताब पढ़ी। उसमें तो सब ही गलत हैं। राजस्थान में खनिज पदार्थ कहां कहां हैं, इसकी सारी सूचना नहीं दे सकते। इमारती पत्थर कहां कहां मिलता है? सारा हिन्दुस्तान इस चीज को जानता है, सारा राजस्थान इस बात को जानता है कि करौली, धौलपुर, भरतपुर, यह इलाका है जहां इमारती पत्थर बहुत अच्छा और बडी मात्रा में मिलता है। राजस्थान सरकार को ६० लाख सालाना आमदनी इस क्षेत्र से होती है। पर इस भूगोल की पुस्तक में लिखा है:

"इमारत का पत्थर सबसे अच्छा निकलता है उदयपुर में" तो क्या आप भूगोल पर भी राजनीति का असर डालना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका भूगोल गलत, साहित्य गलत, विचारधारा गलत, इतिहास गलत। इतिहास में देखें तो इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं, घटनाओं के पीछे उद्देश्य भी होता है, यह मेरा दृष्टिकोण है, आप संम्भवत: इससे सहमत नहीं हों। इसमें जगह जगह घटनाओं का विवरण है; बुद्ध का विवरण है। इसमें लिखा है:

"बुद्ध वन को चले गये तपस्या करने के लिये। उन्होंने सोचा अधर्म का कारण स्त्री है, स्त्री के साथ रहने से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिये वे वन को चले गये, स्त्री जहां होगी मुक्ति नहीं होगी।" किसी साधारण लेखक के विचार होते तो मुझे एतराज नहीं था। बुद्ध ने स्त्री के कारण घर छोडा, तो इससे स्त्रियों के प्रति हीन भावना जाग रही है, ५ हजार वर्ष से हीनभावना हिन्दुस्तान में चल रही है। अगर बुद्ध ने स्त्री के लिये घर छोडा होता तो मान भी लेते। वे इसमें और लिखते हैं बुद्ध के विचार हैं कि सुजाता की खीर से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।

साथ साथ यह भी लिखना चाहिये कि बुद्ध को ज्ञान तब ही प्राप्त हुआ जबकि उनको सुजाता की खीर मिली। खीर नहीं मिलती तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वह सब समाप्त हो जाता। स्त्री के कारण ही यदि उन्होंने घर छोडा है तो उनको ज्ञान भी मिला है। यदि इस प्रकार की भावना नहीं भरी गई तो देश का एक बहुत बडा अंग कमजोर कर देंगे। एक दफा बुद्ध बडे दुखी थे। कर्म क्षेत्र में और तप क्षेत्र में बढे नहीं थे। लेकिन ज्योंही आम्रपाली का सुन्दर चहरा उनके सम्मुख आया और उनकी सुन्दरता को देखकर कर्मक्षेत्र में भी वे आगे बढ गये। तप-क्षेत्र में आगे बढ गये। तो कर्म और तप क्षेत्र में भी स्त्रियों का बडा भारी योग है।

तो इस प्रकार से हमारी पुस्तकों में इनके बारे में पूर्णरूप से और व्यवस्थित ढंग से विवेचन न होने से स्त्रियों के प्रति एक हीन भावना पैदा हो जाती है। विशेष रूप से जब कभी हाउस में इस सम्बन्ध में बहस होगी तो बताऊंगा, आज केवल यहीं कह दूं कि स्त्रियों के बारे में आज इस प्रकार के विचार यदि कोई साहित्य दे तो उस साहित्य को बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार का साहित्य हमारे राष्ट्र को कमजोर ही बना रहा है, वह हमारे राष्ट्र का स्वस्थ्य निर्माण नहीं कर सकता। तो इतिहास भी गलत, भूगोल भी गलत और अंग्रेजी भी गलत। दर्जा दो तीन की किताबों को देखा तो उनमें भी गलतियां हैं। उनको बताऊंगा तो समय चला जायगा। केवल इतना ही इस बारे में कह देना पर्याप्त होगा शायद कि शासन को और शिक्षा मंत्रीजी

Page No 58

(श्री रामकिशन)

को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

शिक्षा के माने में क्या करना चाहते हैं? शिक्षा का उद्देश्य अक्षर ज्ञान देना, शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायी बनाना और शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना है। आज का जो शिक्षा का स्तर है वह व्यवसायी और अक्षर ज्ञान प्राप्त करा सकता है, अथवा करा रहा हो। लेकिन आज की जो शिक्षा है वह मनुष्य को मनुष्य नहीं बना रही है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। अंग्रेजी किताब का मैं एक उदाहरण देता हूं। इसमें चीनी बालक का फोटो दिया है। एक चीनी किसान था उसने अपनी जमीन बेच दी। उससे जो धन मिला तो उसने उसको लौटा दिया। मैं इस विचार से सहमत हूं चाहे चीनी हो, रूसी हो, जापानी हो, किसी देश के बारे में कोई अच्छाई की बात हो, तो उसका असर जरूर बच्चों पर डाला जाना चाहिये चीन की जनता निश्चित ईमानदार है। इस प्रकार का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिये। बात पर जरूर जोर डालना चाहिये कि चीन की सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी पार्टी जनता और सरकार से भेद करने की बात करती है। हमें जनता से नफरत नहीं है, चीन की जनता से नफरत नहीं है, किन्तु वहां की सरकार से नफरत है, जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का पाठ इसमें जोड़ दिया जाय तो अच्छा है।

हमारे देश में खास तौर से दो बातों की ओर जोर देना है। इसको सरकार ने भी खुद माना है। वह है एक तो स्त्री शिक्षा और दूसरी टैक्निकल शिक्षा। राजस्थान में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर है। ६-७ वर्ष से १८ वर्ष तक की लड़कियां स्कूल जा रही हैं, २॥, ३॥। लाख स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर रही टैक्निकल एजुकेशन में भी विशेष कोई प्रगति नहीं है। इसलिये टैक्निकल एजुकेशन और खास तौर पर स्त्री शिक्षा की मद में पैसा बढ़ना चाहिये और युनिवर्सिटी की मद में पैसा रखा है उसको कम कर देना चाहिये। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि कोई सरकार अपने अनुदान के बल पर निरक्षरता नहीं मिटा सकती। जर्मनी, रूस से भी मिटी नहीं। वहां के पढ़े लिखे नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मेरा एक सुझाव है। वह पहले दिया था। दोहराऊंगा नहीं। राजस्थान में दो ढाई लाख पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मैट्रिक का इम्तिहान मई, जून में होता है, ८-९ महीने या तो वे बेकार रहते हैं या कोई सर्विस में लग जाते हैं। मैट्रिक के लिये छुट्टियां लेकर पढ़ते हैं, पूरी तरह से रोजगार मिलता नहीं। दो बातें हैं कि हमको निरक्षरता को मिटानी है और रोजगार भी नहीं मिलता है। उसके लिये कम्पलसरी यह नियम बना देना चाहिये कि जो बच्चा मैट्रिक पास तब ही माना जावेगा जब कि वह १०० आदमियों को साक्षर कर देगा और इसके लिये पंचायत समितियां उसको सर्टिफिकेट दे देगी। विश्वविद्यालय के बाद जर्मनी ने यह ही किया था। इस प्रकार से सौ व्यक्तियों को एक बच्चा साक्षर करेगा तब ही उसको प्रमाणिकता दी जावेगी इससे क्या होगा कि २-२॥ लाख जो बेरोजगार हैं वे २० लाख आदमियों को अक्षरज्ञान करा,

(श्री रामकिशन)

सकते हैं। मगर उनको किसी शाला में भेजने या उनके लिये विशेष रूप से अलग व्यवस्था करने के लिये आवश्यकता नहीं रहेगी और ये लोग साक्षर हो सकें। इस प्रकार करने से सात वर्ष के अन्दर सारे देश को साक्षर बनाया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एच्छिक श्रम के द्वारा नागरिकों को साक्षर बना देंगे।

मैंने शिडयूल कास्ट और शिडयूल ट्राइब्स की शिक्षा को देखा है। इन गरीब आदमियों हालत हर साल कमजोर ही देखते हैं। हम इस तबके को उठाने के लिये प्रयत्नशील हैं। मेरी पार्टी इस ओर विशेष रूप से देखती है लेकिन कांग्रेस पार्टी तो केवल वोट के समय ही इनकी ओर देखती है लेकिन हमारा तो यह क्रीड है, धर्म है। पहले १६ लाख रुपया वजीफे के लिये रखा था लेकिन अब १४ लाख रुपया कर दिया गया। उसमें दो लाख रूपया काट दिया। वजीफे के लिये मेरी पार्टी की यह नीति है कि चाहे हरिजन का बच्चा हो चाहे महारानी गायत्री देवी का बच्चा हो, बिना शुल्क शिक्षा मिलनी चाहिये। किसी जाति के बच्चे हों उनको वजीफे देकर पढाना चाहिये। टैक्स लगाते जाते हैं लेकिन सामाजिक क्षेत्र में कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, कम जमीन वाले को उसके बच्चे की पढाई के लिये छूट देनी चाहिये। एक नियम बना दें कि १,२००) रु० तक की आमदनी वालों के लिये सरकार वजीफे देगी और सरकार उनके बच्चों का खर्चा उठायेगी।

अध्यक्ष महोदय, सारे बजट के आंकडों को देखें। ऐसे कई खर्च पडे हुए हैं जिनकी विभागाध्यक्षों को जानकारी ही नहीं होती है। क्लर्क लिख देते हैं और ऊपर तक उसको देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रीजी ने भी उसी प्रकार देख लिया है। नीचे जो कुछ लिख दिया जाता है ऊपर तक उसी प्रकार उसको देख लिया जाता है; साहित्य एकेडमी, नत्य ऐकेडमी और ललित कला एकेडमी। इन तीन एकेडमियों के लिये पैसा रखा हुआ है। किसी भी देश के लिये उसका साहित्य बडी अमूल्य निधि है। १ लाख रुपया रखा है, साहित्य एकेडमी के लिये पिछले साल डेढ लाख था। साहित्य के लिये पैसा किसको दिया जाता है, इसका कोई पता नहीं। नियम बनाने चाहियें। मैं नहीं कहता कि इस प्रकार के नियम बनावें, लेकिन ऐसे नियम बनने चाहियें कि जिससे हरएक को मिल सके। जो दक्षिण के साहित्य का हिन्दी में अनुवाद करने वाले हैं उनको मिलना चाहिये। शिक्षा मद में रख रहे हैं राष्ट्रीय एकीकरण के लिये ५० हजार रुपया। राजस्थान जैसा राज्य जिसकी लम्बी संस्कृतियां हैं, आपने उसके लिये कुछ १॥ लाख रुपया रखा है राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को मिला कर। मेरा इसमें सुझाव है कि तामिल, तेलगू, बंगला और असमियां भाषाओं में जो साहित्य है उनका जो अनुवाद करते हैं उनको राष्ट्रीय एकीकरण के लिये जो पैसा रखा गया है उसमें से पैसा मिलना चाहिये। उस साहित्य का ज्ञान राजस्थानियों को हो सकेगा और इससे राष्ट्रीय भावना में एकीकरण की दिशा में हम काफी आगे, अग्रसर होंगे। इसलिये इन भाषाओं के सुन्दर अनुवादों के लिये पुरस्कार स्वरूप उनको मिलना चाहिये।

ललितकला एकेडमी और नाटयकला एकेडमी—दोनों को देखें तो उदयपुर के आस पास ही सब समाप्त हो जाती हैं कोई न कोई गडबड होगी। उदयपुर का नाम

(श्री रामकिशन)

आता है तो उदयपुर के लोग यह न समझें कि मैं उदयपुर के खिलाफ हूं।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा (नसीराबाद) : आप इसकी सफाई दें कि आप उदयपुर के कोठारी, मेहता, सुखाडिया, आचार्य, बोहरा के लिये हैं।

श्री रामकिशन : उनके लिये मामूली है। लडाई उनके लिये लड रहे हैं, जैसे मेरे क्षेत्र का एक आदमी है उसकी आमदनी छः रुपया है और दूसरी तरफ उदयपुर में २८४ रु० आती है। निरंतर फायदा उठाते जा रहे हैं। सदन की जानकारी में है और मैं अधिक उसमें नहीं जाना चाहता। ललित-कला एकेडमी का रुपया कहां गया, मंत्रीजी जबाब देंगे? नाट्य एकेडमी का रुपया कहां गया मंत्रीजी जबाब देंगे? इधर उधर बच्चों को खिलाने से मतलब नहीं। आम्रपाली के बारे में गवेषणा होनी चाहिये। उदयपुर के आदमी और किसी ने घुंघरू बांध दिये तो दे दिया पांच हजार रुपया। नाम मैं नहीं लूगा। उदयपुर में जायं, जोधपुर में जायं लेकिन संस्कृति की सेवा में जाना चाहिये जो पैसा जिस काम के लिये है वह पैसा उसी काम के लिये खर्च किया जाय, यही मेरा इन एकेडेमीज के संम्बन्ध में निवेदन है।

इसी तरह से हम देखते हैं, अंग्रेजी की शिक्षा होती है वह एक बात है। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं। लोग कहते हैं कि सोशियलिस्ट अंग्रेजीके विरोधी हैं, हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं। अंग्रेजी का राजकाज में प्रयोग करना हम उचित नहीं मानते। हम चाहते हैं हमारे राज-काज की भाषा हमारी अपनी भाषा हो। हम अंग्रेजी की इज्जत करते हैं इंगलेन्ड की लोक भाषा है। हिन्दुस्तान में अंग्रेजी एक प्रकार से सामन्ती भाषा है इसलिये हम विरोध करते हैं। सामन्त शाही की छाया इस पर है। आज हम देखते हैं कि जो अध्यापक अंग्रेजी साहित्य में बी० ए० करता है तो उसको १०) रुपया ज्यादा मिलता है। यह हम प्रलोभन देते हैं ताकि अंग्रेजी लोग ज्यादा सीखें। आप इस तरह से प्रलोभ न देकर सामन्ती भाषा का प्रचार करना चाहते हैं। आप लोकभाषाओं को पनपाने के लिये प्रोत्साहन नहीं देते। आप को समान रूप से सब के साथ व्यवहार करन चाहिये। आज हिन्दी साहित्य में कोई बी० ए० करता है तो उसका स्थान भी वहीं होना चाहिये जो अंग्रेजी को लेकर बी० ए० करता है। अध्यक्ष महोदय, हम विरोधी हैं इस प्रकार के भेद-भाव से।

संस्कृत शिक्षा के लिये भी रुपया रखा गया है पांच–सात लाख। संस्कृत भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा रही है लेकिन यह पुरातन भाषा में है। कोई माननीय सदस्य नाराज न हो जाय। मैं यह कह सकता हूं कि यह संस्कृत भाषा सामन्ती भाषा है यह कभी भी लोक भाषा नहीं रही। जिस समय शासक वर्ग संस्कृत भाषा बोलते थे उस समय प्राकृत जन साधारण की भाषा थी। हमारे यहां का यह नियम रहा है कि शासन जिस भाषा का प्रयोग करता था जनता उसके विपरीत भाषा का प्रयोक करती रही हैं। जिस समय संस्कृत राजभाषा के रूप में थी उस समय जनता प्राकृत बोलती थी। इसी तरह से जब राजकाज की भाषा फारसी रही तो जनता उर्दू का प्रयोग करती थी अपने बोलचाल में। उसी तरह से जब शासक वर्ग अंग्रेजी का प्रयोग करने लगे, जन साधारण हिन्दी भाषा का प्रयोग करने लगे।

(श्री रामकिशन)
संस्कृत में रिसर्च कार्य हो इसके लिये कोई इनकार नहीं कर सकता, पुराना ज्ञान जो संस्कृत के ग्रंथों में भरा पडा है उसका रिसर्च हो और उसका प्रकाशन प्रांतीय भाषाओं में हो। लेकिन इस भाषा पर इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। रिसर्च वर्क के लिये पांच–पन्द्रह लाख की राशि रखी जा सकती है, लेकिन भाषा के रूप में हमें इसकी जरूरत नहीं। हमें जरूर इससे ज्ञान-विज्ञान की बातें प्राप्त हो सकती हैं लेकिन हमारे राजकाज के प्रयोग में हमें हिन्दी को ही स्थान देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मैंने एक सवाल के जबाब में एक लिस्ट देखी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की उसमें मैंने देखा कि मेहता, भंडारी, कोठारी, थापर आदि ही हैं किसी हरिजन का उसमें नाम नहीं। किसी शुद्र का नाम नहीं। यह हमें बताता है कि हम किस प्रकार एकीकरण कर सकेंगे? आर. ए. एस. अधिकारियों की लिस्ट देखी, उसमें दो बातें सामने स्पष्टरूप से आती हैं कि जिनका प्रोमोशन हुआ उनमें ३३ प्रतिशत उदयपुर के हैं। उनमें भी हरिजन, शुद्र हो तो कोई बात नहीं लेकिन सभी सम्पन्न परिवारों के वही मेहता, कोठारी आदि के लडके, बच्चे जो घूम घाम कर इसमें आ गये वे ही दिखाई दिये उसमें ब्राहमण भी देखने को मिले इसमें कोई द्वेष की बात नहीं। आज हम दक्षिण में देखते हैं जहां एक संम्पन्न ब्राह्मण खडा होता है उससे गरीब ब्राह्मण डरता है। आज हम राज्य के अधिकारियों की लिस्ट को देखते हैं तो ये ही संम्पन्न लोग ही हमें ज्यादा दिखोई देते हैं। मेरा अपना कहना यह है कि हरिजन, शुद्र, आदिवासी, मुसलमान आदि जो पिछडे हुए वर्ग हैं उनको सर्विस में ६० प्रतिशत स्थान मिलना चाहिये। इसके विना हम राष्ट्रीयकरण नहीं कर पायेंगे। कमजोर स्थिति में फंस जायेंगे। यह मैंने लिस्ट के आधार पर कहा है मेरे मन की बात नहीं। जो लिस्ट मुझे दी गई उसी के आधार पर निवेदन किया है। प्रमोशन का सवाल जब आया तो उसमें मैं यह देखता हूं कि प्रमोशन भी एक ही इलाके के लोगों को, एक ही वर्ग के लोगों को मिला है। आप में राजस्थान की भावना होनी चाहिये। भरतपुर के लोगों के लिये मैं नहीं कहता, लेकिन आपकी दृष्टि सारे राजस्थान के लोगों पर समान होनी चाहिये। आप कहते हैं योग्यता के आधार पर लेते हैं, क्या राजस्थान के योग्य व्यक्ति एक ही इलाके में या एक ही वर्ग में होते हैं? मैं यह नहीं कहता कि प्रांतीय भावना हमारे मुख्य मंत्री में ही हो। ऐसा हर जगह देखा गया है, हमारे प्रांत के गवर्नर महोदय, जब उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे उनके समय की सूची भी मैंने देखी है, उस समय २४ कायस्थ एस. पी. हो गये।

श्री अध्यक्ष : आप इनका जिक्र न कीजिये।

श्री रामकिशन : मैंने उदाहरण के रूप में रखा। खैर, मैं अब उनका जिक्र नहीं करूंगा।

जिस समय उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर श्री कमलापति त्रिपाठी हुए तो ३६ एस. पीज. ब्राहमण हो गये। यह जो ट्रैण्ड है, बहुत बुरा ट्रैण्ड है। इससे हम जब तक नहीं बचेंगे, सही मायने में राज्य की सेवा की स्थिति नहीं सुधर सकेगी। जिन लोगों को आप प्रमोशन दे रहे हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह गृह विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कह

(श्री रामकिशन)

रहा हूं आपके यहां प्रमोशन का जो तरीका है। यह अजीब तरीका है। आपके यहां सिर्फ मैंने देखा है संम्पन्न लोगों को ही प्रमोशन मिला है, ऊपरी वर्ग के लोगों को ही प्रमोशन मिलता है। जनता को नजदीक लाने के लिये, जन भावनाओं को नजदीक लाने के लिये जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं है। आज कितने आदिवासी, हरिजन, और शुद्र हैं जो आपके यहां अधिकारी हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इन वर्गों के लोगों को अवश्य स्थान मिलना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो शिक्षा की नीति के बारे में सामान्य प्रशासन के बारे में जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार विचार करेगी।

(१०.४७ म०प०)

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के चुनावों से नामों की वापसी

श्री तेजाराम गेहलोत (सोजत) अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : मैं जन लेखा समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री राघतराम (सादूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री हरिराम (सिवाना–सु.) : अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि नाम वापिस लेने के लिये समय ४ बजे तक बढा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय ३ बजे तक ही रहेगा।

मांग संख्या १५ व ९—शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर आज बहस चल रही है। शिक्षा की बात किसी पार्टी की बात नहीं और इस मामले के अन्दर सभी पार्टियां एक हैं। हमारे देश में इस प्रकार कि शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हम इस देश को, हमारी राष्ट्रीयता को अपने विधान के अनुसार मजबूत बना सकते हैं। और इसीलिये यह एक आवश्यक विषय है जिसके ऊपर हमारा दृष्टिकोण जो कोई हो वह ऐसा होना चाहिये जिससे मालूम हो कि हम अपने देश को शिक्षा के क्षेत्र में किस तरफ ले जाना चाहते हैं।

मैं, आपके सामने निवेदन कर दूं, मैं कोई शिक्षा-शास्त्री नहीं। इसके साथ, साथ मेरी मान्यता है कि जो शिक्षा चलती है उसको एक नागरिक के नाते इसका असर हम पर क्या होता है, यह देखना है। सामान्य जनता पर इसका असर क्या होता है, उस सम्बन्ध में मेरे जो विचार वे मैं सदन के सामने रखूंगा।

अंग्रेजों ने जो शिक्षा की नींव डाली तो उनका उद्देश्य एक तरह का था। उसके माफिक जो नींव उन्होंने डाली वह राष्ट्रीयता की नींव नहीं थी। सिर्फ अपना काम काज चलाने के लिये शिक्षा का एक पैटर्न उन्होंने इस देश में डाला था। आज उसकी जरूरत नहीं है और इस देश के सभी लोग एक छोटे से

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
छोटे शिक्षक से और शिक्षा-शास्त्री से लेकर भारत के शिक्षा मंत्री तक स्वीकार करते हैं, पर रास्ता देख नहीं पाते हैं ।

आज इस शिक्षा पद्धति के विरुद्ध देश में असंतोष है । आज हर चिन्तक का दिमाग सोच रहा है कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं ।

आज एमर्जेन्सी है, हमारा दुश्मन हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, हमें डरा, धमका रहा है । हमारी धारणायें हैं इस दुश्मन से हमें निपटने में बहुत लम्बा समय लगेगा । हमें उसके लिये तैयारी करनी है । और उस तैयारी का आधार अगर कोई है तो शिक्षा है । हमें इसे नया रूप देने में अब जल्दी करनी चाहिये । इंगलैण्ड सरीके मुल्क अपनी शिक्षा के युद्ध के दिनों में बदला है ।

अमेरिका भी एक समय गुलाम था, वह भी आजाद हुआ । अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री ने लिखा है कि जिस तरह से हमारा देश आजाद हुआ उसी तरह से अमेरिका भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था । इस देश में और अमेरिका में एक ही फरक था यहां की पोपुलेशन बहुत ज्यादा है । उन्होंने शिक्षा को बदला और अपने अनुरूप बनाया और आज तरक्की कर गये ।

(१.५५ म.प.)
(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

अमेरिका ने यह किया कि आम जनता के लिये एक लिमिट बनाई और तय किया कि इतनी शिक्षा तो लेना हरेक के लिये अनिवार्य है । सरकार ने वह शिक्षा सबको देने की जुम्मेदारी ली और ऊपर की शिक्षा को विशेष तौर से ऐसा बनाया कि उसे भले ही थोड़े लोग पढ़ें पर पढ़ने पर वे पूर्ण रूप से शिक्षित हो जायं, अधूरे न रहें । इसकी गारन्टी भी सरकार ने ली ।

पर हमारे यह क्या है कि नीचे से लेकर ऊपर तक की शिक्षा सबको लेने का अधिकार दिया, पर सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती । मैं इसके लिये यह भी अर्ज करूंगा कि हर एक साल इस पैटर्न में भी चेन्ज किया जाता है । पर उसे ठीक शिक्षा नहीं दी जाती । जब इंगलैण्ड दूसरे महायुद्ध में इन्वोल्व हुआ तो वहां की शिक्षा को शिक्षा मंत्री ने डाइरैक्ट अपने हाथों ले लिया । वहां की सर्विसेज हमारी तरह से परमानेन्ट होती हैं, बदलती नहीं । इसके बावजूद भी यह उचित नहीं समझा गया और शिक्षा का विभाग मंत्री ने स्वयं ने अपने हाथों में लिया और आपने देखा, आज गौरव है इंगलैण्ड को कि वहां के नन्हें मुन्नों ने किस तरह की लडाई की स्थिति का सामना किया, झाडियां काटी, सड़के बनाई, हर तरह का जो उनके बूते का सैक्रिफाइस था, इस प्रकार उन बच्चों ने भी अपना हिस्सा अदा किया ।

इसी तरह का वक्त आज हमारे यहां भी आया है । मैं राजस्थान सरकार के सारे मंत्रियों से और खास करके शिक्षा मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि इसके अनुरूप वे हमारे यहां भी शिक्षा का पैटर्न बदलने की कोशिश करें ।

कभी कहा जाता है कि हमने एडव-र्टाइजमेन्ट किया, पर कोई शिक्षा शास्त्री नहीं मिला । यहां इस पर गरमागरम डिबेट भी हुई । उपाध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि अगर एक बात जो गड गई उसको आपने खडा किया। आपने एडवर्टाइजमेन्ट किया, मुल्क भर में एलान कर दिया कि शिक्षा शास्त्री ढूंढने में हम नाकामयाब रहे। यह बडी गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं इस सदन की एक राय है, जिस पर आपको पूरी तरह से गौर करना होगा। टालना नहीं चाहिये। मेरी मांग है और मैं सारे सदन के सदस्यों की तरफ से कहने का अधिकार रखता हूं कि शिक्षा आप शिक्षा-शास्त्रियों के सुपुर्द करें। हमारे बच्चे, जिनकी शिक्षा के लिये, जिनको सुसंस्कृत बनाने के लिये, जिनका भविष्य उज्जवल बनाने के के लिये जनता आज पेट पर पट्टी बांधकर भी आपको टैक्स देने को तैयार है जो अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं जो अच्छा भारतवर्ष उनके सुपुर्द करके जाना चाहते हैं, जिन्होंने जीवन भर कठिनाइयां झेली है और आज भी जीवन भर कठिनाइयां झेलने में जिनको संकोच नहीं, पर वे चाहते हैं कि उनके नन्हें मुन्ने, आगामी भारत में खुशहाल बने, उनको खुशहाल बनाने के इन्तजाम करने में सरकार अगर फेल होती है तो उसे अपनी असफलता का एलान करना होगा।

मैं इन शब्दों के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूं। आज जो हमारे शिक्षा डाइरेक्टर हैं उनकी सज्जनता और ईमानदारी में मेरा विश्वास है, पर वे एक तरह के खिलौने जो एक ही तरह के ढांचे में ढले हुए हैं। आई. सी. एस. और आर. ए. एस. के लोग हैं, जो मुमकिन हैं, कलेक्टर और कमिश्नर अच्छे हो सकते हैं। मुमकिन है कि वे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकते हों, पर मैं आज कह सकता हूं कि जिसने अपनी जिन्दगी का यह मिशन बनाया हो कि बच्चों को बनाना है, उनका भविष्य सुधारना है उनमें सच्चरित्रता, साहस, नैतिकता और भारतीय संस्कृति के संस्कार डालना चाहते हैं जिनकी जिन्दगी और भगवान बच्चे ही बन गये हैं वे ही शिक्षा शास्त्री हो सकते हैं जिनके कन्धों पर इन बच्चों की शिक्षा का भार डाला जा सकता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। आप इस राय को क्यों टालम टोल करते जाते हैं। मैं कहता हूं यह आपकी इनेबिलिटी है कि आप ऐसे शिक्षा-शास्त्रियों को ढूंढ नहीं पाते। आप ढूंढ सकते हैं। वे मिल सकते हैं। उनकी कमी नहीं है। पर चाहिये ढूंढने वाला ईमानदारी से ढूंढने वाला। आपका पुराना हैड मास्टर हो कोई रिटायर्ड आदमी हो राजस्थान में बहुत से ऐसे हैं जो आज भी हमारे सामने आदर्श हैं, एक नमूना हैं। जिन्होंने हमें और हमारी सात पीढी को और बच्चे की तरह पढाया है। आज वे रिटायर हो सकते हैं, पर मैं समझता हूं वे मिशन वाले सच्चे लोग हैं। सच्ची लगन वाले हैं उनकी जिन्दगी और भगवान बच्चे हैं। वे सच्चे मिशन वाले लोग राजस्थान में मौजूद हैं। पर बार बार सरकार उनको टालती जाती है हमारे बच्चों की इस तरह शिक्षा का काम टालने में सरकार की क्या मजबूरी है? समझ में नहीं आती। मैं इन शब्दों के साथ इन चीजों की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके बारे में आज हम पढते हैं।

आज हम अपने बच्चों के सुन्दर भविष्य बनाने के लिये, खुशहाल भारत का निर्माण करने के लिये, हमारी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जिसकी इतनी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दुहाई दी जा रही है उस जनतंत्र को फलता और फूलता देखने के लिये हम कुर्बानियां करते हैं करना चाहते हैं, हम करते रहेंगे। हम शान्ति से रहना चाहते हैं, पर हम अपने इन आदर्शों पर पहुंचने में किसी को रोडा बनता नहीं देखना चाहते । तो हम अपने इन आदर्शों के प्रतीक इन बच्चों को उनकी शिक्षा को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं तो हमें संतोष नहीं है । आज हमारी सब्र की सीमा टूट चुकी है । इस डिपार्टमेन्ट को पूरी तरह से संभालने वाला शिक्षा-शास्त्री नहीं होगा तब तक आपको कोई पसन्द नहीं कर सकता । आप जब कहीं जाते हैं शिक्षा संस्था में तो आपको तो माला पहनाई जानी चाहिये, वहां बच्चों और बच्चियों के गीत गाये जाने चाहिये । आप बैठे तो आपके लिये खेल और नाच-गान का कार्यक्रम होना चाहिये। आप वहां और कुछ नहीं देखते और टपक पडते हैं पैराशूट से। मैं यह भी जानता हूं, चर्चायें जो होती हैं, उनको भी जानता हूं । आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप थोडे दिन रह लीजिये । मैं यह दावे से कहता हूं कि आपको अब जागरुक होना पडेगा। पर आप में कला की दृष्टि नहीं हुई, आने वाले कल का और आज की हालतों का असर नहीं पडा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत हमारे इन शिक्षा मंत्रीजी पर और सरकार पर मैं यह प्रगट करना चाहता हूं कि समय हमें माफ नहीं करेगा।

(२.०० म.प.)

आप संभलिये इस चीज से और आपके सामने जो सुझाव मैंने रखे हैं उसके अन्दर खास कर आप देखें कि आपके टीचर्स, आपके बच्चे आप चुने हुए हैं म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन जैसे 'फादर आफ दी सिटी' कहलाता है आपको बाबा और परबाबा की तरह देखना चाहिए। मैं कुछ नमूना भी पेश करना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि खराबियां नहीं होतीं, लेकिन इसके अन्दर तो खराबियों को प्रश्रय मिल रहा है, उसको मुखालफत कर रहा हूं । खराबियों को निकाला जाता है लेकिन जहां खराबियों को प्रश्रय मिलने लगे तो सब ताकतें फैल हो जाती हैं और वह हमारे समाज को निम्न स्तर पर ले जाने वाला होता है। मैं यह गुजारिश कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सिलसिले में इतना आपको दिखाना चाहता हूं कि आप क्या हैं । एक और नया ढर्रा हमारे यहां डिपार्टमेन्ट में चल पडा है ।

मैं करप्शन की बात नहीं करता, लेकिन एक होड चली है कि वेन्यू निकाला जाये और लोग उसका फायदा उठा सकें। पहले एजुकेशन डिपार्टमेन्ट ऐसा था कि जिसमें बच्चे का सीधा संबंध टीचर से था और एक निजात चल[illegible] जिसमें कोई राजनैतिक दृष्टि नहीं जाती थी। आज स्थिति क्या हो गयी है ? आज स्थिति यह हो गयी है कि इसमें राजनीति ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है । इसमें राजनीति जाये तो मुझे एतराज नहीं, लेकिन वहां पर जितनी चीजें पैदा हो रही हैं और उन चीजों से आप नवाकिफ हों, ऐसी बात नहीं है । लेकिन आप भी ढकना लगाना चाहते हैं, उसका एतराज है। यह जो मानस बन गया है इस डिपार्टमेन्ट का, यह बहुत खतरनाक है । आप नेशनेलाइजेशन आफ बुक्स के मसले को ले लीजिए । मैं भी कहीं पर पढता था। एक किताब पढी बाबा ने चक्रवर्ती अर्थमेटिक वह हमारे काम आई, दूसरों के भी काम आई। एक गरीब आदमी जब बच्चे को भर्ती कराने के लिए जाता है तो ३०) रुपये खर्च करने होते हैं। मैं कहता हूं कि बिना २०) रुपये के तो वह सोच भी नहीं सकता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि वहां पर भर्ती कराया जा सकता है। इसके जरिये एक वेन्यू खोला गया कि बच्चों को अच्छी और सुन्दर किताबें मिलेंगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किताबें मिलने के बजाय पूरी तरह का डाजिंग शुरू हो गया। सरकार किताबें छपवाती है, वो एप्रूव होती हैं और वे किताबें प्रकाशकों के पास पहुंच जाती हैं, सरकार एक तरफ बैठी रहती है और प्रकाशक लोग बच्चों को ठगना शुरू कर देते हैं। यह सरकार के लिए और जो इसका इन्तजाम करते हैं उनके लिए शर्मनाक बात है। आप नहीं करते हैं लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो मैं क्यों नहीं मानूं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बुक्स का पब्लिक के लिए दुरुपयोग किया जाता है। किताबें आपने बनवाई, सरकार के खर्चे से उनको पैसा दिया, बडी-बडी कमेटियां बनी, एप्रूव हुई और बीच में से उसकी नकल निकाल कर प्रकाशक ले गये और वो उ[illegible]छपवाते हैं और बेची जाती हैं। पैसा आपका खर्च हुआ और कमाई उन प्रकाशकों को हुई। इसको रोकने में आपके अधिकारी फैल होते हैं। आप कहते हैं कि इसके लिए सबूत चाहिए। हमारे यहां जनतंत्र है और इसमें कानून की खिलाफत करने के लिए हम शुबाह से किसी को सजा नहीं दे सकते। लाखों रुपया हमारा पॉलिसी की वजह से पब्लिशर्स की जेब में जा रहा है और हमने आपको चौकीदार बनाया है। आपकी चौकीदारी फेल होती है तो हमें शुबाह उन पर नहीं आपके ऊपर भी होता है। हमें आपकी इस तरह की हरकतों का मुआवजा देना पडता है। इसके लिए हम आपको नहीं कहें तो फिर किस को जाकर कहें, किस को कहने जायें। आप नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आपकी टांगों में ताकत नहीं है कि आप उन पर पूरी तरह से सवारी कर सकें।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव देना चाहता हूं कि लडकियों की स्कूलों में टीचर नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं चाहे कोई मुझे बैकवर्ड कहे। मैं मानता हूं, आपने जो चीजें बनाई हैं आप टीचर को क्लर्क समझते हैं, आपका डिपार्टमेन्ट समझता है चाहे जहां उसका ट्रान्सफर कर दो। बच्चे का और गुरु का सम्बन्ध नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि एक टीचर जब तक उसके सब्जेक्ट में रिजल्ट अच्छा रहे तो एक ही स्कूल में उसको जिन्दगी भर सर्विस करने दें। आपने तो उस ो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सा क्लर्क समझ रखा है, बाडमेर से गंगानगर भेज दो। आप इन्कार करें इस बात से। उदयपुर, अजमेर और जयपुर में बीस बीस टीचर्स सरप्लस हैं। मास्टरों के लिए गांव वाले रो रहे हैं। वहां टीचर्स नहीं पहुंचते। क्योंकि आपके पास सिफारिशें पहुंच जाती हैं। आपने इसको अनाथालय बना रखा है। मैं यहां तक कह सकता हूं और उसमें जिनका असर है जिनका जैक है उनको भर्ती कर लेते हैं और वो शहर भी छोडकर नहीं जाते हैं। आप उनको शहर में ही रखते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहां उसके पास काम नहीं। बल्कि जो टीचर्स गांवों में हैं व स्कूल खाली पडे रहते हैं क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं कि उन टीचर्स से कह दें कि या तो नौकरी से निकल जाओ नही तो गांवों में जाओ जिसके पास सिफारिश नहीं वो बराबर गांवों में काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास जरा सा भी जैक है; उप-मंत्री महोदय, और शिक्षा मंत्री महोदय, मैं जिस जजबात से कह रहा हूं मैं समझता हूं कि आप उसी जजबात के साथ समझने की कोशिश करेंगे।

यह शहरों का चस्का कहां से आ गया? आप और हम तो गांवों से आये हैं। गांवों के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

स्कूल तो खाली पडे रहें और शहरों के स्कूल सरप्लस रहें, यह आपकी देखरेख है।

मैं और भी कहूं। मैं वाकयात में नहीं जाना चाहता हूं। सम्मानित शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि इस पैटर्न के अन्दर जो आपके स्कूलों का काम चल रहा है नेशनेलाइजेशन ऑफ बुक्स का हाल बताया। आपको कुछ नहीं मिलता। आपने कोई कमाई नहीं की, लेकिन मैं कहता हूं कि पब्लिशर्स लखपति बन गये आपसे मिलकर। आप ऊपर से देखते रहे और पब्लिशर्स आपकी जेब में से किताबें ले गये। इसके लिए अगर मैं गलत कहता होऊं तो आप सवाल कर सकते हैं मेरे साथ।

इसके आगे मैं यह भी कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि एक और ढंग निकाला है। वह यह है कि हमारें यहां एक मैट्रिक का इम्तिहान होता था, एक इन्टर-मीडियेट का और बी० ए० का। परन्तु आज कल एक कारखाना खुल गया है और वह यह है कि पहले मिडल का दीजिए, उसके बाद मैट्रिक का दीजिए, फिर हायर सैकेन्डरी का दीजिए, फिर फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० का दीजिए, फिर इन्टरमीजियेट का दीजिए, फिर थर्ड ईयर का और फिर फोर्थ ईयर का दीजिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह का कारखाना खोल दिया। इतने इम्तिहान का क्या मकसद है? आप एक ही नजरिया रख सकते हैं और वह यह है कि आप अपने शिक्षा के क्रम से आप इसका भी प्लान कीजिए कि आपको कितने इन्टरमीजियेट चाहिए, कितने बी० ए० चाहिये उसके बाद आप उन पर परीक्षाओं के ऊपर हमारे पैसे लें। जिन परीक्षाओं से आप अपना स्टेन्डर्ड नापना चाहते है वह गलत है। आप तीन-तीन और चार-चार दफा अलग अलग परीक्षाओं के लिए फार्म्स भरवाते हैं और एक एक रुपये का फार्म देते हैं जो दो पैसा का छपता है। आपने कारखाना खोल दिया प्रोफेटेरिंग कर दिया। दो पैसे का फार्म नहीं आता है और सरकार इस तरह की चीज करने देती है और उन फार्म्स का ब्लैक होता है। जिन दिनों आखिरी तारीख होती है हम अखबारों में पढते हैं एक एक फार्म दस-दस रुपयों का होता है। जैसे सिनेमा का। शिक्षा के नाम पर जहां ऐसी चीजें होती हैं वहां आपको नींद कैसे आती है?

मैं इससे भी ज्यादा जानना चाहता हूं। आपके सामने यह भी बयान करना चाहता हूं कि आपने बोर्ड शुरू किया। बोर्ड में शिक्षा शास्त्री होते तो लड़कों की दिक्कतों की ओर ध्यान देते, लेकिन आपने एक नयी बात निकाली है। बच्चे जब ज्यादा संख्या में पास होने लगे तो उनके लिये एक नोटिस लगाया, वह इसलिये लगाया कि आप चाहते है कि बच्चों के पास होने का रिजल्ट २५ पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिये। यह बड़े आश्चर्य की बात है, बच्चे मेहनत करें, इम्तिहान दें, उनके मां-बाप उनकी परवाह करें, लेकिन आपका दिल न पसीज कर यह करते है कि जो बच्चे गलत प्रश्न करेंगे तो आधे मार्क्स काट डाले जायगे। बच्चे हिम्मत नहीं करेंगे, वे समझेंगे कि यदि गलत सवाल कर दिया तो नम्बर नहीं देंगे, यहां तक तो ठीक है लेकिन तुम तो उल्टे काटते हो गलत सवाल करने पर इसलिये कि वे डर जाय और घबराकर फैल हो जाये उनकी साइकोलोजी पर इफेक्ट पड़ेगा। हमने हमारी शिक्षा को कॉमर्शियलाइज कर दिया है, उसको रुपयों में बेच दिया है। हैड मास्टरों ने ओपनली नोटिस लगाया है बोर्ड पर कि कोई बच्चा गलत सवाल अटेम्ट नहीं करे, नहीं तो आधे मार्क्स काट डाले जायगे। मैंने एक से

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पूछा कि यह क्यों किया, तो वे फरमाते हैं कि ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि यह देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। आप उन बच्चों को निकम्मा बनाते हैं, उनके पेरेन्ट्स को कितना दुःख होता है, जो बच्चा पूरी मेहनत करता है उसको और उसके पेरेन्ट्स को कितनी परेशानी होती है उसकी कद्र नहीं करते और बूचड़खाने की बात करते हैं, यह गलत है। इसका कारण यही है कि यह विभाग शिक्षा शास्त्रियों के हाथ में नहीं रखा है, उनकी गाइडेन्स से नहीं चलते हैं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह भी कहना चाहता हूं कि आज देश पर संकट आया है तो हर कौम का आदमी इन्सान की तरह खड़ा होता है। यही कारण है कि आज देश का मोरेल इतना ऊंचा है, आज सारी दुनियां हमारी तरफ आंख लगाकर देख रही है। लेकिन आपका शिक्षा मंत्रालय क्या करता है? आज आप ऐसी किताब लिखवाते हैं जिनसे मुसलमानों का दिल दुखी हो। ऐसे लोगों से किताब लिखवाते हैं जो हिस्ट्री नहीं जानते हैं। वक्त कम है, नहीं तो मैं साबित करता कि आज जो हम एकता की बात करते हैं, दोस्ती करने की बता करते हैं उनकी हुकूमत दूसरी तरफ इस तरह कि हरकतें करती हैं कि जिससे दूसरे का दिल शिकनी हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? शिक्षा के मुतल्लिक यह बुरी बात है। जब हम अंतराष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो आपस में एक दूसरे को लड़ाने की शिक्षा हमको नहीं चाहिये। हम एक होकर रहना चाहते हैं। हमारे बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं देनी चाहिये। इस स्थिति में सुधार होना चाहिये आप में ताकत है, कुव्वत है, आप दोनों में कुव्वत है, यह मैं मानता हूं। लेकिन आपके साथ जो लोहे के जेक्स लगे हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश करिये। सारा सदन आपका साथ देगा हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छा चरित्र निर्माण कर सकें इसका उपाय करिये अच्छे शिक्षा शास्त्रियों के साथ सम्पर्क स्थापित करिये, इसको भर्ती की जगह मत बनाइये, खानापूरी की जगह मत बनाइये, पैसे खर्च करने की जगह मत बनाइये। हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढें, उनको मजबूत हाथो में दें जिससे वे दुश्मन का मुकाबला कर सकें।

(२.१५ म. प.)

जनलेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति के चुनावों से नाम की वापिसी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीराम।

श्री अल्दाराम मेणा (सुमेरपुर सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्राक्कलन समिति और जन लेखा समिति में अपना नाम दिया था उनसे दोनों से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना नाम एस्टीमेट्स कमेटी से वापिस लेना चाहता हूं।

मांग संख्या १५ व ९–शिक्षा व सामान्य प्रशासन (पूर्व क्रम से)

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस बजट पर चल रही है, एमर्जेन्सी के टाइम पर चल रही है और अब हमको यह देखना है कि इस इमर्जेन्सी का जिस तरह से देश पर असर हुआ, जिस तरह से प्रान्त के लोगों पर असर हुआ, जिस तरह से हिन्दुस्तान के किसानों और मजदूरों पर असर हुआ, जिस तरह से राजस्थान के किसानों और मजदूरों पर असर हुआ हम यह देखना है कि किस तरह

(श्री हरीराम चौहान)

की कार्यवाहियां करके अपने खर्चे में, बजट में कटौती करके उन्होंने हमारी सरकार को सुरक्षा के लिये पैसा दिया । अब हमको यह देखना है कि जो हमारे उच्च अधिकारी है, जो हमारे मंत्रि-मण्डल के सदस्य है, जो हमारे सेक्रेटेरियेट में बैठते हैं, सारे राजस्थान की बागडोर उनके हाथ में है उनकी यह जिम्मेदारी है कि सारे राजस्थान की जनता को पूरी तरह से चलने के लिये प्रेरणा दें । अब हमको उनके बजट की तरफ देखना है । पहले के बजट में और आज के बजट में कौनसा बुनियादी परिवर्तन हुआ है, क्या फर्क दिखाई देता है तो इस बजट को चाहे सारी रात पढें, चाहे और दो-चार रात लगावें लेकिन इसमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता । बड़े चश्मे लगा लगा कर देख, चाहे बिजली की रोशनी में देखें लेकिन कोई फर्क दिखाई नही देता । आखिर सरकार इमर्जेन्सी की बहुत तैयारी कर रही है किस लिए कर रही है ।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : कम्युनिस्टों के चक्कर को खत्म करने के लिये ।

श्री हरीराम चौहान : सरकार इमर्जेन्सी का बजट तैयार कर रही है और इसको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे जो उच्च अधिकारी हें, उनकी है । सुरक्षा की कहें तो भी उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। विकास के लिए यदि कहें तो भी उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिये लेकिन क्या उनकी जो तनख्वाहें हें उनमें कोई फर्क पड़ा, या उनका जो सिस्टम है, व्यवस्था है उसमें कोई फर्क पड़ा या काम में कोई तेजी आई या पहले जिस तरह से काम होता था अब उसका चलना तेज हो गया है, क्या ? या लोगों का काम अब जल्दी होने लग गया है, इस तरह की कोई बात दिखाई दी है क्या ? लेकिन में कहूंगा कि वह भी नहीं दिखाई दी । इसी तरह में यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह दिखाई देने लगा है कि भ्रष्टाचार के मामले जल्दी तय होने लगे हें। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सजा मिलने लगी है, या भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी पहले व्याप्त थी उसमें इमर्जेन्सी के समय कुछ कमी हुई है क्या ? तो वह चीज भी अपने को देखने को नहीं मिलती । एक बात जरूर कहूंगा, हमारे गृह मंत्रीजी की तस्कर वालों की तरफ नजर गई है इसके लिये हम उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी जो मामला है····

एक माननीय सदस्य : कोई ट्रान्सफर करवानी है क्या ?

श्री हरीराम चौहान : नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : (हाथ जोड़ कर) हमारी नजर तो आप पर भी है ।

श्री यगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): इश्क नजर से नजर मिले तभी पैदा होता है ।

श्री हरीराम चौहान : इनके अन्दर कटौती करनी चाहिये और जो पहले बजट था उसमें गैर जरूरी खर्चे हें वे होने ही नहीं चाहिये । लेकिन पहले जो बजट था उसमें जिस तरह की काट छांट की जा सकती है, कमी की जा सकती है, जो जरूर की जानी चाहिये । ये सब चीजें पहले भी बहस के दौरान आई हें, मुख्य मत्रीजी ने जवाब

(श्री हरीराम चौहान)

देते समय कहा कि हमारे यहां मंत्रि-मण्डल की बात करते हैं, बार बार करते ही जाते हैं, यह बात ठीक है कि बार बार यह बात करते हैं। लेकिन बार बार करने के बावजूद इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता है और कहती है—मैं प्रजातंत्रीय सरकार हूं। इस प्रजातांत्रिक सरकार का यह हाल है, जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी ठहरता नहीं है। हम इधर से कहें तो हमारी बात तो छोड़ दें लेकिन उधर के लोग भी कहते हैं, लेकिन ये आलोचना-प्रूफ हैं, उसके ऊपर आलोचना का असर नहीं होता है और झूठे ठाट के साथ कहते हैं कि हम बिल्कुल प्रजातांत्रिक सरकार है, और ऑपोजिशन का बिल्कुल आदर करते हैं।

हमारे मुख्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि था कि यह मंत्रि-मडल पहले ही बिल्कुल छोटा है। यह बात तो गलत है कि मंत्रि-मंडल पहले ही छोटा है क्योंकि आपके मुकाबले में पंजाब का मंत्रि-मंडल हैं, हम उससे नापेंगे। हम यू. पी. से क्यों नापने लगें? आज हम उससे नापना चाहते हैं, कि पंजाब का मंत्रिमंडल छोटा होने के बाद क्या कोई बाकी है या उसे रोका गया है। पंजाब का मंत्रिमंडल आपसे ज्यादा है या कम? इस विषय के अन्दर जाकर हमें देखना चाहिए, तो देखने के बाद हमको पता चलता है कि दूसरी जगह के मंत्रिमंडल के अन्दर, पंजाब के अन्दर, हमारे पड़ोस के अन्दर, मंत्री-मंडल में कमी हुई है, मंत्रि-मंडल के खर्च के अन्दर कमी हुई है, लेकिन हमारे यहां मंत्रिमंडल बढ गया है और मंत्रि-मंडल का खर्चा भी बढ गया है। पहले के मुकाबले में खर्च बढ़ा हुआ है क्योंकि ९ लाख ७७ हजार मंत्रि-मंडल पर खर्च होगा। और वह खर्च भी जिस तरह हो रहा है उसको आप पूरी तरह देखते हैं सदन के अन्दर कि एक मंत्री महोदय ने दस हजार रु० टी. ए. डी. ए. का ले लिया। एक साल के अन्दर। एमर्जेन्सी का यह असर पड़ रहा है हमारे यहां कि एक मंत्री महोदय ने दस हजार रुपये उठा लिये और फिर भी लोगों से कहते हैं कि एमर्जेन्सी है। हम सड़क बनवाने की बात कहें तो कहते हैं कि इमर्जेन्सी है। हम कहीं कोई बांध बनाने की बात कहें तो कहते हैं कि इमर्जेन्सी है। हम कहीं और कोई छोटा-मोटा काम कराने की बात कहते हैं, कोई नदी नाला ठीक कराने की बात कहते हैं तो कहते हैं कि इमर्जेन्सी है। लेकिन दस हजार रुपया एक मंत्री महोदय ने अपनी जेब में डाल लिया, उसमें एमर्जेन्सी का पता नहीं है। तो क्या इमर्जेन्सी हो रही है? इन की नजर में कौनसी एमर्जेन्सी है? यह एमर्जेन्सी है कि एक मंत्री ने एक मोटर खरीदी है और उसको कर्ज देना जरुरी है। और वह जब तक लम्बा सफर नहीं करेगा घूमेगा फिरेगा नहीं तो उसका कर्जा चुक नहीं सकता। अगर यही एमर्जेन्सी है तो हम यह मान सकते हैं भाई, इनके दिमाग के अन्दर एमर्जेन्सी की क्या अहमियत है। इसके अलावा बिजली पानी का हिसाब लें तो वैसे तो सारे हिन्दुस्तान के लोगों ने पार्लियामेन्ट के अन्दर बैठ कर आलोचना की है क्योंकि वहां बहुत ही जो त्यागी और तपस्वी हैं उनका पांच सौ रुपया पानी और बिजली का खर्चा आया है। हमारे यहां अलग लिस्ट मिली नहीं है लेकिन उसको देखें तो उसमें दो सौ, ढ़ाई सौ रुपये से कम नहीं मिलेगा। एक मंत्री के ऊपर

(श्री हरीराम चौहान)

दो सौ, ढाई सौ रुपया पानी-बिजली पर खर्च हो जाय तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक मध्यमवर्गीय परिवार का सारा खर्च है, उसके जीवन का जो खर्च है, वह एक मंत्री महोदय पर हो गया है। इतना रुपया वह अपने खुद के ऊपर बिजली और पानी के लिये खर्च करता है। उसके अन्दर इस एमर्जेन्सी का क्या असर पड़ा, वह भी हम जवाब के अन्दर सुनना चाहेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हाल यह है कि (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी तो पांच मिनट हुए हैं। आधा घंटा है.

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल सकते हैं अगर दूसरे माननीय सदस्यों को अवसर न देना चाहें।

श्री हरिराम चौहान : कह दिया है, एक ही बोलूंगा।

तो इससे आशा होती है कि उनके दिमाग पर कुछ असर होना चाहिए। अगर इस सरकार ने यह समझ रखा है कि यह जो असेम्बली है। हमारी इस असेम्बली के अन्दर कुछ लोग आयेंगे। अॉपोजीशन के लोग आयगे और वे कुछ लफ्फाजियां करके चले जायेंगे। वे हमारी पूरी तरह आलोचना कर लेंगे तो थोड़ा हंस कर, थोड़ा मुस्करा कर हम जवाब दे लेंगे। इस तरह का उनका दिमाग है। इस तरह उन्होंने समझा है तो मैं यह समझता हूं कि यह कोई प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। अगर वे यह समझते हैं कि क्योंकि हम भाषण करने में कुछ होशियार हैं, हमको ये सारी कलाबाजियां आती हैं और उससे हम पूरी तरह से तसल्ली करा सकते हैं। अगर यह तसल्ली है और आप यह समझते हैं कि यह असेम्बली है, यह कानून बनाने वाली अलग है और उसको अमल में लाने वाले लोग पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। और पर्दे के पीछे से काम चलाना चाहते हैं, उस नौकरशाही के द्वारा वह सारा का सारा कारोबार बनाना चाहते हैं और असेम्बली की तरफ कोई नजर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। आपके दिमाग पर किस तरह से असर पड़े।

इसके अलावा कुछ ऐसी फिजूल खर्चियां दिखाई दे रही हैं जैसे हवाई जहाज यहां राजस्थान के अन्दर ठहरे उसके लिए एअर इंडिया कोरपोरेशन को सब्सिडी ८ लाख ७५ हजार, ऐसा कुछ है, पौने नौ लाख के करीब सब्सिडी दे रहे हैं। उसको इसलिए दे रहे हैं कि उसने कहा–– हमारा नुकसान होता है। आपके यहां अगर ठहरेंगे तो यह सारा खर्चा भुगतना पड़ेगा। क्या जरूरत है इस बात की? गाड़ियों में बैठ कर, मोटरों में बैठ कर आप चल सकते हैं और उनका अपना अलग कारोबार है। उनका यह खर्च भुगतने की जरूरत नहीं है। यह आज बजट में दिया हुआ है और इस इमर्जेन्सी के टाइम के अन्दर हम यह खर्चा अपने माथे के ऊपर ले रहे हैं।

फिर बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले कितने आदमी हैं। मंत्रिमंडल के लिए कह सकते हैं कि छोटा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है दूसरों के मुकाबले में। यह कह सकते हैं, लेकिन सेक्रेटेरियेट के लोगों की लिस्ट देखें कि सेक्रेट्रीज कितने हैं? सेक्रेट्रीज हैं ६१....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): कहां से लाये ?

श्री हरीराम चौहान : ६१ । ये मंत्रियों के पीछे घूमते हैं । निजी सचिव कहते हैं जिनको ये ४१ हैं । इन दोनों का हिसाब लगायें तो १०२ हैं । १०२ इमर्जेन्सी के टाइम में काम कर रहे हैं । पता नहीं, कौन सी फौज तैयार कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ये १०२ सेक्रेट्रीज.......

श्री मथुरादास माथुर : आपके सवालों के जवाब देने के लिए फौज रखी गई है ।

श्री हरीराम चौहान : १०२ ।

एक तो बात यह हुई । कृषि के अन्दर हैं ३१ डाइरेक्टर हैं, कोई डाइरेक्टर हैं, कई सहायक डाइरेक्टर हैं, कई डिप्टी डाइरेक्टर हैं, कई और डाइरेक्टर हैं—पता नहीं कोई नई पौध लगाने वाला डाइरेक्टर हैं, कोई गमले वाला डाइरेक्टर है, जो नाम तय हो गया उसके लिये डाइरेक्टर मुकर्रर कर दिया । इसी तरह शिक्षा के अन्दर है, शिक्षा की बहस चल रही है, उस शिक्षा विभाग के अन्दर १७ डाइरेक्टर हैं और १४ डाइरेक्टर उद्योग लगाने वाले हैं । इन सबसे अगर कोई सरकार को पूछना चाहे, सरकार को पूछने का कोई हक रखता है और अगर पूछने का कोई असर हो सकता है तो क्या सरकार बता सकती है कि कौन इनके कहने से उद्योग लगाने के लिये आता है । उनके खुद के स्वार्थ हैं, वे खुद अपना हिसाब-किताब देखते हैं, इनसे ज्यादा काबिल लोग उनके पास मौजूद हैं । चाहे कृषि के डाइरेक्टर हों, चाहे शिक्षा के डाइरेक्टर हों उनके कहने से कौन खेती उगाता है ? उनके कहने से न कोई खेती उगाता है और न उनका कोई काम है कि वे वहां जायं । वे जयपुर में बैठ कर पंखे के नीचे आराम करें और उन्हें तनख्वाह, पांच सौ, सात सौ, हजार, डेढ़ हजार मिलें, लेकिन इस एमर्जेन्सी के टाइम में यह सरकार कहती है—नहीं, हम टैक्स लगा सकते हैं । टैक्स लग सकते हैं—इसमें कमी नहीं करेंगे । इसमें कमी नहीं करेंगे, जागीरदारों के मुआवजे में कमी नहीं करेंगे, राजाओं के प्रिवीपर्स में कमी नहीं करेंगे—ये सब चीजें नहीं करेंगे लेकिन टैक्स लगा सकते हैं । तो यह जो सिस्टम है, इसके अन्दर यह तसल्ली हो गई है कि यह जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने के लिये सरकार कुछ करेगी नहीं ।

मनोरंजन के लिए १० हजार इस बजट में रखे हैं । कौनसा क्या मनोरंजन करेंगे, उसके अन्दर कोई क्लियर नहीं है । दस हजार रुपया मनोरंजन के लिये है । सारे डिपार्टमेंट से कहते हैं कि खर्च में कमी करो । सरकार ने कटौती की है, मीटिंग करके फैसला करके कटौती की है कि हम कागज के एक तरफ नहीं दोनों तरफ लिखा करेंगे । कागज के दोनों तरफ लिखा करेंगे, बड़ी जबरदस्त कटौती है ? हर हाल सौ, दो-सौ की कटौती हो जायगी ! हमको इस कटौती से तसल्ली देना चाहते हैं । सरकार का मकसद यह है, "बचत करो", "बचत करो" कह कर लोगों को जोश दिखाओ, लेकन करने-धरने के नाम कुछ नहीं है ।

तो इस तरह की कटौती हो, कोई अच्छी कटौती करें, बुनियादी तौर पर कोई कटौती करें, तनख्वाह में कटौती करें, बड़े बड़े ऑफिसरों की तनख्वाह घटावें व छोटे २

(श्री हरिराम)
कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात करें तो कोई सिस्टम समझ में आ सकता है ।

हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है और अगर आप इस तरह से कार्यवाही नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । आप एण्टी-करप्शन बोर्ड कायम करके भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं और उन्होंने कुछ केसेज पकड़े भी हैं जिनमें कई गजेटेड ऑफिसरों के केसेज भी हैं । वे उनकी जांच करके सरकार के पास भेजते हैं और वे ऐसे केसेज होते हैं जिसमें आप आशा करते हैं कि कुछ न कुछ उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिये जिनको सरकार के पास भेजते हैं । इस प्रकार गजेटेड आफिसरों के आठ केसेज सरकार के पास राय के लिये भेजे गये हैं उनको आज एक साल हो गया है लेकिन अभी तक सरकार के पास से वे केसेज़ वापिस नहीं आये हैं । सरकार उनकी तरफ ध्यान देती है या नहीं मगर इन केसेज को ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने जानबूझ कर दबा कर रखा है । अगर माननीय मंत्री चाहें तो इन केसेज के नाम भी बताये जा सकते हैं । अब बेचारे एण्टी-करप्शन वाले भी क्या करें ? जब उन्होंने उन केसेज को सरकार के पास भेज दिया और अब सरकार ही उन केसेज को प्रोसीड नहीं होने देती तो सरकार में भ्रष्टाचार किस तरह से कम हो सकता है? सरकार मे भ्रष्टाचार की बात अवश्य देखने को मिलेगी । यह तो मैं उन केसेज की बात कहता हूं जो सरकार के पास पड़े हुए हैं बाकी कुछ केसेज ऐसे हैं जिनके लिये हम असेम्बली में रातदिन कह देते हैं, कुछ लिख कर दे देते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज के लिये पड़े रहते हैं उनको हम रात-दिन जानते हैं और उसका जवाब भी सरकार के पास बहुत आसान सा है और मैं समझता हूं कि आज भी सरकार इस प्रकार का जवाब दे देगी । और कह देगी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये हम आपके साथ हैं और हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । हम समझते हैं कि आपका सहयोग हमारे भी साथ होगा । मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे हाथों में कुर्सियां नहीं हैं । हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हम आपके नोटिस में लावें, हम किसी को सजा नहीं दे सकते हैं । हम केसेज पकड़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, आपको हम सहयोग दे रहे हैं आप उनके साथ इन्साफ करें । फिर हम कोई पक्षपात करते हैं तो समझ में कोई बात आ सकती है । आप अपना जवाब बना कर रखते हैं । हम भी यही जानते हैं कि इस प्रकार का उत्तर होगा इसलिये चलो हम यहां पर बोलना है इसलिये बोल चलें । क्योंकि हम जानते हैं कि जवाब सरकार के पास इस किस्म का तैयार होगा ।

तो मैं आपके सामने थोड़े समय में अपना भाषण समाप्त कर देता हूं और निवेदन करता हूं कि आठ केसेज साल भर में आपसे फैसल नहीं हुए उनमें से चार केसेज तो चीफ मिनिस्टर के पास पड़े हुए हैं । महीनों से पड़े हुए हैं । जब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचारी आफिसर होते हैं, उनके केसेज एण्टी-करप्शन वाले सरकार के पास भेज देते हैं और चीफ मिनिस्टर सरकार में किसी कागज को ले कर बैठ जाएं और उन कागजों को न तो ऊपर जाने दें न नीचे जाने दें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिराम)
में यह कहूंगा कि हम फरियाद फिर किस के पास ले कर जायं और किससे सारे सवालों के जवाब मांगें ? तो इस तरह का सिस्टम हो उसमें गड़बड़ी होती है इससे कुछ व्यक्तिगत लोगों को प्रोत्साहन मिलता है–उसकी में आपको एक मिसाल देकर बताता हूं । एक भैरोंसिहजी, ठाकुर खेजड़ला जोधपुर के हैं और उनका मकान जोधपुर में हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस मांग से एण्टी-करप्शन का कोई संबंध नहीं आता है । और इसका जवाब देने में कठिनाई होगी इसलिये में आपसे अर्ज कर रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : ऑफिसरों की बात है । मुख्य मंत्रीजी आज यहां है नहीं, आप उनके बदले में आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order!!

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : कल जिस वक्त मैंने कहा था उस समय एण्टी-करप्शन के बारे में होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह जी. ए. डी. का काम है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह कहा था कि एण्टी-करप्शन की बात, हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, यह जी. ए. डी. का नहीं है ।

श्री हरिराम चौहान : आपको ठीक लगे तो जवाब देना, लेकिन यह उचित है और इस प्रकार की कार्यवाही होती है । जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हैं उनके बारे में मैं कहूंगा और वह इसलिए कहना चाहता हूं कि इससे कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचता है । खेजड़ला ठाकुर साहब का मकान जोधपुर में है । पहले आप कांग्रेस की तरफ से यहां के सदस्य थे । उनका मकान ७००) रु० में किराये पर देने के लिये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, पहले उनका सवाल आया था । अब इस डिमान्ड से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा डिमान्ड के संबंध में बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा । आप प्रारंभ रखिये ।

श्री हरिराम चौहान : ऐसे काम मंत्री करते हैं । जो मंत्री ऐसे काम करें उनके लिये में कहना चाहता हूं । उन्होंने उसका किराया लिख कर दे दिया । दूसरा कोई आदमी उस मकान को लेने के लिये तैयार नहीं था और उनके दूसरे डिपो दूसरी जगह हैं जिनका किराया आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह ४०), ५०) रु० से ज्यादा माहवार में नहीं आता । उस मकान को सरकार ने ८५०) रु० माहवार पर किराये पर लिया है, जब उन्होंने खुद ने चिट्ठी में लिख कर दियां था कि ७००) रु० में देने को तैयार हैं । उनके मकान को इसलिये इतना अधिक रेट देकर किराये पर लिया कि उनको किसी न किसी तरह से आपको खुश रखना है । इसलिये यह किया गया है ।

(२.३० म. प.)
(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्राक्कलन समिति के चुनाव से नाम की वापसी

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट कमेटी में मेरा नाम था । उसको में वापिस लेता हूं ।

Page No 75

मांग संख्या १५ व ९–शिक्षा व सामान्य प्रशासन

(पूर्व क्रम से)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, शायद में अपने कट मोशन से जो समय मुझे मिला है उसमें जस्टिस नहीं कर सकूंगा, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हाउस के सामने में अपने कट मोशनों को पेश करूं। पिछले दिनों से में ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय is relegated to the position of background और में यह भी ख्याल करता हूं कि इस नाते उन्होंने अपने आपको—he has put himself in a state of slumber कभी कभी अपने ऐक्सपीरियेन्स दिखाने को माननीय मंत्री points of order के नाम से, कभी points of clarification नाम से expres करते रहें। मगर में समझता हूं कि अभी जो होप्स लेकर वे आये थे और जो aspirations लेकर आये थे, जो इण्ट्रप्शान्स होते हें; मुझे जानकारी नहीं। इन शब्दों के साथ जो प्रोग्रेस माननीय सदस्यों ने शिक्षा के बारे में बताई, और में समझता हूं कि प्रोग्रेस जरूर हुई है मगर जिस प्रकार की प्रोग्रेस होनी चाहिये, नहीं हुई। एजुकेशन में स्कूल ज्यादा बनीं, युनिवर्सिटीज़ बनीं, डिग्री कॉलेजेज़ बने, एक से अनेक युनिवर्सिटीज हो गई; लेकिन हमारे यहां जिस प्रकार की प्रगति होनी चाहिए, जिस प्रकार का डवलपमेंट होना चाहिए था वह राजस्थान में नहीं हो सका। में यह नहीं कह सकता कि इस डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे आदमी नहीं हें, में यह नहीं कहना चाहता कि जो माननीय मंत्री बैठे हें, शिक्षा के बारे में उनको ज्ञान नहीं। वे शिक्षा के बारे में ज्ञान रखते हें लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि जितनी दिलचस्पी के साथ जो आदर्श उनको इस संबंध में दिखाना चाहिये, उनको एजुकेशन को हैण्डल करने का, कैसे लोग उसको कण्ट्रोल कर सकें, में समझता हूं कि इस मामले में वे अटर (utter) फेल्योर रहे हें।

आज के वक्त जब हम नेशनल इन्ट्रीग्रेशन की बात करते हें, इकानोमी और ऑस्टेरिटी की बात करते हें तो मैं आपका ध्यान युनिवर्सिटी के अफेअर्स की तरफ ले जाता हूं। हालांकि मेरे पास लिमिटेशन्स हें टाइम की कि सारी बात रखूं, पर फिर भी दो-चार बात जैसे यूनिफाइड टीचिंग के लिये कॉलेज हैंड ओवर किये हें, फेकल्टीवाइज़ टीचिंग के लिये कॉलेज हैंड ओवर किये हें, वह मकसद पूरा नहीं होता। एक शब्द याद आता है :

> He, like Colossus, doth override for only rules, but Statutes and Ordinances."

कितने इर्रेगुलर अपोइण्टमेंट्स किए, कितने फ्लेगरेंट वायोलेशन्स स्टेच्यूट्स किए, कितना एक्सपेन्डीचर, कितना खर्चा हुआ; इन सबको गौर से देखेंगे तो ताज्जुब कीजियेगा। इसके हैड के रेजिडेन्स में २० हजार रुपया खर्च होता है।.....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या विश्वविद्यालय की आन्तरिक समस्याओं के बारे में यहां बहस की जा सकती है ?

श्री केदारनाथ : ग्रांट देते हें तो इस तरह रिफ्लेक्शन डाले जा सकते हें।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय बता सकते हें कि क्यों नहीं की जा सकती ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्योंकि विश्वविद्यालय अपने एक्ट के अधीन चलता है। विश्वविद्यालय आटोनोमस बोडी होने से उसकी आन्तरिक व्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिये सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि विश्वविद्यालय आटोनोमस बॉडी है।

श्री केदारनाथ : हमारी एजुकेशन में एफिशियेन्सी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज में एजुकेशन का स्टेण्डर्ड अच्छा नहीं है, कोआॅर्डिनेशन नहीं मिलता। इसलिये टीचिंग के लिये अच्छा एकेडेमिक क्लाइमेट पैदा नहीं कर सकते, इन्स्पायर नहीं कर सकते। ऐसी दशा में प्राइमरी स्कूलों के, डिग्री कालेजेज के, हायर सेकेंडरी के टीचर्स कुछ अच्छा अचीव कर सकेंगे, इसमें शंका है। ४५ लाख रिज़र्व्ड हैं, सब एग्ज़ास्ट हो जायगा तो सरकार के सामने सवाल आयेगा कि इस बैंक्रप्सी को कैसे दूर करें? तो अभी तो वक्त है, इसको कन्ट्रोल कीजिये।

दूसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं वह स्पोर्टस् कौंसिल के बारे में है। मैं समझता था कि राजस्थान में एक ऐसी इन्नेट क्वालिफिकेशन्स (Innate Qualifications) हैं, क्वालिटीज हैं, पिछले साल में काफी नये रेकॉर्डस् पैदा हुए, अच्छे एथलेट्स निकले, पर स्पोर्टस कौंसिल की हालत को देखते हैं, उसके कम्पोज़िशन को देखते हैं, उसके चेअरमैन की तरफ देखते हैं, मैंने १५ साल तक खेल देखे हैं, मैंने कभी इन चेअरमैन को नहीं देखा, हो सकता है इण्डोर गैम्स में माहिर होंगे, पर किसी मीट्स में, ओलम्पिक्स में नहीं देखा, उनका इनसे कोई वास्ता नहीं रहा। ऐसे आदमी को चेअरमैन बना कर आप सोचते हैं कि राजस्थान में अच्छे एथलेट्स पैदा कर सकते हैं तो इसमें मुझे बड़ी भारी शंका है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका डेमोक्रेटाइज़ेशन कर दीजिये, इसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कर दीजिये। डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्गनाइजेशन्स हों, उनके नुमायन्दे लेकर बाडी बनाइये, उसकी मार्फत चुनाव कीजिये और फिर आप इसको अच्छी ग्रांट दें। इसकी गांव गांव में पंचायत समिति वाइज मीट्स हों। मैं मिसाल दूं आपको, चार पांच साल पहले रशिया की बॉलीवाल की टीम आई थी, मेरा उनसे मिलने का मौका पड़ा, मैंने उनसे पूछा कि सालाना कितनी टीमें मीट करती हैं तो उन्होंने कहा कि सालाना २,५०० टीमें मीट करती हैं। वॉलीबाल एक मामूली गेम है, उसकी ढ़ाई हजार टीमें मीट करती हैं। हमारे यहां कौन कौन सी मीट हुई। जब तक स्पोर्टस् हमारी नेशनल लाइफ का, हमारी एकेडेमिक लाइफ का हिस्सा नहीं बन जाते, सर्विसेज, प्रमोशन, एप्रेसियेशन के समय हमारे सामने पोइण्ट आफ कन्सीडरेशन नहीं हो तो महज ग्रांट देकर राजस्थान में स्पोर्ट्स के स्टैन्डर्ड को ऊंचा करना चाहते हैं, यह संभव नहीं। मैं समझता हूं दोनों मंत्रियों को स्पोर्ट्स में इन्ट्रेस्ट नहीं होगा, खैर।

तीसरा कट मोशन प्राइमरी एज्यूकेशन के बारे में रखा था, क्या आने वाले १० वर्षों में फ्री प्राइमरी एजुकेशन को पूरा कर सकेंगे? नहीं। पर्सेण्टेज में इन्क्रीज किया है, यह प्रोग्रेस बड़ी स्लो है, जो स्ट्रक्चर पैदा किया गया है वहां पंचायत समितियों में स्टुडेण्ट्स की, टीचर्स की हालत है वह बड़ी दयनीय है। Theirs is a sad plight.

एक कमीशन बैठा था, उसके तहत देखें तो सेण्टर के एक पियोन को ८०) रु०

(श्री केदारनाथ)

वेतन मलता है, हमारे टीचर को वह भी नहीं मिलता, जब कि हम सोचते हैं कि स्टेण्डर्ड ऊंचा हो, बच्चे अच्छे बने

"Child is the father of man.

इस उसूल को मानते हैं। नेशनल इण्टीग्रेशन के वक्त में १४ नवम्बर को पं० नेहरूजी के जन्म दिन को बच्चों का, लड़कियों का प्रदर्शन देखा, उसने नेशनल इण्टीग्रेशन की छाप लगाई है कि कैसा प्रेम, कैसा डिसिप्लिन उनके दिलों में है। आज का एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एज्यूकेशन ऑथोरिटीज, मिनिस्ट्रीरियल स्टॉफ क्या सारे सब्जेक्ट्स को, सारे एज्यूकेशन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है? नहीं करता। इसलिए आप रीथिंकिंग कीजिये कि कैसे पैटर्न को बदलें, कैसे रीओरियेण्टेशन करें।

दो विचारधारायें चल रही हैं; एक विचारधारा यह है कि एजुकेशन के सारे पॉवर्स सेंटर अपने हाथ में लें लें, दूसरी विचारधारा के लोग सोचते हैं कि प्रान्तों को शिक्षा के संबंध में और अधिक पॉवर्स दिये जायं। तो जो पहली विचारधारा है कि सेण्टर सारे पावर्स अपने हाथ में ले लं इसको तो हम नहीं मानते, क्योंकि हम सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को मानते हैं और डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइज़ेशन के प्रिंसिपल्स से बन्धे हुए हैं तो सेण्टर को तो पॉवर देना उचित नहीं। हमें प्राइमरी टीचर्स की हालत को देखना होगा में। इस विश्वास का हूं कि हमारी सरकार को और पॉवर्स दिये जायं, पर इनकी हालत सुधारने के लिये लाजमी नये ऑब्जर्वेशन्स कीजिये आप। कौन लोग प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स बनें, जो तीन साल के हायर सेकेण्डरी एग्जामिनेशन के बाद सर्टिफिकेट ले सकें, उनको दिया जायं, या किनको दिया जाय, किसी न किसी तरह की लिमिट कीजिये, इण्टरफियरेंस नहीं हों, पर नया स्टेण्डर्ड पैदा हो, नया पैटर्न पैदा हो, इनके सलेक्शन और अपांइण्टमेंट में।

इसके अलावा मैं समझता हूं, क्योंकि मेरा समय ५ मिनट और रहा है इसलिये संक्षेप में कहूंगा, हमारे बीकानेर डिवीजन में पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करते थे, १९५९ के बाद जब डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन हुआ तो सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डस डिज़ोल्व हो गये, उसके कुछ टीचर्स थे, एम्प्लोईज थे, उन्होंने बार–बार अपना केस सरकार के सामने रखा, उनकी सीनियोरिटी, एरियर, प्रोविडेण्ट फण्ड आदि के सवाल के संबंध में—पर मैं समझता हूं तीन-चार साल के बाद भी सरकार कोई हल नहीं निकाल सकी है। सरकार उनका अपोइण्टमेंट तब से मानती है जब से कि एब्जोर्ब हुए। और वे लोग मांग करते हैं कि उनकी डेट ऑफ अपोइण्टमेंट तब ही से होनी चाहिए जब कि वे लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आये। पहले बीकानेर में पढ़ाई बहुत कम होती थी और ये लोग कौन हैं? ये लोग यू. पी. से आये थे। उस समय जब कि आंधियां चलती थीं, पानी खारा था तब इन लोगों ने सेवा की। अब इन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और आश्वासन देंगे मंत्री महोदय कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन बरता गया है, यह जो टिरेनी और इन्जस्टिस हुआ वह लाजमी रूप से बन्द हो जायेगा। उसकी डेट लिमिट आ जानी चाहिए।

(श्री केदानाथ)

–आखरी बात अर्ज करते हुए १५ मार्च का वक्त आता है तो शेक्सपीयर की यह बात याद आती है, 'Beware of the 15th March एग्जामिनेशन का हौवा खड़ा होता है । कितनी उस लड़के में फ्रेशनेस हो, एक ऑर्डियल (Ordeal) हमारे सामने पेश कर दिया है ५० पर्सेण्ट उसकी एनर्जी साफ हो जाती है । एम. ए. डिप्टी मिनिस्टर ने पास किया होगा और बुजुर्ग मिनिस्टर महोदय ने कोई न कोई क्वालिफिकेशन ली होगी ।

एक माननीय सदस्य : साहित्य-रत्न हैं ।

श्री केदारनाथ : चाहे कोई एग्जामिनेशन हो, साहित्यरत्न हो, एम. ए. का एक्जामिनेशन हो, एक टैरर के रूप में पेश होता है उसको कैसे सिम्पलीफाई करें, और मैं समझता हूं कि आज की नेशनल एमर्जेन्सी मांग करती है कि फिजिकल एजुकेशन, टैक्निकल एजुकेशन को अच्छी तरजीह दें ताकि नेशन के पास जो देश-प्रेम है उसको इवोल्व कर सकें, अच्छी तरह यूज़ कर सकें । सारे माननीय सदस्य यह मानते हैं कि खेल के मैदान में जायं तो वह एटमोस्फियर और होस्पिटल में जायं तो वह वातावरण, लेकिन कॉलेज बाउण्डरी में जायं तो वह वातावरण नहीं मिलता है । स्टूडेण्ट्स और टीचर्स की हालत को देखें, बाहर देखें, अन्दर देखें, अच्छी सेटिस्फेक्टरी चीज नहीं है । जो हमारे नेशन की बुनियाद है उस पर आपने गौर नहीं किया है । इनर स्ट्रगल चलती है और मालूम नहीं क्या हो ? इस वक्त एक चार्ज लगाता हूं । चीफ मिनिस्टर महोदय के पास जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वह आहिस्ता आहिस्ता गिरता गया है ; Slow by slow, step by step, it has begun to whither away. और यही हालत पैदा होने वाली है राजस्थान में । आप कह देते हैं कि हमारे आंकड़े देखें, हमने प्रोग्रेस की है । लेकिन आपके आंकड़े और आपकी प्रोग्रेस वास्तविक प्रोग्रेस के द्योतक नहीं है आप एक डिग्रेडेशन के बीज पैदा कर रहे हैं । अंग्रेजों ने दक्षिण में हमला किया, जीत नहीं थी । सारा देश हिल गया । वह जीत नहीं थी डाउनफाल के बीज पैदा हो गये । इन शब्दों के साथ सारी चीजों को देखते हुए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के एवेल्यूएशन देख कर आप करेंगे, यदि समझदार आदमी आपके पास न हो तो ऑपोजिशन में बहुत हैं और टाइमली गाइडेन्स दे सकते हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : आपसे अच्छी और किससे गाइडेन्स मिल सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : दिग्विजयसिंहजी नहीं हैं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

(श्री मानसिंह महार बैठ गये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो चीफ व्हिप की इन्सल्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : If he want to accommodate his members, it is his wish.

Page No 79

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की प्रणाली हमारे देश के अन्दर समय के अनुकूल रही है और किस किस समय में देश के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए उस तरह की हमारे शिक्षा शास्त्री इस देश के अन्दर शिक्षा का प्रसार करते रहे हैं परन्तु बीच का समय ऐसा आया था जिस समय में हमारी शिक्षा प्रणाली पर पूर्णतया ध्यान नहीं दिया गया और जिसका निष्कर्ष यह निकलता है जो आज हम देखते हैं कि शिक्षा का जो प्रसार जिस ढंग से होना चाहिये उस विधिवत् गति से नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे देश के लिए जरूरी है कि हमारे देश की शिक्षा के अन्दर नेशनेलिटी की भावना आवे और उसी भावना के आधार पर हमारे यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम रहे परन्तु यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत में जब से हमें आजादी प्राप्त हुई उसके बाद में नेशनेलिटी की भावना की शिक्षा में कोई तवज्जह नहीं दी गई जिसके कारण यह होता है कि जो हमारा प्रजातन्त्र का शासन है दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा है और वह दिन भी दूर नहीं हो सकता कि अगर इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारे देश में रही तो हमारा प्रजातंत्र स्वयं ही खतरे में पड़ जायगा। इस नीति को आधार मानते हुए मैं यह शासन वर्ग से प्रार्थना करूंगा कि हमारी वर्तमान शिक्षा नीति पर वे पूर्णतया विचार करें और जो हमारी शिक्षा नीति इस समय है, जिसके कारण हमारे देश के आदमियों में डिमोरेलाइजेशन की भावना आयी है इस शिक्षा में सुधार करके हम उसको मिटा सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि स्कूलों के अन्दर जिस समय बच्चों को दाखिल किया जाता है उस समय उनके अन्दर मोरेलिटी का अच्छा प्रसार करना चाहिए। परन्तु हमारे प्रान्त में ऐसे स्कूल और शिक्षणालय नहीं हैं जहां बच्चों के करेक्टर की ओर ध्यान दिया जाता हो। न ही इस प्रकार की शिक्षा के लिए विचार किया जा रहा है। सबसे पहले यह कहूंगा कि आज की प्राइमरी एजुकेशन है उसके अन्तर्गत देश के करैक्टर का प्रश्न आता है। उसको आधारशिला मान कर ही शिक्षा प्रणाली रखें। जब स्टूडेण्ट्स उसमें तैयार होंगे तब ही तो देश की रक्षा और उन्नति भली प्रकार से कर सकते हैं। इस शिक्षा प्रणाली पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी से प्राइमरी एजुकेशन से ही ऐसी ऐसी संस्थाएं और स्कूल आपको बनाने पड़ेंगे जिनके अन्दर मोरेलिटी की शिक्षा दी जाय, देश रक्षा और करेक्टर की शिक्षा दी जाय, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनाने में परिवर्तन करेंगे और इस प्रान्त में लागू करेंगे तब जो बच्चे उनमें से निकलेंगे वे सच्चे सेवक बन सकेंगे। इस शिक्षा के अन्तर्गत यह भी अनुरोध करूंगा कि शिक्षा देश में और प्रांतों में समय के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। हम यह देख रहे हैं कि साइण्टिफिक ऐज है, साइन्स की तीव्र गति से प्रसार होना चाहिए लेकिन साइण्टीफिक इंस्टीट्यूशन्स हमारे प्राप्त में नहीं है जिसके आधार पर साइन्स का प्रचार और प्रसार तीव्र गति से चले। हमारे यहां पर साइन्स की जो इंस्टीयूट्शन्स हैं उनमें न लेबोरेटरीज पूरी मिलती हैं न उन पर पूरा पैसा ही खर्च किया जाता है जिसके कारण नये नये विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जनलेखा एवं प्रावकलन समितियों के चुनावों से नामों की वापसी

श्री मोहरसिंह (चुरु) : मैं पब्लिक

अकाउण्ट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति के नामजदगी पत्रों से नाम वापिस लेने का समय पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है।

(३.०० म. प.)

मांग संख्या १५ व ९-शिक्षा व सामान्य प्रशासन (पूर्व क्रम से)

श्री उपाध्यक्ष : Hon member will please be brief.

श्री गंगासिंह राठोड : इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर टेक्निकल एजुकेशन बहुत कमी है। टेक्निकल एजुकेशन के लिये टेक्निकल इन्स्टीटयूशन्स खोलने की बहुत आवश्यकता है। टेक्निकल एजुकेशन के लिये जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह बहुत कम है, इसके लिये ज्यादा दिया जाना लाजिमी है।

इसी एजुकेशन के तहत, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकटकालीन परिस्थिति के अन्दर यह जरूरी है कि हमारे प्रान्त के जो एजुकेशनल इन्स्टीटयूशन्स हैं, उनमें मिलिटरी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। मिलिटरी की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। यह छोटे बच्चों से शुरू की जानी चाहिये। जिससे डिसीप्लिन की भावना है वह छोटे बच्चों से ही पनपनी चाहिये ताकि उनका केरेक्टर भी डिसीप्लिन में बनता रहे।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड की सबसे अधिक वेल्यू है इसलिये इसके जजेज जो हैं वे हाई कोर्ट के जजेज में से नियुक्त किये जाने चाहिये। इसके बिना हमारा जो स्टेंडर्ड है वह इस न्यायालय का हो नहीं सकता। अभी फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के जो मेम्बर्स रखे जाते हैं अच्छी तरह से रेवेन्यू लाज के न समझने के कारण यह हो जाता है कि वहां एक जो फैसला हो जाता है, एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल का फैसला भिन्न हो जाता है। इन आधारों के होते हुए मेरा यह निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स जो हों उनको जुडिशियरी का अनुभव होना चाहिए। और उन्हीं को रेवेन्यू बोर्ड में रखा जाना चाहिये।

इसके अलावा, मैं देखता हूं बहुत से ऐसे ऐसे कानून हैं जिनको अमेन्डमेन्ट कर दिया जाए तो रेवेन्यू बोर्ड की अपीलेट ओथोरिटी है उसको समाप्त कर सकते हैं। जागीरदारी डिसीजन वेलीडेशन एक्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ कि पांच रुपये का भी जागीरदार है जिसकी डैथ हो जाती है तो उस पर कलेक्टर इन्क्वायरी करके रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी के पास भेजते हैं। उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड को फाइनल डिसीजन के लिये भेजते हैं। रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी कानून के तहत एक पोस्ट आफिस का काम करता है तो मैं यह समझता हूं ऐसे जो कानून हैं, जिनके तहत रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी कोई काम करती नहीं, दो, दो–चार रुपये की जागीरें हैं जिनके सक्सेसन के हजारों केसेज रेवेन्यू बोर्ड के पास पड़े हुए हैं। इस कानून में अमेन्डमेन्ट कर दिया जाय तो उन केसेज के वहां जाने की जरूरत नहीं और इस तरह से हजारों केसेज डिसपोज ऑफ किये जा सकते हैं। इस तरह से कलेक्टर एस० डी० ओ० आदि का समय बच सकता है।

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ अन्याय है, हमारी पार्टी को पूरा समय नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष: सभी पार्टियों को निर्धारित समय के अनुसार समय दिया गया है केवल कांग्रेस पार्टी का समय शेष रहता है । उसके लिये मैं बाध्य हूं ।

श्री मानसिंह महार: हम लोगों का टाइम कहां गया ?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी के सदस्य इतना समय ले चुके हैं । वैसे आज तीन घंटे का समय निर्धारित था उसके अनुसार सभी पार्टीज के समय में कमी की गई, आपकी पार्टी को ३५ मिनिट और कांग्रेस को ५० मिनट ।

श्री मानसिंह महार: हमारी पार्टी से दो ही सदस्य बोले हैं अभी हमारा समय बाकी है ।

श्री उपाध्यक्ष: आसन से व्यवस्था हो चुकी, आप उसका परिपालन करिये ।

श्री मानसिंह महार: मैं निवेदन करूंगा बहुत अदब के साथ, आपकी जो आज्ञा है वह शिरोधार्य है लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस तरह से हमें तीन रोज से समय नहीं दिया जाना बहुत गलत है । अगर हमारी पार्टी के समय में कमी की गई थी तो हमें सूचना होनी चाहिये थी ताकि हम उसके मुताबिक एडजस्ट करते ।

श्री उपाध्यक्ष: सूचना कर दी गई थी और समय तीन बजे सरकारी पक्ष से जवाब होगा यह भी निर्धारित कर दिया गया था ।

श्री मानसिंह महार: हमको कोई सूचना नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष: आप रेकार्ड को देख सकते हैं । यहां की परम्परा ऐसी है कि सभी पार्टीज को पूरा पूरा समय दिया गया । इसके अलावा सदन का समय भी कभी ६ बजे कभी ६॥ बजे और कभी सात बजे तक भी किया गया

श्री मानसिंह महार: आज ऐसी क्या बात है जिससे टाइम बढाया नहीं जाता ?

श्री उपाध्यक्ष: टाइम निर्धारित है ।

श्री मानसिंह महार: माननीय उपाध्यक्ष

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order !! आप सदन की प्रतिष्ठा करिये । माननीय गृह मंत्री ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, मांग संख्या ९....

श्री हीराभाई (कुशलगढ): माननीय उपाध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि कोई भी शिड्यूल कास्ट का माननीय सदस्य नहीं बोला है; अतः मुझे बोलने का समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order !! they should have....

श्री रामकिशन (वैर): इसके बारे में हाउस भी उदार है ।

श्री मानसिंह महार: Point of order Sir, मैं यह निवेदन करूंगा, यह घोर अन्याय है ।

श्री उपाध्यक्ष: This not a point of order आप सदन की परम्परा का ख्याल रखें ।

(विराम)

माननीय गृह मंत्री ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे और जो इस सदन में इस सिलसिले में बहस हुई उस संवन्ध में बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने रेवेन्यू बोर्ड के सिलसिले में कुछ बातें रक्खो । रेवेन्यू बोर्ड के गठन के बारे में कहा गया खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में कहा कि हमे रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये । मैं इस संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने रेवेन्यू बोर्ड बनाया था उस वक्त इसके सदस्यों की संख्या ४ थी और ज्यों ज्यों काम बढता गया, ज्यों ज्यों जरूरत बढती गई, हमने सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी की । पहले चार थे, उसके बाद पांच किये फिर छः किये । इसके साथ साथ सदस्यों के चुनाव के बारे में भी सुफाव आते हैं उसमें एक तरफ से तो यह सुझाव आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कटौती आनी चाहिये और दूसरी तरफ कहा जाता है रेवेन्यू बोर्ड म एक सदस्य को और रखा जाना चाहिये लेकिन एक सदस्य के बढानें का प्रश्न है यह तो सदन को विदित ही है कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य की तनख्वाह बहुत बडी होती है । मैं आपसे निवेदन करूंगा बोर्ड के सदस्यों की संख्या वर्तमान में ६. हैं · · · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : पांच ही बहुत हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : वहां जो मुकदमात या अपीलें आती हैं उनकी संख्या क्या है, यह भी देखना पडेगा । हमारे प्रान्त में जो डिस्पोजल का एवरेज है उसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि बोर्ड की संख्या व्यक्तियों के लिये नहीं काम के लिये बढायी जाती है । शुरुआत में चार थे जिसको बढाते बढाते छः कर दिया गया । और फिर भी अगर काम बढ जावेगा और आवश्यकता महसूस की गई तो वृद्धि की जा सकती है । पर फिलहाल अभी आज की हालतों को देखते हुए , मैं समझता हूं, जो संख्या मुकर्रर की गई है, काफी है ।

दूसरा बोर्ड के कांस्टीटयूशन और पैटर्न के बारे में जिक्र हुआ । हमारे देश में अलग अलग पैटर्न चलते हैं । पंजाब में अलग है, वहां रेवेन्यू बोर्ड जैसी स्थिति नहीं है, फाइनैंन्शियल कमिश्नर होता है, वहीं सब काम करता है । दूसरे प्रांतों में रेवेन्यू बोर्ड हैं उनके चेयरमैन आई. सी. एस. और सुपर टाइम के आई. सी. एस. होते हैं ।

सिर्फ मध्य प्रदेश के रूल्स बने हैं जिनमें रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य वे हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के सदस्य बनने के लायक हों । उनकी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की है । इसके माने ये हैं कि जुडिसियरी से भी लोग आ सकते हैं । यह मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जा रहा है । इसका तजुर्बा देखकर ही हम निर्णय ले सकेंगे ।

पर जहां तक राजस्थान का संबंध है, यू. पी. और दूसरी स्टेटों के पैटर्न पर हमने बनाया है । सुपर टाइम के आई. सी. एस. आफीसर इसके चेयरमेन होते हैं ।

यह कहा गया कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों को रेवेन्यू लाज का ज्ञान नहीं है । जहां तक

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं समझ पाया हूं रेवेन्यू बोर्ड में जो सदस्यगण आते हैं वे कलैक्टर और कमिश्नर होने के बाद सुपर टाइम स्केल में आने के बाद आते हैं। हमने यह भी फैसला किया है कि सुपर टाइम स्केल में तीन साल बिताने के बाद जो आई. सी. एस. सिलेक्शन ग्रेड के आदमी हैं, सीनियर हैं, सेक्रेटेरियट में आ जाते हैं, कलेक्ट्री का और रेवेन्यू का अनुभव जिनको है, वे ही इसमें लिये जावें। तो जहां तक हमने इस पैटर्न को माना है वहां फिर रेवेन्यू लाज का ज्ञान नहीं होने की बात पैदा नहीं होती।

एक फिरका यह भी चाहता है कि इसमें जुडीशियरी के आदमी आवें, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। पर रेवेन्यू का एक्सपीरियन्स बहुत से जुडीशियरी लाइन वालों को भी नहीं होता, अच्छे अच्छे वकीलों को नहीं होता। हाई कोर्ट में जाना एक चीज है। और यह गिरदावरी और गश्त गिरदावरी से लेकर छोटी-बडी रेवेन्यू की बातों का पूरा ज्ञान बडे बडे वकीलों को भी नहीं होता, जितना उन सरकारी अधिकारियों को हो जाता है जो देहातों में काम करते हैं और रात दिन गश्त गिरदावरी की बातों में बारीकी से जाना पडता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि, मैं वकील साहबानोंके के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इस सदन के कई माननीय सदस्य वकील भी हैं, अगर वे रेवेन्यू लॉज जानते हैं चूंकि उनमें भी बहुत से देहातों में काम करते हैं तो यह तो सोना और सुहागा है।

श्री रामकिशन (वैर) : सोना; सुहागा नहीं, करेला और नीमचढ़ा कहिये।

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं निवेदन कर दूं कि जो सेच्युरेटेड और मेच्योर्ड आफिसर होते हैं वे इसके सदस्य बनाये जाते हैं और वे इस इस काम को आशा के अनुरूप कर सकते हैं। अब यह हो सकता है कि हमारे यहां पुरानी स्टेटों के वक्त मुख्तलिफ रेवेन्यू सिस्टम थे, और उन सबका एकीकरण कर के हमने रेवेन्यू लाज को एनफोर्स किया है। तो शुरूआत में हो सकता है उन सब लाज की पूरी जानकारी किन्हीं सदस्यों को न रही हो, पर हल्के हल्के यह सब ठीक हो जायगा। यहां का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी दूसरे किसी प्रान्त से कम नहीं है।

यह भी कहा गया कि गश्त गिरदावरी के और पुराने फार्म चल रहे हैं। तो अगर ये पुराने फार्म कन्ज्यूम न हों तो इनको वस्ट तो नहीं किया जा सकता। अब अगर उसमें कोई रैयतवाड़ी सिस्टम का हवाला है तो वह नहीं रहने देंगे। यह तो आप सब का सुझाव था कि खर्चा कम करना चाहि र इसलिए ऐसा किया गया।

और भी बहुत सी छोटी-मोटी बातें कही गई हैं जिनका खास उत्तर देने की मैं आवश्यकता नहीं महसूस करता।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक माननीय सदस्यों के इस सुझाव का सवाल है कि हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम होना चाहिए और यह भावना इधर से और उधर से बैठने सभी सदस्यों ने व्यक्त की तो उनकी भावनाओं की राज्य सरकार बहुत कदर करती है। सरकार स्वयं चाहती है कि इधर जितना खर्चा कम किया जा सके किया जाय और उस बचे हुए पैसे को विकास में खर्च किया जाय इसको हम जितना

(श्री मथुरादास माथुर)
कर सकेंगे उतनी ही कल्याणकारी राज्य की भावना हम प्रस्तुत कर सकेंगे ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : कटौती तो आपकी यह होती है खर्चे में कि मास्टर बन्द कर दिये जाते हैं स्कूलों में ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बराबर जब से राजस्थान सरकार बनी है और यह सदन बना है हमारी यह कोशिश रही है कि खर्च में कमी की जाय, अगले साल भी काफी कटौती की गई थी, पर एमर्जेन्सी की वजह से वह नजर नहीं आ सकी । फिर भी इस तरफ हमारा पूरा प्रयत्न है, रहेगा और आगे भी रहा है ।

यह भी सुझाव दिया गया कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य मिनिस्टरों की हर गति विधि पर पूरा ध्यान रखते हैं । जो खामियां आपने रखी हैं सदन में उसके लिये मैं कोई मिनिस्टरों की ओर से उनको डिफेण्ड करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं । हम आपकी एक्सपेक्टेशन से और ऊपर उठ गये हैं । हमारा देश तो गांधी का मुल्क रहा है और गांधी के स्टेण्डर्ड से इस कांग्रेस पार्टी को आंका जाता है तो उसमें खामियां बहुत हैं, मैं मानता हूं, पर फिर भी निवेदन कर दूं कि यह कहा गया कि टी. ए., डी. ए., बहुत ज्यादा लेते हैं । मैं बताऊं कि इसके नियम बने हुए हैं, एक मिनिस्टर जब हैड क्वार्टर से बाहर जाता है तो उसको ११) रु० रोज मिलते हैं । अब यह तो माननीय सदस्य भी मानेंगे कि एक दिन में ११) रु० अधिक नहीं है, इसमें खाना भी होता है, चाय नाश्ता भी शामिल है, और माननीय सदस्य भी उस बीच में आ जावें तो इतनी तो शिष्टता बताते ही हैं कि एक–एक कप आपको भी ऑफर करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : यह गांधीजी का खाना तो ये शक्लें बता रही हैं, कैसा है ? दौरों में तो आपका खाना दूसरों पर ही होता है ।

श्री मथुरादास माथुर : फिर भी हमने इस बात का फैसला किया है कि वैसे आपके सन्तोष के लिये हमें दौरे तो करने ही पड़ेंगे जैसे अभी आपने सदन में प्रश्न किया और जवाब दिया तो कहते हैं कि जवाब गलत है, आफिसरों के कहने से जवाब देते हैं और जब जाकर स्वयं देखने की कोशिश मिनिस्टर करते हैं तो आप कहते हैं दौरे ज्यादा करते हैं, तो आखिर आपके सन्तोष के लिये दौरे तो करने ही पड़ेंगे । फिर भी हमने फैसला किया है कि हम चाहे महिने में तीस दिन दौरा करें या बीस दिन करें हम यह ११) रुपये दैनिक का भत्ता हर सूरत में १००) रु० महिने से ज्यादा नहीं लेंगे । इसका फैसला कर लिया है और इससे आपको सन्तोष होगा । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को तो इस पर बहुत ज्यादा सन्तोष होना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पानी और बिजली के खर्चे का सवाल है । पानी और बिजली के मीटर तक को भी माननीय सदस्य देखते हैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने चाहे मिनिस्टर बिजली कितनी ही खर्च करे, बिजली कोई ह्यूमन कन्जम्पशन में काम में नहीं आती है, अभी विज्ञान इतना नहीं बढ पाया है । चाहे मिनिस्टर बिजली कितनी

Page No 85

(श्री मथुरादास माथुर)

भी खर्च करता है तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि मिनिस्टर ७५ यूनिट से ज्यादा की बिजली खर्च करता है तो अपनी जेब से देगा । २५ रुपये से ज्यादा का पानी खर्च करता है तो अपनी जेब से देगा । अब मेरे ख्याल से आपको इसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । अब चाहे मिनिस्टर हजार रुपया खर्च करे नौ सौ रुपया, उसे अपने पास से देना पडेगा·····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): "देर आयद दुरुस्त आयद" आपने यह १००) का कब से किया है ?

श्री मथुरादास माथुर: अभी हाल ही में ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं । उन्होंने यह कहा कि हमारे यहां पर इन्डियन एयर कार्पोरेशन को सब्सीडाइज किया गया । इसका जिक्र पहले भी सदन में बहस के दौरान में आ चुका है और बराबर यह प्रश्न आता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका भी एक इतिहास है– राजस्थान को दुनियां के टूरिस्ट्स मैप में लाने के लिए। टूरिस्ट्स लोग पहले दिल्ली से आगरा चले जाया करते थे और हम चाहते हैं कि राजस्थान की कला, ज्वैलरी और हमारे यहां के देखने के स्थान दुनियां के लोग देखें और देखने के बाद उन पर जो हम दो तीन लाख रुपया खर्च करते हैं उसके लिये आपको चिन्ता हुई है उसके लिए मैं महसूस कर सकता हूं । लेकिन उसका दूसरा पहलू है और वह यह है कि इन्डियन एयर लाइन्स कॉर्पोरेशन ने कह दिया कि हम राजस्थान के अन्दर हमारी योजना के अनुसार केपिटल को जोड सकते हैं वह चाहे जोधपुर, बीकानेर में कोई भी योजना बनती हो वह उनको जोडने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि राज्य सरकार यह फैसला न करे कि घाटे में सब्सिडी दे । टूरिस्टों को शुरू में अट्रेक्ट करने के लिए यह जरूरी समझा गया और मैं आपको बताऊं कि आज आगरा के बाद में जयपुर और राजस्थान का दूसरा नम्बर है जहां सबसे ज्यादा फोरिन टूरिस्ट्स अट्रेक्ट होते हैं । इसलिए हमने कुछ लाख रुपया खर्च करके राजस्थान को दुनिया के बाजार में, टूरिस्ट्स वर्ल्ड के सामने रखा है, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है और आपको इसमें कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां टूरिस्ट्स मूवमेन्ट के बढने से ट्रेड बढा है, कामर्स बढी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती और हमारे राजस्थान ने अकेले ने दो वर्षों मे टूरिस्ट्स मूवमेन्ट से १५ पर्सेन्ट फोरिन एक्सचेन्ज भारत सरकार को कमा कर दिया है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब कि मूवमेन्ट डवलप हो गया तो हमने इस साल से फैसला कर लिया है कि आगे सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है और सब्सिडी बन्द कर दी जाये···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या आप यह बता सकते हैं कि अब तक इस एयर लाइन्स से कितना टूरिज्म बढा है ?

श्री मथुरादास माथुर: यह तो मेरे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः वह तो आज कार से आते हैं। उदयपुर में लक्ष्मी विलास को होटल बना दिया इसलिए आते हैं।

श्री मथुरादास माथुरः यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और यूरोप से आते हैं। दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद होते हुए लौट जाते थे। तो यह एक सरकिट बन गया है, इसलिए जरूरी था। अब हमने इस सब्सिडी को देना बन्द भी कर दिया है। हमने अपना काम भी पूरा किया और आपकी बात भी रह गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक-एक बूंद बरसात से भी सागर पूर्ण हो जाता है। छोटी-छोटी इकानामी से भी काफी बचत हो सकती है। राज्य सरकार का यह फैसला कि एक लीफ में एक साइट की तरफ ही नहीं लिखा जायेगा बल्कि दोनों तरफ ही लिखेंगे। मैं कहूंगा कि सैकिण्ड ग्रेट वर्ल्ड वार में इकानामी की स्लिप निकाली थी उसको इंग्लैंड में बहुत बडा इनाम दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सर्दियों में हीटर नहीं लगाये जायेंगे, गर्मियों में टाटे नहीं लगेंगे। आपको भी तकलीफ होगी। जब आप सेक्रेट्रियट आयेंगे और मिनिस्टरों के पास आयेंगे तो उनके यहां टाटे नहीं होने से आपको भी तकलीफ होगी। अब हम और आप दोनों ही कठिनाइयों को बरदास्त करेंगे। लेकिन ये छोटी बातें ७५ हजार ६० हजार की इकानामी करके लाखों में होती है और लाखों की करीडों में होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): Point of information Sir. टाटों की मरम्मत के लिये फिर राशि क्यों रखी है?

श्री मथुरादास माथुर: माननीय सदस्य ने कुछ मैडिकल डिपार्टमेन्ट के बिल्स के बारे में जिक्र किया। फैमिली की डैफिनेशन यहां लिखी नहीं जानी चाहिये थी। यह गलती हो गयी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमने टाटे हटा दिये हैं, लेकिन एक राशि फिक्स्ड है जो कि पुराने टाटों की मरम्मत के लिये रखी गई है।

श्री मथुरादास माथुर: वह काम में नहीं आवेगी। सर्कुलर इश्यू हो गया है कि हीटर सर्दी में नहीं काम में लाये जायेंगे। अब हीटर पुराने पडे हैं तो वे बाहर तो नहीं फेंके जा सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आबू में जाना और मीटिंग करना भी बन्द होगा या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर: वह तो एस्टीमेट्स कमेटी अपनी मीटिंग करना चाहे तो वह मेरे हाथ में नहीं है। वह तो स्पीकर साहब करते हैं। आप करेंगे तो हमें भी आना ही पडेगा

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने मकान के किराये की बात कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका एक प्रोसीजर है। हमारा बी. एण्ड आर. डिपार्टमेन्ट बिल्डिंग्स का एस्टीमेट कर लेता है और एस्टीमेट करने के बाद में पर्सेन्टेज के हिसाब के आधार पर किराया मुकर्रर करके दे देते हैं और वही किराया हम देते हैं। न तो माननीय सदस्यों ने उस भवन को देखा, मैंने तो देखा है इसलिये आप अन्दाजा

Page No 87

(श्री मथुरादास माथुर)
नहीं लगा सकते। किराया पी. डब्ल्यू. डी. के असेसमेन्ट के आधार पर ही दिया गया है। आप यह कहते हैं कि असेसमेन्ट गलत हो सकता है तो उसकी बात सोची जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि मकान वाले ने ७५०) रु० की आफर दी थी और आपने ८७४) रु. में मंजूर किया ?

श्री मथुरादास माथुर : आफर कुछ नहीं होती है। मकान मालिक कहता है कि मैं किराये पर देना चाहता हूं तो पी. डब्ल्यू. डी. एसेसमेन्ट करके रेट फिक्स हो जाती है। उसके लिये चाहे आफर किसी भी तरह की कीजिये। उन्होंने कोई आफर ७५०) रुपये की नहीं की और हमने जबरदस्ती ८५०) रु० नहीं दिये।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : Point of information Sir. क्या पी. डब्ल्यू. डी. के असेसमेन्ट को मानने के लिये गवर्नमेन्ट बाध्य है ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर मिनिस्टर कम कर दें या ज्यादा कर दें तो आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार हो गया। इसलिये टैक्निकल एडवाइजर की बात तो माननी ही पडेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : कमीशन देकर चाहे जितना लिखवा लें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एण्टीकरप्शन बोर्ड इस डिमाण्ड का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है तो मैं यह नहीं चाहता कि सदन के अन्दर उसका वापिस जिक्र न करूं।

श्री भैरोंसिंह : शिक्षा मंत्री के लिये समय छोड दें।

श्री मथुरादास माथुर : लास्ट पाइन्ट है। एण्टी-करप्शन बोर्ड जो इस डिमाण्ड में आप समझते हैं और जो है नहीं उसमें जितने मामले आये हैं और इस बोर्ड के सदस्य विरोधी दल के भूत पूर्व उप-नेता भी इसके सदस्य हैं। एक एक मामला वहां आता है। आफिशियल्स नान-आफिशियल्स सब बैठकर फैसला करते हैं और उसके बाद में जिस डिपार्टमेन्ट कर्न्सड का मामला होता है उसे भेज देते हैं। और वह डिपार्टमेन्ट एक्शन लेता है जैसी सिफारिश बोर्ड की होती है। बोर्ड के पास में पांच-सात मामले पैंडिंग होंगे। बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकने का काम बोर्ड करता है। मैंने कल भी प्रश्न का उत्तर देते समय जवाब दिया था ....

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : जब किसी केस का फैसला तीन-चार साल तक नहीं हो तो भ्रष्टाचार को बल मिलता है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य की आदत है और अच्छी भी है कि आज हमने शिकायत की और साले को कल फांसी हो जाय; ऐसा हो नहीं सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : 'साले' शब्द को निकाल दिया जाये।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा ख्याल यह है कि इस उत्तर के बाद जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं वह माननीय सदस्य वापिस लेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : गृह मंत्रीजी ने जो शब्द कहा है उसको प्रोसिडिंग्ज मे से निकाल दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : आपके साले को थोड़े ही कहा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या १५, शिक्षा के बारे में भिन्न भिन्न कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई इसमें जैसा कि होता है, कुछ तो उपयोगी सुझाव आये और कुछ शिकायतें भी आई । जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, सुझावों का सम्बन्ध है, मैं इस विभाग की ओर से और सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि उनका काफी आदर किया जायगा, उन पर विचार किया जायगा और समयानुसार उन पर कार्यवाही की जायगी ।

जहां तक पाठ्य पुस्तकों का जिक्र किया गया, पहले भी कहा गया था, पहले जो कमियां दिखाई गई थीं उसमें करीब २ सभी दुरुस्त कर दी गई....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दुरुस्त नहीं की, मैं किताब साथ में लाया हूं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने "करीब-करीब" कहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक आध में की होगी ।

श्री भैरोंसिंह : जो हाउस में कहते हैं, गल्तियां रहती हैं क्यों रहती है आप वहां पर किस लिये बैठे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : धीरे धीरे ठीक हो जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : मैं इनका एक्सप्लेनेशन चाहता हूं । यह बड़ा ही सीरियस मैंटर है । हर साल किताब रखी जाती है, उनमें दुरुस्ती नहीं करते । ये कहते हैं करीब-करीब दुरुस्त कर दी गई है । "करीब-करीब" कह कर आप लड़कों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं । मंत्रीजी फिर वहां पर क्यों बैठे हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : काफी सुधार हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : पूर्ण सुधार हुआ या नहीं ? यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ? इतना सीरियस मैंटर रोज सामने रखते हैं, पिछले साल की किताबें में साथ में लाया हूं, यों की यों गल्तियां पड़ी हुई हैं । हाउस में बात रखते हैं फिर भी कुछ नहीं, इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : दुरुस्त करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछली दफा शिकायत हुई थी उसमें सुधार हुआ है, उनकी प्रतियां रख दी जाय ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिन पुस्तकों को रखा था उनको दुरुस्त कर दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपको यकीन हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : मैं किताब लेकर आया हूं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शायद पुराने एडीशन की हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : इसका जवाब उप-मंत्रीजी देना चाहते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके साथ २ शिक्षा का स्वरूप, शिक्षाप्रणाली, सदाचार

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
परीक्षाएं ग्रादि के बारे में काफी कहा गया। मैं मानता हूं, कई प्रश्न ऐसे हैं जिनमें इधर या उधर मतभेद नहीं हो सकता। किन्तु सवाल यह है कि इस दिशा में शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन किया जाय। इसमें राजस्थान सरकार ग्रकेली सफल नहीं हो सकती। यह केन्द्र का प्रश्न है। दूसरे राज्यों का भी व्यापक प्रश्न है। यहां इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत से सुझावों में सरकार एक मत है माननीय सदस्यों के साथ। विश्वविद्यालय के बारे में कहा गया। मैंने शुरू में कहा था कि विश्वविद्यालय के ग्रान्तरिक प्रशासन, डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय के बारे में जो सुझाव दिये हैं उनका ग्रादर होना चाहिए। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति होगी यदि यहां जो बहस हुई है उसकी प्रति मैं वाइन्स चांसलर के पास भेज दूं····

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों ने आवेदन-पत्र ग्रापके सामने दिये हों जिनके बारे में ग्राप कहते हैं कि विचार करेंगे। ग्रापको जवाब यह देना चाहिये कि किस विषय में क्या स्पेसिफिक कदम ले रहे हैं या लेना चाहते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो भी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुग्रा है उसकी प्रति वाइस चांसलर के पास भेज दी जायगी। इससे ग्रधिक क्या चाहते हैं? कॉलेजेज के बारे में कहा गया, वेस्टेज ग्रादि के बारे में कहा गया······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका जवाब ग्रायेगा वह सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूं जनरल बातें मुझे माननीय सदस्यों से जो निवेदन करनी थी वे कर दीं। ग्रब कुछ ग्रौर विषय जो रह जाते हैं जिनकी शिकायतें हैं, व्यक्तिगत बातें हैं उनके बारे में शिक्षा उपमंत्रीजी रोशनी डालेंगे उससे माननीय सदस्यों का ग्रधिक समाधान हो जायगा·····।

(ग्रनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्याय : Order! Order please!!

श्री राधाकृष्ण गोयल (सवाई माधोपुर) : उपाध्याय महोदय ने यह फरमाया था कि सरकार की ग्रोर से जवाब दिया जायगा, उस समय कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी जायगी जिसका जिक्र कट मोशन्स में ग्राया हो ग्रौर उनका उत्तर सरकार की तरफ से देना ग्रावश्यक हो। ग्रभी जो कट मोशन्स उपस्थित हुए हैं उनका समुचित उत्तर माननीय गृह मंत्री ग्रौर माननीय शिक्षा मंत्रीजी की ग्रोर से नहीं दिया गया है इसलिये उनका स्पष्टीकरण होना ग्रावश्यक है, जैसा कि ग्रासन ने विश्वास दिलाया था उस विश्वास की पूर्ति कराई जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाकी बातों का जवाब उप-मंत्रीजी ग्रभी दे देते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह बात पूछना चाहता हूं कि डाइरेक्टर ग्राफ एजुकेशन के स्थान पर किसी शिक्षा शास्त्री की नियुक्ति करने के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बारे में सरकार की क्या पालिसी है, कितने साल में कर देंगे ? यह मामला १० साल से पेन्डिग है। आपने जवाब दिया है कि इस पर विचार किया जायगा, सब सदन उत्सुक है आप निश्चित बात बता दें। पहले भी आपने कहा था। अब इस साल कर देंगे या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साथ में जवाब आ जायगा, एक-एक बात का जवाब· · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,· · · · · ·

श्री भैरोंसिंह : On point of order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की व्यवस्था इस सदन के द्वारा बनाये गये नियमों से चलती है या परम्पराओं से चलती है ? इस सदन की आज तक यह परम्परा रही है कि जिस डिमान्ड पर वाद-विवाद हो, उसका उत्तर कोई मंत्री दे सकते हैं। लेकिन एक मंत्री द्वारा उत्तर देने के बाद उप-मंत्री उन सब बातों की पूर्ति करे यह पहली नजीर सदन में पेश की जा रही है। यह इस बात की सूचक तो है ही कि मंत्रीजी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं या विभाग की जानकारी उनको नहीं है, या विभाग पर उनका कंट्रोल नहीं है। यह उस समय हो सकता है जब कि मंत्रीजी अलग होकर कह दें कि शिक्षा विभाग की जानकारी उनको नहीं है इसलिये उप मंत्रीजी जवाब देंगे। लेकिन मैं इस परम्परा को गलत समझता हूं कि स्वयं मंत्री भाषण दें और उनके बाद उप-मंत्री भाषण देने के लिये खड़े हों। चेयर का भी एक प्रकार का रूलिंग है, थोडा समय मिलेगा तो चेयर का रूलिंग लाकर बताऊंगा कि मंत्री के भाषण के बाद उस विभागसे सम्बन्धित मांगके ऊपर उप-मंत्री भाषण नहीं देंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बातें रह गई हैं उनका उत्तर वे स्वयं दें। नहीं दे सके तो उनको वैसे ही रहने दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह गलत है। पहले भी एक-दो बार हो चुका है। उप-मंत्री को अधिकार है। वह भी सरकार में है।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : उप-मंत्री जवाब नहीं दे सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय उपाध्यक्षजी, पहला प्रश्न तो यह है कि ट्रेजरी बेन्चेज पर कोई उप-मंत्री बैठ सकता है कि नहीं, इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें· · · · · ·

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टर को सुपरसीड करके नहीं कह सकते।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इस प्रश्न पर एक माननीय सदस्य ने पत्र दिया है, उस सम्बन्ध में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बड़ी उत्सुकता प्रकट की है और उस पर प्रकाश चाहते हैं उस तथ्य पर तो बोलने का मेरा अधिकार है· · ·

श्री भैरोंसिंह : आप बोल जाते पहले।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, नहीं, दूसरा है। एक पत्र स्पीकर साहब की सेवा में प्रस्तुत किया गया है उससम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने का, २७६ के अन्दर उन्होंने डिमान्ड किया है, तो अधिकार है ही। यह अनाधिकार नहीं हो सकता।

दूसरा प्रश्न यह है, अगर माननीय सदस्य चाहें, इतने कट मोशन्स जो अधिकतर

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)
माननीय सदस्यों की कान्स्टीट्यूएंसीज से सम्बन्ध रखते हैं, उन बहुत सारे कट मोशन को जनरेलाइज कर दिया जाय, वह ग्रापकी मर्जी है, ग्राप चाहें तो मैं ग्रर्ज कर सकता हूं । वाकी मुझे ग्रर्ज करना है कि माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री का स्वास्थ्य खराव रहा है इन दिनों, वे इस स्थिति में नहीं थे कि तैयारी करके ग्रायें । लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों...

श्री भैरोंसिंह : वह कौनसी स्थिति थी, या कौनसी सर्कमस्टान्सेज थीं जिनके कारण तैयार हो कर नहीं ग्राये ?

श्री निरंजनाथ ग्राचार्य : स्वास्थ्य की दृष्टि । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य की दृष्टि से उस स्थिति में नहीं । उनकी दोनों दाढ़ों में दर्द है । वे बोल नहीं सकते । उस स्थिति से ग्रस्वस्थ हैं । इसलिये ग्रापकी भावनाग्रों की कद्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने ग्रारम्भ किया । ग्रब ग्रापका यह सोचना हो कि विस्तृत उत्तर न दिया जाय ग्रौर संक्षेप में माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर दे दें तो वह ग्रलग बात है । लेकिन मेरा प्रश्न है, एक प्रश्न उस पर तो मेरा ग्रधिकार है, उसके सम्बन्ध में जो वाकयात हैं उनका स्पष्टीकरण करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापकी ग्राज्ञा से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे ग्रापको लाभ पहुंचेगा, प्रमोशन के सम्बन्ध में, एरियर्स के सम्बन्ध में, उनके सम्बन्ध में मैं विस्तृत रूप से रख सकूंगा ।

एक माननीय सदस्य : उप-मंत्री से मंत्री··

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : ग्रापकी ग्रावाज से ग्राशा है, मुझे विश्वास है मैं ग्रहण कर सकूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह उपस्थित है कि माननीय मंत्री, जिन्होंने डिमान्ड को मूव किया है, जो मूवर है इसके, उनके भाषण से वाद-विवाद प्रारम्भ हुग्रा है वे ही उसका ग्रंत करें किन्तु मैं माननीय सदस्यों का ध्यान··

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : ग्रंत किसका ? मंत्रीजी का ग्रंत कर देंगे ग्रगर भाषण देने का मौका मिल गया ······

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का···

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : भाषण देने का मौका मिल गया तो मंत्री जी का ग्रंत हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं रूल २, डेफिनिशन की तरफ जहां मिनिस्टर की व्याख्या की गई है : Minister means a member of the Council of Ministers or a Deputy Minister." ग्रौर इसके पश्चात् वह प्रतिबन्ध ग्राता है ।

ग्रब साधारणतया यह परिपाटी रही है ग्रौर सब माननीय सदस्य इससे ग्रवगत हैं कि सरकारी पक्ष से जो कोई उत्तर ग्राता है वह एक तरह से सम्मिलित जिम्मेदारी का उत्तर होता है ग्रौर जो विशेष कारण ग्रभी माननीय उप-मंत्री जी ने बताया उसको देखते हुए ग्रगर सदन इतना सहयोग देगा ग्रौर ग्रपने जो कटौती प्रस्ताव हैं, उनके पूरे उत्तर माननीय उप-मंत्रीजी से सुनेगा तो मैं समझता हूं कि कार्य विधिवत चलेगा ग्रौर नहीं तो केवल लकीर की फकीरी करने से सारी बातों का जवाब पूरी तरह माननीय सदस्यों के सामने नहीं ग्रा सकेगा । इसलिये मैं निवेदन करता हूं

Page No 92

(श्री उपाध्यक्ष)
कि उप मंत्रीजी अपने जवाब में जो बतला रहे हैं उनको सुनने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, वैसे जो रूलिंग आपने दी है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपने फर्माया–'लकीर के फकीर' होने से अर्थ नहीं निकलेगा–यह समझ में नहीं आया लकीर की फकीरी से मतलब आपका क्या है? मंत्री को पांच मिनट जवाब देकर बैठ जाना चाहिए–उससे मतलब है या लकीर की फकीरी के आधार पर उप मंत्रीजी जवाब दें, उससे है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: मुझसे सम्बन्धित है। 'लकीर की फकीरी' मुझसे संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I draw your attention to rule No. 278.

श्री उपाध्यक्ष : ७८।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी आब्जर्वेशन दिये हैं उसके बारे में निवेदन है। ठीक है, मंत्रीमंडल की समस्त जिम्मेदारी है, मंत्री उत्तर दे सकते हैं, दूसरे विभाग का उत्तर दे सकते हैं, मंत्री के बजाय उप-मंत्री उत्तर दे सकते हैं–यह प्रश्न नहीं है। मैं जो पोइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं वह यह है कि २७८ यह कहता है: "Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 277, the reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate."

क्योंकि यह शिक्षा विभाग की मांग थी, इसका प्रस्ताव रखा था शिक्षा मंत्री ने रखा था, और शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव रखा और उन्होंने डिबेट का रिप्लाई दे दिया; चाहे दो मिनट दिया या दस मिनट दिया। उसके बाद डिबेट कन्क्लूड हो जाय, उसके बाद डिबेट नहीं हो सकती। सामूहिक जिम्मेदारी की बात है, डिप्टी मिनिस्टर बोल सकते हैं, वह अलग प्रश्न है। मेरा कहना है,

In all cases, it will conclude the debate, and, in this case also, it has concluded the debate.

श्री रामप्रसाद लडुढा : (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री निरंजननाथ आचार्य: The mover has been....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में व्यवस्था दे चुका हूं, २७८ रेफर कर चुका हूं। रूल २७८ है, पर सुविधा के लिए हम सरलता-पूर्वक सरकारी पक्ष का प्रवन्ध करना चाहते हैं जो इस विषय में आवश्यक हैं–इस भूमिका में इस बात को जानते हुए कि सरकारी पक्ष की सम्मिलित जिम्मेदारी है और वह चीज हो रही है, उसको देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कह कर स्थान ग्रहण किया कि बाकी चीजें जो है, उप-मंत्रीजी उन का जवाब देंगे, इसको देखते हुए इस रूल में कोई बाधा नहीं पड़ती, अगर उप-मंत्री जवाब दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब चूंकि मेरे पास पांच मिनट रहे हैं........

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि मुखबन्द का प्रयोग चार बजे होने का निश्चित है इसलिये

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं समझता हूं कि सदन की यह मन्शा होगी कि जब तक जवाब पूर्ण हो जाय तब तक समय सदन का बढा दिया जाय।

('हां हां' की आवाज)

साढ़े चार बजे तक।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं·· उन से एक बात बड़ी स्पष्ट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन एक मत से यह चाहता है कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रशासन में आमूल-चूल कुछ न कुछ रूप से परिवर्तन हो और साथ ही उद्विग्नता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रशासन में शिक्षकों की जो स्थिति है उसके निराकरण के सम्बन्ध में, विभिन्न रूप से कटौती के प्रस्ताव, प्रमोशन के सम्बन्ध में, फिक्सेशन के सम्बन्ध में, फीमेल एजूकेशन के सम्बन्ध में, कालेजेज, प्राइमरी और हायर सेकन्डरी स्कूलों की तरक्की और विकास के सम्बंध में आये हैं। विभिन्न मेम्बर्स से कटौती प्रस्ताव आये हैं। मैं समझता हूं, दूसरी मांगों की अपेक्षा जो दिलचस्पी और सजगता माननीय सदस्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई है, वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और मुझको विश्वास है कि वह इस विभाग को बल देने वाली है, सशक्त करने वाली है।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में बड़ी सरसता और भावना से विश्लेषण किया सारी पद्धति का। इसलिए मैं आपका आभार मानता हुआ, कि शिक्षा विभाग को सजग करने के आधार पर आपने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनका यथोचित जितना हो सके उतना उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग–शिक्षा-विभाग की तुलना दूसरे विभागों से नहीं की जा सकती क्योंकि जैसा माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया, उनकी भावना है कि यह विभाग एक डिपार्टमेंट ऑफ फेथ है, डिपार्टमेन्ट ऑफ क्रीड है, जैसी कि माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की है, यह विभाग इमोशनल इन्टीग्रेशन के आधार पर चलता है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया यह गुरु परम्पराओं के आधार पर चलता है। इससे स्पष्ट है, इसकी परम्परा है, इसकी स्थिति है, इस विभाग का प्रशासन है उसकी अन्य विभागों के प्रशासन से तुलना नहीं की जा सकती। मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच इस विभाग के जो इन्सपेक्टर्स हैं, इस विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, इस विभाग के डाइरेक्टर हैं और इस विभाग के प्रशासन की जितनी कड़ियां हैं वे कड़ियां इस डिपार्टमेंन्ट की क्रीड और फेथ में आस्था रखने वाली हों तभी यह विभाग उचित रूप से चल सकता है। यह मेरी मान्यता है। तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग, आपके बल, आपकी भावनाओं के आधार और आपकी सजगता और आपकी सत्यता के आधार पर सजग होना चाहता है। यह विभाग जो आपके घर तक पहुंचता है यह विभाग जो आपके बालकों को उचित शिक्षा प्राप्त कराता है, जिसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है हम इस विभाग के आधार पर चाहते हैं कि एक नागरिक उसमें पैदा हो,

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
उस नागरिक की आस्था भविष्य में जाकर कुछ भी हो, उससे हमें एतराज नहीं है। साथ ही हम इस विभाग के शिक्षकों से खून नहीं चाहते हैं, उससे पैसा इस इमर्जन्सी टाइम पर नहीं चाहते, उससे चाहते हैं हम एक सच्चा नागरिक· · ·

इस दृष्टिकोण से माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैं पहले मुद्दे पर उपाध्यक्ष महोदय, आना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर सब एक मत हैं कि १० वर्षों में इस विभाग ने जहां तक शिक्षा में बढ़ोतरी का प्रश्न है, काफी विकास किया है। बच्चों की व स्कूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। कहने का तात्पर्य यह कि सर्वांगीण स्थिति में विकास हुआ है। सिर्फ शिकायत दो-चार मुद्दों पर चलती है। माननीय सदस्यों के कथनानुसार हमारे विद्यालयों का डिसिप्लिन ठीक होना चाहिये और दूसरी संस्थाएं हैं उनका भी डिसिप्लिन ठीक होना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं और हमारा, उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर प्रयास है और वह इसलिये है कि इस विभाग के हाथ में बच्चों का भविष्य है और अगर यह विभाग बिगड़ा तो राजस्थान का भविष्य बिगड़ता है। यह मेरी मान्यता है। इसलिए हम चाहते है कि विद्यालयों में डिसिप्लिन न बिगड़े।

(विराम)

मैं यह मान कर, माननीय उपाध्यक्ष, चलता हूं कि माननीय सदस्य इस भावना के आधार पर, शिक्षालयों के सुधारने पर व्यक्तिगत सुझाव नहीं बल्कि उनको घर मान कर चलें। जैसे चुनाव से चुन कर आये हैं, तो मैं समझता हूं कि विभाग को बड़ा बल और ताकत मिल सकती है। यह सामान्य जनता का विभाग है, यह देवता का विभाग और यह एक पवित्र तीर्थ है। अगर कोई समझता है कि यह विभाग जो एक तीर्थ है, अपवित्र है तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई अपवित्रता है तो वह तीर्थ में जाने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। यह कोई तीर्थ के पंडे की नहीं है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): पंडितजी हों या उप-पंडितजी हों।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं शरीर से भी पंडितजी नहीं दिखता।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप कांकरोली के और नाथद्वारे के हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे मेवाड़ में दो ही इस प्रकार की संस्थाएँ हैं। एक तो नाथद्वारा और दूसरा कांकरोली । वहां की भावना है उसे वे जयपुर में आकर खो चुके हैं।

तो मैं कुछ मुददों पर निवेदन करना चाहता हूं। बराबर एरियर्स के बारे में ६-७ महिनों से उग्रता दिखाई जाती ह और अब मैं यह कहने कि स्थिति में हूं कि अब एरियर का प्रश्न उठता नही है। हमने इसके लिये अकाउन्टेन्ट जनरल से मिलकर पार्टीज आरम्भ की और शुरू २ में प्रयत्न आरम्भ करने में कठिनाई हुई। लेकिन जहां तक डाइरेक्टर के ओफिस में अब बिलों के पड़े रहने का सवाल है उसके लिये मैं कह सकता हूं कि कि अब वे इतने पुराने नहीं हैं जिसे हम

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कह सकें कि सालों के पड़े हुए हैं। पहले आदमियों की कमी थी। बाद में आदमियों का प्रबन्ध किया और डिस्पोज़ल एक दम निकाले।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पहले भी आदमी थे, फिर भी यह कह सकते हैं कि आदमियों की कमी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है वरना इसका जवाब दे सकता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब आगे प्रगति हो रही है तो आगे देखा जावे, पीछे नहीं देखा जावे।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : उप-मंत्रीजी मुझे माफ करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि पिछले साल इस सदन में एक मसला उठाया कि एक एरिया के बिल पास होते हैं। १४७ बिल किसी एरिया के पांच महीने तक पड़े रहे और अब वे बिल आ गये हैं, फिर भी आप कहते हैं प्रगति की है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: हमने प्रगति की है। एकाउन्ट्स के लिये ओफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी व इन्सपेक्टर्स की एक स्पेशल पार्टी इस पहलू पर काम कर रही है।

एक माननीय सदस्य : क्या कार्य कर रही है ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : थोड़ा सा धैर्य रखिये। आगे क्या करना है इस पर मैं आ रहा हूं। जब मेरा भाषण खत्म हो जावे आप कह दीजिये।

मैंने यह कहा कि यह पार्टी हमने लगाई। इसके अलावा आफिसर्स आफ दी ए. जी., ट्रेजरी आफिसर जो पहले हमेशा कम से कम हमारे साथ सहयोग करते थे। हमने भावनात्मक आधार पर सहयोग लेना शुरू किया और हमें खुशी है कि ए. जी. और गवर्नमेन्ट की तरफ से इस प्रश्न को हल करने के लिये अच्छी प्रगति दिखाई। मैं आगे जाकर निवेदन करूं कि हमने इस सम्बन्ध में कितना आगे कदम बढाया है। सितम्बर १९६२ में १७६१ बिल ४,१०,५७९.८९ नये पैसे ....

एक माननीय सदस्य : Out of......

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अभी जा रहा हूं। तो यह हमने डिस्पोजल किया। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि आखिर इतने दिनों तक ये बिल क्यों पड़े रहे। एक विकास के आधार पर पड़े रहे। नान अवेलेबिलिटी आफ ट्रेजरी वाउचर नं० आफ ओल्ड बिल्स ए. जी. मांगता था और शिक्षकों के पास नहीं थे। यह कन्डीशन हमने अब रिलेक्स कर दी है और अब मैं यह कहूंगा कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो पार्टीज हमने बनाई उन्होंने, सब क्वार्टरों में जाकर डिस्पोजल किया। सबसे बड़ा हिन्डरेन्स हमारे लिये है वह नोन-अवेलेबिलिटी ओफ ट्रेजरी वाउचर्स का था जो शिक्षक नहीं दे सकते थे, उसको हमने रिलेक्स कर दिया और अब मैं समझता हूं, कि अब शिक्षकों के बिलों के डिस्पोजल में कोई बाधा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कितनों का भुगतान हो चुका है और कितने एरियर बाकी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं बाद में बता दूंगा। अभी कई उत्तर देने पड़े हैं। यह तो मैंने एरियर्स के प्रश्न का उत्तर दिया है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दूसरी बात प्रिन्सिपल गर्ल्स कालेज के बारे में कही गई। मैं उसकी कोन्ट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। उसके ट्रान्सफर के बारे में कहा गया।

एक माननीय सदस्य : एल. डी. सी. के ट्रान्सफर के बारे में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें एल. डी. सी. वगैरह सब आ जाते हैं।

यह प्रश्न उठाया गया। मगर यह प्रश्न व्यापक है। ट्रान्सफर ओर्डिनरी कोर्स में हुआ ही करते हैं। वे एक लम्बे अर्से से वहां पर थी। योग्यता के प्रश्न पर मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन ट्रान्सफर के प्रश्न पर किसी न किसी स्थिति से और स्थिति बडी साधारण सी थी ट्रान्सफर हुआ, लेकिन उसमें प्रश्न एक होता है कि ट्रान्सफर होने से ज्यादा चिन्ता नहीं है लेकिन वह क्लर्क जिसके लिये कहा जाता है कि क्लर्क उसके साथ बंध जाता है और क्लर्क के लिये कहा जाता है कि वह किसी का विशेष कृपा-पात्र है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिन्सिपल की ओर से उस पर कुछ एलिगेशन्स लगाये गये और एलिगेशन्स बडे सीरियस हैं और उसकी एन्क्वायरी की गई और जांच करने के बाद वे एलीगेशन्स तथ्यहीन, आधारहीन, कपोल कल्पित साबित हुए। ऐसी हालत में कोई क्लर्क ट्रान्सफर से बंधा हो या किसी व्यक्तिविशेष से बंधा हो या कोई राजनीति उसके साथ जुडी हो, ऐसी बात इसमें नजर नहीं आई; इसको मैं मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : कपोल कल्पित तो थी लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर ने उसको डिसमिस क्यों किया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसको महाराजा कालेज से ट्रान्सफर कर दिया गया। इसलिये उसके डिसमिसल का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वह वहां से चला गया और संस्था अब अच्छे ढंग से चल रही है। प्रिन्सिपल महोदय क्या है; उनका प्रशासन क्या है उनकी प्रशासनिक सेवाएं और भविष्य कई बातों पर निर्भर है और कहने में कई बाधाएं आती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वह पर्याप्त है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल पर्याप्त नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा सवाल है युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास रेजिग्नेशन पेन्डिंग है, उसको मंजूर क्यों नहीं करते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका उत्तर बाद में दे दिया जावेगा।

(४,०० म० प०)

इसका जवाब मैं खत्म कर के दूंगा, पेंडिंग है कि नहीं (कोई पत्र शिक्षा मंत्रीजी को दिया) तो मैं यह अर्ज कर रहा था · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे मुंशी हैं क्या आपके ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भावना से बंधा हुआ हूं उप-मंत्री होने के नाते। इसमें भावना ही ज्यादा काम देती है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि री-ओरियेन्टेशन आफ एज्युकेशन सिस्टम, माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले ने ठीक कहा : System of education was born in England in second Word War

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

यह तथ्य है, उसी आधार पर मैं भी कहना चाहता हूं। इस क्षेत्र में राजस्थान में इस इमर्जेन्सी के बाद में शिथिलता नहीं रही, यह सजग हुआ। शिक्षकों ने अपने आपको उभारा भी और सेवाओं के लिये अर्पित किया और हमारे कालेजेज, हायर सेकेन्डरी के छात्र, जहां तक डोनेशन सेना में देने का प्रश्न है उनका योगदान रहा, जहां तक एजुकेशन को सजग करने का प्रश्न है सीमाओं के अन्दर जो विभाग कर सकता था, किया। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये निवेदन करूं एन. डी. एस. स्कीम डिसिप्लिन की है उसको कम्पलसरी सारे विद्यालयों के लिये किया है। इसलिये कि हमारे विद्यार्थी जहां तक डिसिप्लिन का सम्बन्ध है सजग रहें, उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, उनमें फीजिकल ट्रेनिंग का माद्दा हो और सिस्टम आफ एजुकेशन हायर सेकेन्डरी, मिडिल स्कूलों का है, यह पहला कदम हमने उनमें लागू किया। एन. सी. सी. को सब हाई स्कूल हायर सेकेन्डरी स्कूलों में ९ वीं, १० वीं और ११वीं के लिये कम्पलसरी रूप में लागू किया। इसमें जो स्टूडेन्ट्स बच जाते हैं उनको ए. सी. सी में किया। तो सब विद्यालयों में एन. डी. एस. ८वीं से ऊपर एन. सी. सी. और ए. सी. सी. इन तीन स्थितियों के बीच में विद्यार्थियों से अपेक्षा की है कि इमर्जेन्सी के प्रश्न पर वे राष्ट्रीयता को समझें।

यह कहा गया कि री-ओरियेन्टेशन आफ एजुकेशन सिस्टम के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये। जहां तक हायर सेकेन्डरी एजुकेशन का सम्बन्ध है, वह हमारे अधिकार के अन्तर्गत नहीं, हायर सेकन्डरी एजुकेशन के बोर्ड का एक एक्ट है, उसके अन्तर्गत सारा सिस्टम चलता है यूनिवर्सिटी इन्डिपेन्डेन्ट है, ओटोनोमस है, हम संकेत भी दे सकते हैं या नहीं, उनकी स्वतन्त्रता है, सम्मान है। पर यूनिवर्सिटी जैसा कि आपको याद होगा, यूनिवर्सिटी ने एन. सी. सी. अपने कालेजों में कम्पलसरी की है, इस इमर्जेन्सी के आधार पर इसे आवश्यक समझ रही है।

श्री भैरोंसिंह : point of order, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर हाउस ५ बजे समाप्त हो जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी तो आदेश फरमाया था कि ४ बजे गिलोटिन एप्लाई कर दिया जायगा। तो हमें, हमारे हाउस को ५ बजे बाद बैठना नहीं चाहिये, इसी बात को लेकर व्यवस्था दी थी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उप-मंत्री महोदय को आदेश दे दें कि १ या दो मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय तो सदन की मंशा पर है, गिलोटिन का समय बढाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : केवल ५ बजे तक सदन की बैठक होगी, सदन का समय नहीं बढाया गया है।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं अर्ज कर रहा था.....

श्री भैरोंसिंह : पहले निर्णय हो जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : रोज सात बजे तक बैठते हैं तो आज दिक्कत क्या है ?

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : सदन का समय ५ बजे तक का ही रखा गया है, इसलिये हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

श्री हरिप्रसाद (पाटन) : ४ बज गये हैं, अब गिलोटिन लागू होना चाहिए।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त) : माननीय उपाध्यक्ष, आपने व्यवस्था दे दी है तो उस व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जो माननीय अध्यक्ष के फैसले को ओवर रूल करता हो। आप यहां सदन में नहीं थे जब माननीय अध्यक्ष ने फैसला दिया था कि ५ बजे तक सदन की बैठक होगी, ४ बजे गिलोटिन एप्लाई होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन की मंशा जानकर कार्य किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : Within the scope of the time fixed....
५ बजे तक का समय है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन सर्वोपरि है, सदन की मंशा पर ही ऐसा किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : सदन की मंशा फिर मालूम कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन ने मंशा यह जाहिर कर दी कि जब तक आपका भाषण होगा तब तक गिलोटिन का समय बढ़ाया जाय।

श्री भैरोंसिंह : ५ बजे तक गिलोटिन पूरा करके सदन समाप्त होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : टाइम बता दें कि इतने टाइम तक उप-मंत्री महोदय अपना भाषण खत्म करें।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम कैसे बता दूं मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय तो घंटा भर बोलेंगे, हम सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : टाइम निर्धारित हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा के सम्बन्ध में मैं समझता हूं इतनी तथ्यपूर्ण सारी बातें आ रही हैं, आपकी शंकाओं के बारे में तो सुन लें, इसके पश्चात् यथाशीघ्र कार्यवाही को समाप्त करने की कोशिश की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : We are not prepared to hear him for one hour.

श्री मानसिंह महार : We cannot give so much time.

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order Order !!.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I will take as less time as possible.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, as less time as possible.

श्री भैरोंसिंह : Mr. Dy. - Speaker, I move that the question be now put.

श्री मानसिंह महार : I also move a closure motion.

श्री रामकृष्ण गोयल (टोंक) : The motion has been put and it sho be put to vote now.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपका रूलिंग होगा यह कि डिस्कशन पूरा हो गया है, सेटिस्फेक्शन आपको पूरा हो गया है, आपकी मंशा के अनुकूल पूरा डिस्कशन यदि नहीं हुआ है तो माननीय उप-मंत्री का बोलना जारी रखा जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : On a point of order......

श्री भैंरोंसिंह : मेरा क्लोजर मोशन है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री वित्त) : He has the authority and he can continue........

(शोर–गुल)

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े चार बजे तक माननीय उप–मंत्री जवाब देंगे, इसके बाद गिलोटिन एप्लाई होगा।

श्री भैंरोंसिंह : क्लोजर मूव किया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : Do you press it ?

श्री भैंरोंसिंह : Yes Sir, I press it

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir. When the sense of the house has been taken and the Dy. Speaker has given the observations and further time has been extended to me, there cannot be any closure motion.

श्री मानसिंह महार : Closure has been moved.

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order Please!! जो क्लोजर मोशन मूव किया गया है उसके विषय में क्लोजर के नियमों की तरफ, जो २८१ है, सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और इसके सन्दर्भ में यह भी निवेदन करूंगा कि जोभी हमारे यहां के रूल्स हैं वे कार्यवाही की सहूलियत के लिये रखे गये हैं और इसलिये स्थान स्थान पर आसन को यह अधिकार दिया गया है कि उसमें जितना लोच अथवा फेर करना पड़े, करें। इस समय जो प्रश्न है, क्लोजर मूव किया गया है मंत्री के जवाब पर, तो इस विषय में बुनियादी बात यह देखनी पड़ेगी कि विवाद के पश्चात् एक आवश्यक बात यह हो जाती है कि विवाद जिस सरकार की तरफ केन्द्रित है उस सरकार को जनतन्त्रीय परम्पराओं के अनुकूल जवाब देने का पूरा पूरा अवसर दिया जाय; इसलिये क्लोजर का जो रूल है उसमें इस बात पर अधिक महत्व दिया गया है कि बिल पर कोई प्रलम्बित विवाद हो तो दूसरी बातों के लिए सरसरी तौर पर कहा गया है कि यह किया जा सकता है। जो विशेष बात है वह यह है कि सरकारी पक्ष का जवाब इस विषय में होना आवश्यक है और सारे सदस्यों की जानकारी के लिये शिक्षा की जो पालिसी है उसको देखते हुए disallow the closure.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : No, no

श्री केसरीसिंह (पाली) : आप हाउस की सेन्स ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : I will draw your attention to the Rule 281 of the Rules of Procedure which says, "provided that the Speaker may allow a member any right of reply which he may

(श्री उपाध्यक्ष)

have under these rules". And I have allowed him the right of reply and hence the rest of the Rule regarding Closure is automatically been ruled out.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir. आपने राइट ग्राफ रिप्लाई के लिये उनको इजाजत दी है। डिप्टी मिनिस्टर को राइट ग्राफ रिप्लाई नहीं होता है, उनको होता है जो मूवर है। शिक्षा मंत्री इसके मूवर हैं ग्रौर उनको राइट ग्राफ रिप्लाई है ग्रौर उन्होंने ग्रपना भाषण दे दिया, उन्होंने ग्रपने राइट को एक्सर्साइज कर लिया। दूसरों को ग्रब राइट ग्राफ रिप्लाई नहीं है। वे कैसे ग्रपना भाषण कर सकते हैं जब कि राइट ग्राफ रिप्लाई मूवर ने एक्सर्साइज कर लिया है ग्रौर इस हालत में उनको बोलने का ग्रधिकार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में व्यवस्था दे चुका हूं कि सरकार की जिम्मेदारी सम्मिलित है। मैं उद्धृत कर चुका हूं कि मिनिस्टर की डेफिनेशन क्या है ग्रौर उसके ग्रतिरिक्त २७८ रूल को उद्धृत कर चुका हूं ग्रौर पूर्णतया स्पष्टीकरण कर चुका हूं इसको देखते हुए इसमें कोई हर्ज नहीं हैं कि उप मंत्री मूवर की तरह माने जाये।

श्री भैरोंसिंह : यह माना जाय कि ४।। बजे उनकी डिबेट खत्म हो जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष रूप से सद्भाग्य होता कि जितने प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये है उनका विश्लेण करता। ग्रगर उन्होंने मेरे कष्ट को कम किया है तो उस पर भी ग्राभार मानता हूं।

जहां तक सिस्टम ग्राफ एज्युकेशन का सवाल है यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है। वाइस चान्सलरर्स की कान्फ्रेन्स हुई, वहां पर रीग्रोरिएन्टेशन ग्राफ एजुकेशन पर विचार किया गया ग्रौर जो कुछ विचार होता है ग्रौर जो निर्णय होते है रीग्रोरिएन्टेशन ग्राफ एजुकेशन उसी ग्राधार पर होता है। हिन्दुस्तान में शिक्षा के सम्बन्ध में एडवाइजरी बोडी होती है ग्रौर हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्री एडवाइजरी बोडी में होते है। जो पेटर्न वे बनाते हैं उसको स्वीकार करना पडता है। मैं इस सम्बन्ध में विश्वास दिलाता चाहता हूं कि हाईस्कूल ग्रौर हायर सैकेन्डरी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की भावनाग्रों का ग्रादर किया जावेगा। हमारा जो व्यू पोइन्ट है वह कन्स्ट्रक्टिव सुझाव हमको मिलते है ग्रौर माननीय सदस्य के जो कन्स्ट्रक्टिव सुझाव है यदि उनको दृष्टिगत रखते हुए रीग्रोरिएन्टेशन ग्राफ सिस्टम को बदलना सम्भव हुग्रा तो उसके सुधार पर कोशिश की जायगी।

नेशनलाइजेशन ग्राफ टैक्स्ट बुक्स के विषय में कहा गया। कितावों में एररर्स हुई हैं जो ग्रभी माननीय सदस्यों ने संकेत किया है, मुझे यह मानना पड़ता है कि जहां तक रिव्यू का सम्बन्ध है, या लिखवाने का सम्बन्ध है पूर्णतया दोषपूर्ण नहीं है। यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो दोष बतलाये गये हैं उनकी दुरुस्ती होगी ग्रौर रिव्यू के लिए सतर्कता बरती जायगी। ग्रौर इसके साथ ही माननीय सदस्यों ने कुछ गलतियां बतायीं मेरे पास उन सब किताबों के नाम है जिनमें गलतियों का उल्लेख किया गया है। ग्रापको विश्वास दिला सकता हूं कि इस विषय में

Page No 101

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
अधिक जागरुकता बरती जायेगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

टैक्स्ट बुक्स की प्राप्ति के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया। जो प्रश्न सदन में आये हैं इस सम्बन्ध में मैं प्रश्नों का अलग अलग जवाब सदन में दे चुका हूं फिर भी दोहराते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखा वैसा नहीं है। किताबें प्राप्त थीं। कुछ में कमी थी। हमारी कठिनाई यह थी कि प्रेस को आमन्त्रित करने में लोएस्ट टेन्डरर को लेना पड़ता है, उसके हिसाब से, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयम् अनुभव करते ह, टेन्डर ठीक नहीं आते हैं, ठीक काम नहीं करते हें और डिले होती है। किताबें डिस्पोजल पर होते हुए भी यह में मानूंगा कि दरअसल किताबें मार्केट में देरी से आई। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस सिस्टम को बदल रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस कर लिये हैं, जिम्मेदारी दे दी जाय और अच्छे प्रेस जिम्मेदारी ले लेते हैं तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि डिले हो सके।

श्री मकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या मेरे कट मोशन के अनुसार शिक्षा मंत्री महोदय यू. पी. में जिस प्रकार की व्यवस्था है, रॉयल्टी वसूल कर ली जाती है, कवर छपवा लेते हैं, उस पर विचार करेंगे?

श्री निरंजननाथ आचार्य: हम इस सम्बन्ध में बात कर चुके हैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे सुधार दिया है। आपका सुझाव अच्छा मालूम होता है। कृपया, ू. पी. का जो सिस्टम है यदि उसके बारे में कुछ साहित्य आपके पास हो तो वह मुझे दे दें ताकि में उसका अध्ययन कर लूं। अच्छे सुझाव हों तो कद्र होनी चाहिए। लेकिन यह माननीय सदस्य के पास पूर्ण-रूपेण नहीं था इसलिये यू. पी. गवर्नमेन्ट को तार द्वारा सूचित किया है आपके सुझाव पर कि वहां का सिस्टम अच्छा है, आने वाला है उसका अध्ययन करेंगे और इससे मुकाबला करेंगे और कोई वजह नहीं है कि कोई सिस्टम अच्छा हो तो उसको लागू न करें।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यहां पर रखा गया 'सचित्र राजस्थान' समाचार पत्र का। में स्वयम् इस प्रश्न से परेशान हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य ने जो रखा है उसका मेरे दिमाग पर वजन है, लेकिन में तथ्य कुछ रखना चाहता हूं; उसके बाद में माननीय सदस्य की राय का सम्मान करना भी जानता हूं। जैसा मैंने निवेदन किया कि यह शिक्षा विभाग खेत का विभाग है। इसमें अगर कोई एक कंकर है तो वह सारे विभाग को खराब करता है। माननीय सदस्यों के सम्मुख किस स्थिति से इसको प्रेस्क्राइब किया गया वह स्थिति रख दूंगा। स्थिति से संतोष हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो में दूसरा कदम भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उचित हो सकता है लेना चाहूंगा। पहले तो माननीय सदस्य का वह प्रश्न था। दरअसल रेगुलर इसको भेजा जाता नहीं है। यह रेगुलर नहीं है और ग्राहकों के पास रेगुलर नहीं पहुंचता है। मुझे ताज्जुब हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, यह शिकायत मुझे मिली, में स्वयम् जानकारी करना चाहता था कि दरअसल यह रेगुलर है या नहीं; लेकिन मेरी जानकारी किसी माननीय सदस्य के हाथ में पड गई और अपनी सम्पत्ति बना कर मुझे ताज्जुब में डाल दिया।

Page No 102

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मेरी जानकारी आपकी जानकारी है और मेरा जितना कहा हुआ है उतना ही आपका कहा हुआ मान लिया जाय। मुझको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ; प्रोसीक्यूशन वे हो गये और मुझे डिफेन्स कर दिया; जब कि प्रोसीक्यूशन मुझे होना चाहिये और डिफेन्स आपको होना चाहिए·····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपकी फाइल तो कहीं वहां नहीं रह गई इनके क्वार्टर पर······

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : यह आपकी योग्यता का नमूना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : साधारण तौर पर एमर्जेन्सी की स्थिति में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। आज से दो महीने पहले एमर्जेन्सी का संकट था और हम इस कोशिश में थे कि पैसा मिले। पत्रकारों को, कलाकारों को सब से निवेदन किया गया अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत के अनुसार इसमें योग दें। उस स्थिति के अन्दर एक प्रार्थना-पत्र उपस्थित होता है। प्रार्थना पत्र में यह लिखा हुआ था कि भारत सरकार के विज्ञापन मुफ्त में छापेंगें। राजस्थान सरकार के विज्ञापन मुफ्त में छापेंगे, पांच प्रतिशत डिस्काउन्ट देंगे, ग्राहकों से जो कीमत ली जाती है उसमें पांच प्रतिशत कमी करेंगे और वह बचत का रुपया सुरक्षा कोष में देंगे। जब इनका हिसाब लगाया तो १४,४०० रुपये के करीब होता है। केन्द्रीय सूचना विभाग के एडवर्टाइजमेन्ट के १४,४०० रुपये होते हैं; उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में यह लिख दिया था कि एडवर्टाइजमेन्ट, वार अफेयर्स के संबंध में लोगों में उत्साह पैदा करने संबंधी साहित्य और एडवर्टाइजमेन्ट आदि मुफ्त में छापेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पत्र डी. पी. आर. से एडवर्टाइजमेन्ट के लिये एप्रूव्ड नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डी. पी. आर. से एडवर्टाइजमेन्ट नहीं जा सकते।

आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, मैं आप ही की खिदमत कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्त मंत्री के शब्दों में जिसे कहते हैं पुर फरेब तख्खयुल।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उर्दू क्लिष्ट भाषा है, आप वित्त मंत्रीजी को इसमें समझाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दी में जिसे शेखचिल्ली की बातें कहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ४०० प्रतियां सैनिकों के लिये मुफ्त में देंगे। यह मैं कह सकता हूं कि यह पत्र रेगुलर नहीं है तो इसकी मैं जानकारी करूंगा और कर रहा हूं। पत्रिका का साहित्य अच्छा है, बालकों के लिये एक अलग स्तम्भ है, साहित्य है, पॉलिटिक्स इसके अन्दर नहीं। यदा-कदा किसी की तस्वीर आ जाती है। सारी पत्रिका में कहीं भी राजनीति नहीं·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अंक ही नहीं है तो राजनीति कैसे आ सकती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस आधार पर इस स्थिति में यह पत्र पहले से प्रेस्क्राइब्ड था। इसकी स्वीकृति २५-१-६२ को दी गई थी। इस सारी स्थिति को देखते हुए संकट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
कालीन स्थिति के विज्ञापन और भारत सरकार के विज्ञापन पांच पर्सेन्ट और आता है। उस पांच फी सदी को बढा कर २० पर्सेन्ट किया। इन आधारों पर हमने सोचा कि इसकी वास्तव में सेवायें हैं, उसी आधार पर हमने यह हुक्म निकाला और मेरा यह विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने शंका प्रगट कीं, कुछ अंशों में निश्चित रूप से उनका निराकरण हो गया होगा। मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसी कि माननीय सदस्य ने जानकारी दी मैं स्वयं इस बारे में सतर्क हूं इस प्रश्न पर। मैं ऐसी पत्रिका को बच्चों के लिये हितकर मानता हूं। इस प्रकार की पत्रिका बच्चों के लिये प्राप्त नहीं थी, साधारणतया एक साल के लिये जहां सब पेपर्स प्रेस्काइब्ड होते हैं पहली साल में इसको भी ले लिया। अगर मेरी जानकारी में दूसरी स्थिति आयी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दूसरा कदम भी लेने में चूक नहीं करूंगा·····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि आपने जो इस पत्रिका को हर संस्था को लेने के लिये बाध्य किया है उस आदेश को वापिस लेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तरह का नियन्त्रण नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर है तो क्या आप वापिस लेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हाइपोथेटिकल सवाल है। उसमें क्या दिक्कत है ? यदि है तो वापिस भी ले लेंगे।

इस स्थिति में ४०० अंक दिये गये। यह कोई बडा मसला नहीं है किसी पत्रिका का इधर उधर करने का, जहां तक इस विभाग के मशरूम पेपर्स का प्रश्न है। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, कई विद्यालयों में चार चार पेपर्स उस स्थान के स्थानीय साप्ताहिक हैड मास्टरों को मजबूर होकर लेने पडते हैं। मैंने इस तरह के साप्ताहिकों को बन्द किया है। पेपर्स लिये जायं तो दैनिक लिये जांय, साहित्यिक पेपर्स लिये जायं। मैंने इन छोटे मोटे पत्रों को बन्द किया है इस बारे में भी आक्रमण हो सकता है जिनकी नाराजगी है इस संबंध में, उनका।

हम बच्चों के संबंध में, संस्कृति और साहित्य के संबंध में इतने सचेत हैं, सदस्य जिस प्रकार विषमता लिये हुए हैं उस प्रकार की पॉलिटिक्स को उनके दिमाग में घुसने नहीं देना चाहते, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के संबंध में········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको एक सेकिंड के लिये डिस्टर्ब करना चाहता हूं, जैसा कि आपने विश्वास दिलाया। जब तक आप यह जानकारी न कर लें इस पत्र की नियमितता और अनियमितता के बारे में तब तक, ३१ मार्च को यह वर्ष समाप्त हो रहा है, पेमेन्ट्स उसके होने वाले हैं आप उसको प्रोवीजनली स्टोप करने की आज्ञा दे देंगे ? जब तक आपको सेटिस्फेक्शन न हो जाय उसका पेमेन्ट आप रोक दें।

Page No 104

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस संबध मे यहां स्थिति में नहीं हूं कि इस बारे में कुछ निश्चित आदेश दे सकूं। वित्त मंत्रालय से हुक्म निकल गया हो, ऐसी स्थिति में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं होगी।

(४.२८ म. प.)

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के संबंध में कहा गया, उसके बारे मे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स तय हो चुकी हैं तथा जो कुछ शेष हैं उनको भी शीघ्र ही तय कर दिया जायगा फिक्सेशन और सेलेरीज के संबंध में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय का आदेश था कि ४।। बजे डिबेट खत्म हो जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राइमरी स्कूल्स के संबंध में टीचर्स के संबंध में जो उद्विग्नता है वह हल हो गई है, सीनियोरिटी लिस्ट बन गई है। पंचायत समितियां हमें कॉपरेशन नहीं देती। माननीय सदस्यों ने सजगता से मुझे सुना उसके लिये मैं आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,९४,०७,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९-मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,३४,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों, वे 'ना' कहें।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : Noes have it, sir

श्री अध्यक्ष : अभी तो और भी मांगें बाकी हैं। शिक्षा से तो आप सन्तुष्ट हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हमारा तो काम सिर्फ़ जगाना था। पांच पांच गाड़ियां उनको लेने गईं, काफ़ी दौड़-धूप हुई, अस्पताल भी गई, पेचिश के मरीज़ को भी आना पड़ा। सिविल लाइन गई हैं गाड़ियां। पर घर घर जाकर लोगों को लेकर आ रही हैं। माननीय मिनिस्टर महोदय तो घर पर गनगोर मना रहे थे। उनको भी आना पड़ा।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : इसमें ऐतराज़ क्या है?

श्री अध्यक्ष: इससे बाद वाली मांगों पर आप देखें। आप कहें तो एक बार और आवाज़ सुन लें।

(नहीं साहब की आवाज)

Division in the lobbies.

एण्ड नोज इन दी नोज लाबी।

विभाजन घंटी बजाई गई।

एक बार पुनः प्रश्न उपस्थित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९- सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,३४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(मतदान के पश्चात्)

अब तो हां पक्ष जीता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हां साहब, जीत गया।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ९ स्वीकार की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : केवल बीमारी दूर करने के लिये जोर दिया था।

(४.३५ म.-प.)

श्री अध्यक्ष : एम्बुलेन्स रखी है बाहर।

मांग संख्या १, शेष मांगों पर मुख्य बध।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,८७,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २, राजकीय आबकारी कर।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १० राजकीय आबकारी कर के संबंध में ३१ मार्च १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२,३१,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४-बिक्री कर।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६०,४४,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५-अन्य कर और महसूल।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,१०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६, स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४ स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च,

Page No 106

(श्री अध्यक्ष)
१९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ४,६१,०००) रुपये की राशि प्रदान कीजावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): अब इतने जोर से बोलने की जरूरत नही है। ये डरे हुए हैं, साहब

मांग संख्या ७–पंजीयन शुल्क

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १५–पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,२६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८ संसद तथा विधान सभाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८–संसद् तथा राज्य विधान सभाएं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,९६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाव।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८ न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १० मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५१,८०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १० स्वीकार की गई।

मांग संख्या १३ विविध विभाग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७६,९६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(मत दान के पश्चात)

हा पक्ष जीता

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंह नगर): 'ना' पक्ष जीता साहब:

श्री अध्यक्ष: अबकी दफा देख लेंगे:

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

(विराम)

अब तैयार रहिये, साहब

मांग संख्या २९, दुर्भिक्ष सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५१,२८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३० निवृत्ति वेतन इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३० मुख्य शीर्षक ६५–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ तथा ७२–निवृत्ति वेतनों का एक मुश्त दान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९९, १६,००० रुपये तक की राशि प्रदान **की जावे।**

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई?

मांग संख्या ३१, प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६६—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३१ स्वीकार की गई

मांग संख्या ३२, भारतीय नरेशों के निजी वेतन तथा भत्ते

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७—भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,१०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६०,२०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३६, अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६—अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५७,३२,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६-स्वीकार की गई

मांग संख्या ३७, असाधारण व्यय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ७७—असाधारण व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,००,००,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३७ स्वीकार की गई

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): यह तो नेशनल एमर्जेन्सी का सवाल है।

आप दो करोड भी कहते तो इसमें मिल जाते।

मांग संख्या ३८—क राष्ट्रीय आपत्काल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ७८ क—राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,५४,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३९, भूमि धारकों इत्यादि को जमींदारी की प्रथा की समाप्ति के फलस्वरुप क्षति पूर्ति देय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९२—भूमि धारकों इत्यादि को जमीनदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षति पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२०,००,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३९ स्वीकार की गई

मांग संख्या ४५, अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १०९—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्ति होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४७ को निवृत वेतनों के एक मुश्तदान के भुगतान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक १२०—निवृत्ति वेतनों के एक मुश्तदान के भुगतान के सम्बन्ध में, ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई

मांग संख्या ४८, सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१०,५९,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई

मांग संख्या ४९—था-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रीम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,१४,६१,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४९ स्वीकार की गई

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६३

पुनः स्थापन

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल (नम्बर ३) पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल (नम्बर ३) को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अम लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के चुनाव से नामों की वापसी

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य विथड्रा करना चाहते हैं ?

(श्री जोधसिंह और छोटूराम ने अपने नाम वापिस लिये)।

म. पू. ४ बज कर ४५ मिनिट पर दिनांक २९ मार्च, १९६३ के म. पू.

तदनन्तर सदन की कार्यवाही ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

———

Page No 110

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, दिनांक २८ मार्च, १९६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५०७९

पाली तहसील में चकबन्दी का कार्य ।

तहसील हिन्डौन में भूमिहीन किसान ।

सेल्स टैक्स की अदायगी ।

पंचायत समिति रतनगढ़ द्वारा अनुदान ।

भाखरा क्षेत्र की भूमि ।

राजस्थान पैसेन्जर तथा गुड्स टैक्स ।

तहसील लाडपुरा के लोगों से बकाया लगान ।

नये मिडिल स्कूल ।

जिला चूरू एवं तहसील नोखा के खालसा गांव ।

नागौर जिले के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृति ।

अलवर तहसील में खुदकाश्त के नाम पर किये गये एलाटमेन्ट ।

आर. ए. एस. अधिकारियों की आई. ए. एस. पद के लिये सिफारिश ।

बीदासर में गोचर भूमि ।

गंगानगर जिले में ईंटों के भट्टे ।

सरकारी आदेश का पालन ।

भूमि पर नाजायज कब्जा जिला पाली ।

पंचायत समिति रायसिंह नगर की जीपें ।

स्कम्भ

जमीन की सीमा निर्धारण का कानून ।

प्रवास सम्बन्धी सुविधाएँ ।

अटबड़ा माइन्स ।

आयरन स्टील के आयात के लिये ऐसेन्सियलिटी सर्टिफिकेट ।

निम्बाहेडा व चित्तौड़गढ़ में दाखिल खारिज ।

ग्राम हलेना में आग ।

प्राइमरी व सैकन्डरी शिक्षा के डाइरेक्टर पद पर नियुक्ति ।

प्रति व्यक्ति आय में बढोतरी ।

क्वार्टरली स्टेटमेन्ट ।

राजस्थान में अनुज्ञापत्रित उद्योग ।

राजस्थान के एतिहास का शिक्षण ।

पाली जिले में अभावग्रस्त घोषित गांवों से भू-राजस्व की वसूली ।

वीर गति प्राप्त सैनिकों को सहायता।

प्रेसीसन इन्स्ट्यूमेन्ट्स का कारखाना।

बाढलियारु में हायर सैकन्डरी स्कूल ।

स्थगित प्रश्न ५१३२

(२२-३-६३ का)

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत नागौर जिले में धनराशि ।

संक्षिप्त विवरण **स्कम्भ**

२. जन लेखा समिति १६६३-६४ व प्राक्कलन समिति १६६३-६४ के चुनाव से नामों की वापसी **५१३७**

निम्नांकित सदस्यों ने आज उपरोक्त समितियों के चुनाव से अपने नाम वापस ले लिए :

जनलेखा समिति

१. श्री अमरसिंह
२. श्री राम किशन
३. श्री नत्थीसिंह (१२३)
४. श्री जोधसिंह चौहान
५. श्री अल्दा राम मीणा
६. श्री मोहरसिंह राठौर
७. श्री योगन्द्रनाथ हांडा
८. श्री हरिराम घारू
६. श्री फूलचन्द जैन

प्राक्कलन समिति

१. श्री तेजाराम गहलोत
२. श्री मुरलीधर व्यास
३. श्री भीमसेन
४. श्री नत्थीसिंह (१२५)
५. श्री उमरावसिंह ढाबरिया
६. श्री अल्दाराम मीणा
७. श्री रामानन्द अग्रवाल
८. श्री योगन्द्रनाथ हांडा
६. श्री रावतराम

३. सदन की मेज पर रख गये पत्र **५१३६**

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने वित्त (रेवन्यू एण्ड इकोनोमिक एफंयर्स) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखीं :

स्कम्भ

(१) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३-I दिनांक २३ मार्च १६६३

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६२-II दिनांक २३ मार्च, १६६३

(३) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३-III दिनांक २३ मार्च, १६६३

(४) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३-IV दिनांक २३ मार्च, १६६३

(५) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) एफ. डी. (आर. टी.) । ६३-V दिनांक २३ मार्च, १६६३

४. आय-व्ययक १९६३-६४

द्वितीय अवस्था--अनुदानों की मांगों पर मतदान **५१४०**

(१) मांग संख्या १५ मुख्य शिर्षक २८–शिक्षा

(२) मांग संख्या ६ मुख्य शिर्षक १६-सामान्य प्रशासन

उपरोक्त मांगे क्रमशः श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री एवं श्री परसराम मदेरना उप मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई ।

इन मांगों पर कुल २० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

सरकार की ओर से बहस का उत्तर श्री मथुरादास माथुर गृह मंत्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री एवं श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-मंत्री ने दिया। तत्पश्चात् मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई।

तदुपरान्त मुखबन्द (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर निम्नांकित मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई :

क्र. सं.	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१	१	९–भू-राजस्व
२	२	१०–राजकीय आबकारी कर
३	४	१२–बिक्री-कर
४	५	१३–अन्य कर और महसूल
५	६	१४–स्टाम्प्स
६	७	१५–पंजीयन शुल्क
७	८	१८–संसद तथा राज्य विधान सभायें
८	१०	२१–न्याय प्रशासन
९	१३	२६–विविध विभाग
१०	२९	६४–दुर्भिक्ष सहायता
११	३०	६५–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ ७२–निवृत्ति वेतनों का एक मुश्त दान
१२	३१	६६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन
१३	३२	६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते
१४	३३	६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण
१५	३६	७६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन
१६	३७	७७–असाधारण व्यय
१७	३८	७८–क-राष्ट्रीय आपत्काल, १९६२
१८	३९	९२–भूमिधारकों इत्यादि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय
१९	४५	१०९–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत
२०	४७	१२०–निवृत्ति वेतनों के एक मुश्त दान के भुगतान
२१	४८	१२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत
२२	४९	था–राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

५. विविध कार्य—पुरःस्थापित किया गया विधेयक

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३ का पुरःस्थापित किया।

सदन की बैठक ४ बज कर ४५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक २९ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक २९ मार्च, १९६३
की कार्य-सूची

(१) राजस्थान लैन्ड रेवन्यू (जनरल सैल्स) विधेयक १९६३।

(वापिस लेना)

(२) राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (सरचार्ज) संशोधन विधेयक, १९६३।

(पुरः स्थापन)

(३) जन लेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(४) पुरः स्थापित होने वाले विधेयक।

(क) राजस्थान सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३।

(ख) राजस्थान ग्राम-दान (संशोधन) विधेयक, १९६३।

(५) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३।

(विचार-विमर्श एवं पारित)

(६) जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान पैसेन्जर एवं गुड्स टैक्स की प्रति वर्ष की बकाया का व्योरा

वर्ष	प्रति वर्ष की बकाया रकम
१९५९-६०	७,४२९
१९६०-६१	१,५३,८०२
१९६१-६२	३,२१,०५७
योग ..	४,८२,२८८
१९६२-६३	५,६०,१६७ (३१ दिसम्बर, ६२ तक)

Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act.

1	2	3	4	5
	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63
I (Tax chargeable in respect of passengers & Goods transported by stage carriages) :				
1. In case of cemented, taried, asphalted, metalled, gravelled and kankar roads.	One-eight of the value of the fare and freight.	No change.	15%	20%
2. In other cases.	One-twelfth of the fare and freight subject to a minimum of one nP. in any case, the amount being calculated to the nearest nP.	-do-	10%	15%
II Tax chargeable on fare or freight in respect of the following class of Motor Vehicles in lump sum as mentioned against each such class.				
1. Motor Cycle Rikshaws. 2. Motor Cabs	60/- per annum) 120/- per annum).	Conditionally exempted.	Conditionally exempted.	Conditionally exempted. (but see note below also).
3. Public Carriers (Goods Vehicles) holding a general permit under Motor Vehicles Act, 1939 to use all roads in Rajasthan :—				
(a) (i) Load carrying capacity below 5 tons.	420/- per annum.	No change.	500/- per annum.	No change.
(ii) Load carrying capacity 5 tons and above.	540/- per annum	No change.	660/- per annum.	No change.

1	2	3	4	5
(b) Holding a permit under Motor Vehicles Act 1939 for plying, within the limit of any region or on fixed routes in any one region :—				
(i) Load carrying capacity below 5 tons.	360/- per annum.	No change.	440/- per annum.	440/- P.A.
(ii) Load carrying capacity 5 tons and above.	480/- per annum.	No change.	580/- P.A.	580/- P.A.
4. Motor Rikshaws, Motor Cabs and Public Carriers (Goods Vehicles) plying on line on temporary permits under the Motor Vehicle Act, 1939 :—				
(a) Motor Cabs.	One rupee for each calendar day beginning and ending at mid-night or part thereof.			
(b) Public Carriers (Goods-Vehicles)				
(i) Local carrying capacity below 5 tons.	2/- per day.	No change.	Rs. 2.50 nP. for each calendar day beginning and ending at mid-night or part thereof.	2.50 nP.
(ii) Local carrying capacity 5 tons and above.	4/- per day.	No change.	Rs. 5.00 -do-	5.00 nP.

Note—

1. The rates on Motor Cycle Rikshaw including a Scooter or any other 3 Wheeled Motor Vehicles are as under w.e.f. 24-1-63 under Govt. Notification No. F. 15 (2) E.& T/59 (c) :—

(a) With seating capacity up to 2 only excluding the Driver.	Rs. 25/- per annum.
(b) With seating capacity up to 4 only excluding the Driver.	Rs. 50/- per annum.
(c) With seating capacity more than four excluding the Driver.	Rs. 100/- per annum.

2. Motor Cabs :— Rs. 150/- per annum.

3. All Motor vehicles mentioned at items 1 & 2 above Rs. 1.50 n P. for each calendar day beginning and ending at mid-night or part thereof plying on hire on temporary permits under Motor Vehicles Act, 1939.

Page No 118

परिशिष्ट २

(छपवा तारांकित प्रश्न संख्या ६६२ का उत्तर देखिये)

लिस्ट बाबत एलाटमेन्ट खुदकाश्त तहसील अलवर जिनके नाम एलाटमेन्ट हुआ।

क्रमांक	नाम जागीरदार मय जागीर	नाम ग्राम जहां एलाटमेन्ट हुआ था	रकबा	क्या किसी ने उज्र दारी की है
१	२	३	४	५
१	वैद्य चन्द्रकिशोर पुत्र माधव प्रसाद माफीदार, अलवर	मौजा जगता बछई तह० किशनगढ	१७।४	हां, इस ग्राम का कोई कार्य सेटिलमेन्ट द्वारा नहीं हुआ
२	श्री बजरंग सिह पुत्र श्री बख्शसिंह केरवाडा	केरवाडा त० अलवर	१९।।।४	हां
३	श्री रामस्वरूप पुत्र मदन मोहन अकबरपुर	देवखेडा	५।।	हां
४	श्री राम सहाय पृथ्वीपुरा	अहमदपुर बुर्जा बमवलाचारण	२३।२ ४।।४ ३।।३	हां
५	श्री समासिह मडौली	जाठोती		हां
६	श्री धीरसिंह	,,		हां
७	श्री जगदीश सिंह नेथला	नेथला	१३।।१	हां
८	श्रवण सिंह, रतनसिंह, जतनसिंह, नत्थूसिंह सालमपुरी	सालमपुरी	१४।।३	हां
९	श्री रतनसिंह नेथला	नेथला	१६।।२	हां
१०	श्री कृष्ण स्वरूप, रघुवीरस्वरूप, अलवर	अहमदपुर		हां
११	श्री बने सिंह पुत्र समुन्द्रसिंह दीनार	सिया का वास	४८	हां
१२	श्री रिद्धमल सिंह कलसन्डा	झारेडा	४८	हां
१३	श्री केशरीसिंह इन्द्रगढ	सिफारिश इन्द्रगढ में दिलाने की	१६।१	उज्रदारी है
१४	श्री मोतीसिंह, सालपुरी	सालपुरी	१९।।५	हां
१५	श्री दीवान रामचन्द्र दोहली	नेथला	४०	हां

१	२	३	४	५
१६	ठकुरानी कालनोत किशनपुर	किशनपुर	११	नहीं
१७	गणपत सिंह झारेडा	झारेडा	२८)४	नहीं
१८	कल्याणसिंह मडकोल	पेहल	१२)—	नहीं
१९	गंगासिंह सोहनपुर	सोहनपुर	३३)३	नहीं
२०	मुकुन्द सिंह सोहनपुर	सोहनपुर	२)४	नहीं
२१	श्री तेजदान मूजूकी	मूजूकी	१२)३	नहीं
		सालपुर	८)	
२२	तीखर सिंह	नकला	१॥४	नहीं
२३	योगेश चन्द्र अवतार चन्द्र अलवर	माजूका	४८	नहीं
२४	श्री देवी सिंह पुत्र भंवर सिंह	झारेडा	५६॥४	नहीं
२५	श्री अमर सिंह, गंगा सिंह खेडली भींचानोत	खेरली भींचानोत	२२)२	नहीं
२६	श्री ईसरदान बारैठ मूजूकी	मूजूकी	२५।३	नहीं
२७	श्री विजय सिंह नावली	नावली	८)४	नहीं
२८	श्री शिवदयाल अलवर	महुवाकली	३॥	नहीं
२९	श्री बक्स सिंह मोरेडा	मोरेडा	२१	नहीं
३०	श्री देवी सिंह इन्द्रगढ	सारंगपुर	१५१३	नहीं
		मोरेडा	२५	
३१	श्री जगदीश नारायण बहादुरपुर	बहादुरपुर	३॥२	नहीं
३२	श्री दौलत सिंह तेजसिंह मूंडियाखेडा	हाजीपुर	८४)३	नहीं
३३	श्री रघुवीर प्रसाद देहली	माधोगढ	४८	नहीं
३४	श्री मीराबाई सोहनपुर	नगलीसाथ	२६)२	नहीं
३५	श्री मोतीसिंह सोहनपुर	सोहनपुर	१॥	नहीं
३६	श्री जयदत्त वैद्य मुनसका	माधोगढ	२८)३	नहीं
३७	श्री तेजकरण सिंह, बुर्जा	बुर्जा	४८	नहीं
३८	श्री गोविन्द सहाय मूंगसका	मोरेडा	१८	नहीं
३९	श्री गंगादत्त शर्मा, रामगढ	झारेडा	२॥२	नहीं
४०	श्री गंगाबक्स सिंह बडोर	रूपवास	१७)१	नहीं
४१	श्री शम्भूसिंह छोलापलास	छोलापलास	८॥४	नहीं
४२	श्री अमरसिंह बडोर	खेरली पियानोत	१६)२	नहीं

१	२	३	४	५
४३	श्री प्रभूदान मूजूकी	मूजूकी	२२।।।३	नहीं
४४	श्री शम्भूदान मूजूकी	मूजूकी	२५	नहीं
४५	अमर सिंह बेरका	झारेडा	५।।१	नहीं
४६	मु० जवाहर बाई	मोरेडा	७	नहीं
४७	गोविन्द सहाय भांडारेज	रूपवास	९	नहीं
४८	—	वालाडहरा		हां
४९	—	सालपुर		नहीं
५०	श्री नरेन्द्रसिंह बोजबड	बुर्जा	७	नहीं
५१	श्री मोहनसिंह नांगल	ढांढोली	२०१२	नहीं
५२	श्री अमरसिंह सुखमन हेडी	सालपुर	२० एकड	नहीं
५३	श्री जबक सिंह बहाली	छाजूरामपुरा	४४ बी	अपील में
५४	श्री पृथ्वी सिंह कन्हैया	झोरेडा	२८।।	नहीं
५५	श्री शिवदयाल नाई	माजूका	८	नहीं
५६	श्री गोविन्द सिंह मढी	माघोगढ	२०।।	नहीं
५७	श्री मंगल सिंह	झारेन्डा	३५	नहीं

सूची (अ) ग्रामों के नाम जहां सेटिलमेन्ट हो चुका है।

१. बुर्जा
२. नगला चारण
३. जाटोली
४. नेथला
५. सालपुरी
६. सिया का वास
७. झारेडा
८. इन्द्रगढ
९. किशनपुर
१०. मधीरपुर
११. सोहनपुर
१२. मूजूकी
१३. सालदुर
१४. नावली
१५. गाजूकी
१६. खेडली पिचानोत
१७. महुआ कलां
१८. मोरेडा
१९. सारंगपुर
२०. घोलापलास
२१. पेहल (मुन्डावर)
२२. नगली साध

सूची (ख) जिन ग्रामों में सेटिलमेन्ट द्वारा चरागाह घोषित न ीं हुआ है।

१. बगता बसई
२. बेरवाला
३. देवखेडा
४. महमदपुर

५. बहादुरपुर
६. हाजीपुरा
७. माधोगढ़
८. रूपवास
९. बालाडहेरा
१०. ठाठोलो
११. छाजूराम पुरा

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७९ का उत्तर देखिये)

राजस्थान सरकार

नियुक्ति (क—३) विभाग

उन राज्य कर्मचारियों के नामों की सूची जो ६ माह से अधिक अर्से से निलंबित दशा में हैं और जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यावाही जारी हैं :—

क. सं.	राज्य कर्मचारी का नाम	पद	राजपत्रित अथवा नहीं	निलंबित होने का दिनांक
१	२	३	४	५
	नियुक्ति (क) द्वारा निलंबित			
१.	श्री एस. एल. तिवाडी ..	मैनेजर सरकिट हाउस	नहीं	२-६-५९
२.	,, राधा कुमार ..	ओवरसीयर सिंचाई विभाग	नहीं	१७-१०-५९
३.	,, मदन सिंह	आर. ए. एस.	रा०	
४.	,, गोविन्द नारायण ..	बी. डी. ओ.	रा०	
५.	,, मुर्लीधर	इन्सपैक्टर	नहीं	५-१२-५९
६.	,, उम्मेद सिंह ..	पटवारी	,,	
७.	,, मुकन्द सिंह ..	लिपिक	,,	
८.	,, ओंकार लाल जोशी ..	माइनिंग इन्जीनियर	रा०	१४-१२-५९
९.	,, टी. सी. जैन ..	आर. ए. एस.	रा०	१-४-६०
१०.	,, जगदीशनारायण पुरोहित	डाक्टर	रा०	२६-५-६०
११.	,, जी. डी. भंडारी ..	आर. पी. एस.	रा०	२३-२-६१
१२.	,, जगदीश चतुर्वेदी ..	पी. आर. ओ.	रा०	२८-३-६१
१३.	,, पी. जी. आचार्य ..	एक्स. इन.	रा०	२६-३-६१
१४.	,, बी. एस. राजवंशी ..	ए. इन.	रा०	२६-३-६१
१५.	,, एम. सी. जैन ..	एक्स. इन.	रा०	
१६.	,, बी. एन. गोपलानी ..	ओवरसीयर	नहीं	२२-१२-६१
१७.	,, एम. एल. भट्ट ..	ओवरसीयर	नहीं	२-६-६२
१८.	,, मही राम ..	ए. एस. ओ.	रा०	
१९.	,, बालूराम ..	से. इन्सपैक्टर	नहीं	३०-६-६१

१	२	३	४	५
२०.	श्री सुल्तान सिंह ..	अमीन	नहीं	३०-६-६१
२१.	,, एन. के. दवे ..	आर. पी. एस.	रा०	२५-७-६१
		रेवेन्यू बोर्ड		
२२.	श्री शादी राम ..	नायब तहसीलदार	नहीं	२५-१०-५८
२३.	,, हुकमचन्द ..	चपरासी	नहीं	१०-२-६२
२४.	,, हंसराज	ना० तहसीलदार	नहीं	जुलाई ६१
२५.	,, श्यामबिहारी लाल ..	,,	,,	
२६.	,, फतह मोहम्मद ..	लिपिक	,,	२९-९-५९
२७.	,, भगवान प्रसाद ..	ना. तहसीलदार	,,	८-५-६२
२८.	,, परमेश्वर प्रसाद ..	,,	,,	१९-६-६२
२९.	,, जगत नारायण ..	,,	,,	२१-६-६२
३०.	,, मदन सिंह ..	तहसीलदार	राज०	२२-६-६२
३१.	,, विजयराज ..	ना. तहसीलदार	नहीं	२२-६-६२
		ट्रान्सपोर्ट विभाग		
३२.	श्री रामकिशोर ..	—	नहीं	२१-७-६१
३३.	,, विजय दयाल ..	—	,,	२३-६-६०
३४.	,, मुस्तक मोहम्मद ..	—	,,	२७-१-६२
३५.	,, भैरू राम ..	—	,,	२९-५-५९
३६.	,, नादिर शाह ..	—	,,	२४-८-६२
		पंचायत विभाग		
३७.	श्री मलचन्द ..	लिपिक	नहीं	२४-८-६१
		सेटलमेन्ट विभाग		
३८.	श्री गणेशीलाल ..	इन्सपैक्टर	नहीं	३-२-६१
३९.	,, राम निवास ..	लिपिक	,,	४-१०-६१
४०.	,, प्रकाश चन्द ..	हैड ड्राफ्टमैन	,,	[illegible]-१२-६१
४१.	,, करणसिंह ..	अमीन	,,	१-८-६२
४२.	,, भंवर सिंह ..	सरवेयर	,,	२-५-६२
४३.	,, इन्दरसिंह	इन्सपैक्टर	,,	२१-७-५९
४४.	,, गंगा सिंह ..	सरवेयर	,,	२१-७-५९

Page No 124

१	२	३	४	५
४५.	श्री बृजराज ..	सरवेयर	नहीं	२१-७-५९
४६.	श्री मिश्रीलाल	अमीन	नहीं	२१—८—६२
४७.	श्री रामकिशोर	सरवेयर	,,	२१—७—५९

चिकित्सा विभाग

४८.	श्री सुन्दर सिंह	कम्पाउन्डर	नहीं	१७—१२—६०
४९.	,, एस. वेदी	नर्स	,,	२२—५—६१
५०.	,, नरेश कमला	इन्सपेक्टर	,,	१४—६—६१
५१.	,, पुरुषोत्तम	कम्पाउन्डर	,,	२५—१—६०
५२.	,, प्रकाश लाल	इन्सपेक्टर	,,	२६—१२—६०
५३.	,, प्रभु	बार्ड बाय		
५४.	,, देवीलाल	,,	,,	७—७—६१
५५.	,, सोनो हरिजन	हरिजन		
५६.	,, हर विलास	इन्सपेक्टर	,,	१-१-५७
५७.	,, लाल चन्द	कम्पाउन्डर	,,	४-९-५९
५८.	,, रामजीवण	लिपिक	,,	२४-२-६१
५९.	,, नामनाथी	दाई	,,	१७-१२-६०
६०.	,, एस.एन. पारीक	इन्सपेक्टर	,,	३—७-६२
६१.	,, हेम चन्द्र	इन्सपेक्टर	,,	दिसम्बर ६१
६२.	,, निरन्जन लाल	,,	,,	२-४-६२
६३.	,, कृपाल सिंह	लिपिक	,,	३०-८-५७

समाज कल्याण विभाग

६४.	श्री प्रभातीलाल	लिपिक	नहीं	१४-४-६१

जागीर विभाग

६५.	श्री रब्नाज बक्स	लिपिक	नहीं	४-१२-६१
६६.	,, भंवर लाल	लिपिक	,,	१६-७-६०
६७.	,, करण सिंह	लिपिक	,,	१७-८-६०
६८.	,, सोहन लाल	लिपिक	,,	१२-८-६०

राजस्थान नहर बोर्ड

६९.	श्री बालचन्द	लिपिक	नहीं	३-१-६२

१	२	३	४	५
		कृषि विभाग		
७०.	श्री बन्सीधर ..	.. सुपरवाइजर	नहीं	१४-१२-६१
७१.	,, दामोदर लाल	.. लिपिक	,,	१४-३-६२
७२.	,, हरवंश सिंह	.. एक्सटेन्शन आफिसर	,,	२१-६-६२
७३.	,, प्रेमशंकर ..	.. लिपिक	,,	१०-८-६२
७४.	,, भगवान प्रसाद	.. ,,	,,	१७-८-६२
		लोकल फन्ड आॅडिट विभाग		
७५.	श्री राधेश्याम	.. लिपिक	नहीं	२५-७-६१
७६.	,, छगन लाल	.. ,,	,,	२५-११-६१
७७.	,, सुजान मल	.. ,,	,,	१४-७-६२
		सिंचाई विभाग		
७८.	श्री बी. बी. चौबीसा	.. फोरमेन	नहीं	३०-१०-५९
७९.	,, ईशवर ..	.. गाज़ रीडर	,,	९-८-६२
८०.	,, लालग ..	.. चपरासी	,,	२४-६-६२
८१.	,, मंगू गिरी	.. पटवारी	,,	११-१-६२
८२.	,, कन्हैयालाल	.. लिपिक	,,	६-१-६०
		इकोनामिक एवं स्टेटिक्स विभाग		
८३.	श्री पुरुषोत्तमलाल	.. प्रोग्रेस एसिस्टेन्ट	नहीं	२५-८-६२
		जेल विभाग		
८४.	श्री रेखसिंह	.. डिप्टी जेलर	नहीं	२३-५-६२
८५.	,, टोडरमल	.. चा. टे. वार्डर	,,	,,
८६.	,, वेणी प्रसाद	.. ,,	,,	,,
८७.	,, भूरा ..	.. वार्डर	,,	१-५-६२
८८.	,, भंवरसिंह	.. ,,	,,	३-८-६१
		पशुपालन विभाग		
८९.	श्री पूरण मल	.. लिपिक	नहीं	५-२-६२
९०.	,, सत्यनारायण	.. ,,	,,	३१-१२-६०

१	२		३	४	५
९१.	श्री नारायण सिंह	..	फील्डमेन	नहीं	२४-२-६२
९२.	,, शैतानसिंह ..	..	कम्पाउन्डर	नहीं	१४-२-६२
			प्रेस विभाग		
९३.	श्री मिरचुद्दीन	..	प्रिंटर	नहीं	६-१-६२
९४.	,, नारायण पुरी	..	बाइंडर	,,	१३-१-६२
९५.	,, मकबूल खां	..	प्रिंटर	,,	८-६-६२
९६.	,, रामरतन	..	कंपोजीटर	,,	२३-८-६२
			पुलिस विभाग		
९७.	श्री जयसिंह ..	..	सब इन्सपैक्टर	नहीं	१३-१-६२
९८.	,, मोहन लाल	..	कांस्टेबल	,,	१२-६-६१
९९.	,, सूरजभान	..	सब इन्सपैक्टर	,,	४-६-६२
१००.	,, रामप्रताप ..	..	सब इन्सपैक्टर	,,	२५-५-६२
१०१.	,, जगदीशनारायण	..	हैड कांस्टेबल	,,	२०-७-६२
१०२.	,, कानसिंह ..	..	एफ. कांस्टेबल	,,	१-६-६२
१०३.	,, नजर मोहम्मद	..	,,	,,	—
१०४.	,, रामचन्द्र ..	..	कांस्टेबल	,,	४-५-६२
१०५.	,, राधाकिशन	..	,,	,,	१७-७-६२
१०६.	,, मुस्तफा अहमद	..	,,	,,	७-६-६२
१०७.	,, भगवत सिंह	..	,,	,,	७-६-६२
१०८.	,, शिवकरण	..	,,	,,	२५-४-६२
१०९.	,, सीताराम ..	..	लिपिक	,,	१६-१-६१
११०.	,, हरिसिंह ..	..	एफ. कांस्टेबल	,,	१७-५-६१
१११.	,, मुरारीलाल	..	,,	,,	७-९-६०
११२.	,, अहमद खां	..	,,	,,	२१-१२-६१
११३.	,, शिव लाल	..	,,	,,	३०-१०-६१
११४.	,, रामस्वरूप	..	,,	,,	२३-३-६१
११५.	,, नसरू ..	..	,,	,,	३-११-६१
११६.	,, रघुवीर सिंह	..	,,	,,	१३-३-६२
११७.	,, किशनसिंह	..	,,	,,	२३-४-६२
११८.	,, हीरा सिंह	..	,,	,,	२२-४-६१
११९.	,, हरीदत्त ..	..	एल. कांस्टेबल	,,	३१-५-६२

Page No 127

१	२	३	४	५
१२०.	श्री वेदवीर सिंह ..	एल. कांस्टेबल	नहीं	२७-६-६२
१२१.	„ रामजीलाल ..	„	„	२३-७-६२
१२२.	„ झमनसिंह	हैड कांस्टेबल	„	१६-१२-६०
१२३.	„ छितरलाल ..	एफ. कांस्टेबल	„	२५-१०-६०
१२४.	„ बंसी मोहन लाल ..	हैड कांस्टेबल	„	१०-४-६२
१२५.	„ गोविन्द राम ..	कांस्टेबल	„	५-४-६२
१२६.	„ मोहर सिंह ..	सब इन्सपेक्टर	„	२२-२-६१
१२७.	„ मोती कृष्ण ..	सब इन्सपेक्टर	„	२१-५-६२
१२८.	„ सूरता राम ..	हैड कांस्टेबल	„	२१-५-६२
१२९.	„ श्रीकृष्ण	„	„	२४-८-६१
१३०.	„ विष्णुनाथ ..	„	„	१९-५-६१
१३१.	„ मोहन सिंह ..	एफ. कांस्टेबल	„	२१-५-६२
१३२.	„ मुकद्दर खां ..	हैड कांस्टेबल	„	२-२-६१
१३३.	„ जुगता राम ..	कांस्टेबल	„	३०-५-६२
१३४.	„ तेज सिंह	„	„	२८-६-६२
१३५.	„ गोकलाराम ..	एफ. कांस्टेबल	„	४-६-६२
१३६.	„ मांगीलाल ..	„	„	२१-३-६१
१३७.	„ राणाराम	„	„	१-७-६१
१३८.	„ गुमानसिंह ..	„	„	११-७-६०
१३९.	„ जगतसिंह	„	„	२०-३-६२
१४०.	„ बालू सिंह	„	„	२३-७-६२
१४१.	„ तेजसिंह	„	„	१८-२-६१
१४२.	„ निम्बा राम ..	„	„	१८-२-६१
१४३.	„ खेमसिंह	„	„	३०-३-६०
१४४.	„ खियांराम ..	सब इन्सपेक्टर	„	६-१-६१
१४५.	„ रामलाल ..	हैड कांस्टेबल	„	१४-२-६२
१४६.	„ शान्तीदान.. ..	कांस्टेबल	„	२४-१०-६१
१४७.	„ बसीर खां ..	एफ. कांस्टेबल	„	३०-११-५९
१४८.	„ अनूपसिंह ..	„	„	२-१२-५१
१४९.	„ प्रभुदान	„	„	१६-३-६२
१५०.	„ नेकराम सिंह ..	सब इन्सपेक्टर	„	२६-५-६२
१५१.	„ शादीलाल ..	„	„	३०-६-६२
१५२.	„ मणीराम	एफ. कांस्टेबल	„	११-५-६२
१५३.	„ पन्ने सिंह	„	„	२६-५-६२

१	२	३	४	५
१५४.	श्री केसरी सिंह ..	एफ. कांस्टेबल	नहीं	२६-५-६२
१५५.	,, उम्मेदखां	,,	,,	१४-१०-६१
१५६.	,, जगन्नाथ ..	,,	,,	२-११-६१
१५७.	,, करणीसिंह ..	एफ. कांस्टेबल	,,	२६-६-६२
१५८.	,, गंगाराम ..	हैड कांस्टेबल	,,	२०-९-६१.
१५९.	,, अनूपदान ..	,,	,,	३१-१-६१
१६०.	,, मोहनसिंह	बी. जे.	,,	१५-४-५८
१६१.	,, उदयलाल	कांस्टेबल	,,	११-८-५५
१६२.	,, फैज मोहम्मद	,,	,,	२९-६-६२
१६३.	,, मोहन सिंह	,,	,,	१३-५-६२
१६४.	,, कल्याण सिंह	,,	,,	२९-२-६१
१६५.	,, सावर नाथ	,,	,,	१०-७-६२
१६६.	,, दौलतसिंह	,,	,,	२९-१-६२
१६७.	,, सोहन सिंह	,,	,,	१२-२-६२
१६८.	,, सुल्तान सिंह	,,	,,	१९-५-६२
१६९.	,, पीठ सिंह	,,	,,	२०-७-६२
१७०.	,, राम मूर्ति ..	सब इन्सपेक्टर	,,	२-४-६०
१७१.	,, छोगा लाल	एफ. कांस्टेबल	,,	२-४-६०
१७२.	,, मनोहर सिंह	,,	,,	,,
१७३.	,, गुला मोहम्मद	,,	,,	,,
१७४.	,, किशन सिंह	,,	,,	,,
१७५.	,, हमीद हुसेन	,,	,,	२-७-६२
१७६.	,, अल्ला दीन	,,	,,	,,
१७७.	,, हरीसिंह ..	,,	,,	२५-५-६२
१७८.	,, दीनदयाल	हैड कांस्टेबल	,,	२६-७-६२
१७९.	,, रघनाथ सिंह	,,	,,	७-६-६२
१८०.	,, शंकर लाल	कांस्टेबल	,,	२२-६-६२
१८१.	,, रहीमखां ..	,,	,,	११-४-६२
१८२.	,, उदैराम ..	,,	,,	२०-११-६१
१८३.	,, राड सिंह ..	,,	,,	३०-३-६२
१८४.	,, वज्जा ..	,,	,,	३-५-६२
१८५.	,, मोहम्मद सय्यद	एफ. कांस्टेबल	,,	१३-७-६२
१८६.	,, गोकल प्रसाद	एल. एन. के.	,,	२९-३-६२
१८७.	,, जानकीलाल	कांस्टेबल	,,	२१-७-६१

१	२	३	४	५
१८८.	,, कजोड .	.. कांस्टेबल	नहीं	११-६-६१
१८९.	,, रंगलाल ..	.. ,,	,,	२८-६-६०
१९०.	,, हीरा ..	.. ,,	,,	७-४-५९
१९१.	,, रामकरण ..	.. ,,	,,	७-४-५९
१९२.	,, कल्याण प्रसाद	.. हैड कांस्टेबल	,,	२७-७-५९
१९३.	,, मदनलाल	.. ,,	,,	२४-७-६२
१९४.	,, जैपाल सिंह	.. ,,	,,	४-६-६२
१९५.	,, पन्ना लाल	.. ,,	,,	२१-३-६२
१९६.	,, करम सिंह..	.. सब इन्सपेक्टर	,,	२४-४-६२
१९७.	,, धनसिंह ..	.. कांस्टेबल	,,	२९-६-६१
१९८.	,, गंगाराम ..	.. ,,	,,	१९-३-६२
१९९.	,, जोवाराम ..	.. ,,	,,	७-६-६२
२००.	,, अनवर खां	.. ,,	,,	७-६-६२
२०१.	,, अब्दुल अजीज	.. ,,	,,	१७-६-६२
२०२.	,, लक्ष्मा ..	.. ,,	,,	२३-६-६२
२०३.	,, भूरा ..	.. ,,	,,	२४-६-६२
२०४.	,, हलखखां ..	.. ,,	,,	२९-४-५४
२०५.	,, गंगाराम ..	.. ,,	,,	१-९-६१
२०६.	,, बजरंग लाल	.. ,,	,,	१२-१-६१
२०७.	,, गोपाल सिंह	.. ,,	,,	११-६-६२
२०८.	,, अब्दुल गफुर	.. ,,	,,	३-६-६२
२०९.	,, मोहनलाल	.. ,,	,,	३०-६-६२
२१०.	,, रामकिशन	.. एफ. कांस्टेबल	,,	११-६-६२
२११.	,, गोपाल ..	.. ,,	,,	१५-७-६२
२१२	,, रामजीलाल	.. पी. सी.	,,	१-६-६२
२१३.	,, हिक्मत सिंह	.. पी. सी.	,,	२३-७-५९
२१४.	,, रूप सिंह ..	.. ,,	,,	२०-२-६१
२१५.	,, गोपाल सिंह	.. कांस्टेबल	,,	१२-७-६२
२१६.	,, ऊधा ..	.. ,,	,,	१२-५-६२
२१७.	,, जीवा ..	.. ,,	,,	२०-६-६२
२१८.	,, दलजी ..	.. ,,	,,	,,
२१९.	,, लालू ..	.. ,,	,,	,,
२२०.	,, कचरा ..	.. ,,	,,	,,
२२१.	,, ककोवा ..	.. सब इन्सपैक्टर	,,	३०-६-६२

१	२	३	४	५
२२२.	श्री नानिया	सब इन्सपैक्टर	नहीं	३०–६–६२
२२३.	„ मोती सिंह	कांस्टेबल	„	२०-१०-६१
२२४.	„ इन्दर सिंह ..	हैड कांस्टेबल	„	१६-१२-६१
२२५.	„ एफ. के. दधवानी ..	सी. आई.	राजपत्रित	१३-९-६१
२२६.	„ सुमेर सिंह ..	सब इन्सपैक्टर	नहीं	२७-१-६२
२२७.	„ जगवीर सिंह ..	„	„	२३-१-६२
२२८.	„ जमना लाल ..	हैड कांस्टेबल	„	८-६-६१
२२९.	„ भैरों सिंह	एफ. कान्सटेबल	नहीं	१७-१-६२
२३०.	„ पावन दास ..	„	„	३१-३-६१
२३१.	„ प्रहलाद सिंह ..	„	„	२७-६-६२
२३२.	„ सोहन सिंह ..	„	„	१४-९-५७
२३३.	„ गिरधारीसिंह ..	„	„	१९-३-६२
२३४.	„ हुसैन खां	„	„	„

खनिज विभाग

२३५.	श्री दुली चन्द	—	नहीं	३१-८-६१
२३६.	„ सूरज मल ..	—	„	८-८-६१
२३७.	„ अब्दुल हकीम ..	—	„	२३-६-६२

कलक्टरी पाली

२३८.	श्री सांवत सिंह ..	लिपिक	नहीं	१४-१-६१

कलक्टरी कोटा

२३९.	श्री खेमराज	पटवारी	नहीं	१०-८-६१
२४०.	„ हजारी लाल ..	„	„	४-१-६२
२४१.	„ भाग चन्द ..	„	„	५-२-६२
२४२.	„ कादर अली ..	„	„	२६-१-६२
२४३.	„ गुलाब चन्द ..	„	„	२२-१२-६१
२४४.	„ पूर्ण प्रकाश	„	„	१९-४-६२
२४५.	„ नंद लाल	„	„	१८-४-६२
२४६.	„ अब्दुल करीम ..	„	„	५-५-६२
२४७.	„ बिदल लाल ..	„	„	२२-८-६२
२४८.	„ शम्भू सिंह ..	„	„	१७-५-६२

१	२	३	४	५
२४९.	श्री मोहन लाल ..	लिपिक	नहीं	२२-६-६२
२५०.	,, भवानी शंकर ..	,,	,,	२४-४-६२
	ककक्टरी टोंक			
२५१.	श्री नारायण दास ..	चपरासी	नहीं	१६-५-६१
२५२.	,, गणपत सिंह ..	चपरासी	नहीं	१६-५-६१
२५३.	,, अबदुर रहमान ..	पटवारी	,,	६-६-६१
२५४.	,, लादू लाल ..	पटवारी	,,	२८-४-६२
२५५.	,, शफीकुर रहमान ..	,,	,,	१६-८-६२
२५६.	,, राधाकिशन ..	,,	,,	२८-८-६२
२५७.	,, रामस्वरूप ..	,,	,,	२९-८-६२
	कलक्टरी सवाई माधोपुर			
२५८.	श्री राम सहाय ..	पटवारी	नहीं	९-३-६०
२५९.	,, लक्ष्मीचन्द.. ..	,,	,,	२४-४-६२
२६०.	,, रामगोपाल ..	,,	,,	११-७-६०
२६१.	,, कुंजबिहारी लाल ..	,,	,,	१९-७-६१
२६२.	,, रामकुमार.. ..	,,	,,	जनवरी १९६१
२६३.	,, नाथूलाल	इन्सपैक्टर	,,	अप्रेल १९६१
	कलक्टरी गंगानगर			
२६४.	श्री चेतन दास.. ..	लिपिक	नहीं	६-११-५८
२६५.	,, शादी लाल ..	ना. तहसीलदार	,,	१८-११-५८
२६६.	,, चक्कर दत्त ..	लिपिक	,,	१८-११-६०
२६७.	,, छगन लाल ..	,,	,,	१९-७-६१
२६८.	,, श्री नारायण ..	,,	,,	२८-११-६१
२६९.	,, वसीर अहमद ..	,,	,,	१०-३-६२
२७०.	,, अमीचन्द ..	,,	,,	५-५-६२
२७१.	,, सूरज भान ..	,,	,,	३१-८-६२
	कलक्टरी बाड़मेर			
२७२.	श्री शंकर लाल ..	लिपिक	नहीं	२१-६-६२

१	२	३	४	५
२७३.	श्री भंवर सिंह ..	पटवारी	नहीं	२--३-६०
२७४.	,, जगदीश	,,	,,	१-७-६१
२७५.	,, शेर सिंह	,,	,,	१-७-६१
२७६.	,, शैतान सिंह ..	,,	,,	१८-७-६१
२७७.	,, हीरा भारती ..	,,	,,	२६-४-६२
२७८.	,, जालिम सिंह ..	,,	,,	२२-५-६२
२७९.	,, मंगल सिंह ..	,,	,,	१५-६-६२
२८०.	,, पूनम चन्द ..	,,	,,	१८-६-६२
२८१.	,, श्याम सुन्दर ..	,,	,,	२-१-६२

कलक्टरी भरतपुर

२८२.	श्री मंगल खुर्द ..	चपरासी	नहीं	१५-७-६१
२८३.	,, रोशन लाल ..	पटवारी	,,	४-२-५८
२८४.	,, सोमेश्वर दयाल ..	इन्सपेक्टर	,,	१७-११-६०
२८५.	,, रामचरण सिंह ..	कानूगो	,,	१-१२-६१
२८६.	,, सत्यनारायण ..	पटवारी	,,	६-३-६२
२८७.	,, बाबूलाल ..	,,	,,	९-७-६२

कलक्टरी बीकानेर

२८८.	श्री गोरधन	लिपिक	नहीं	१०-५-६१
२८९.	,, गिरराज प्रसाद ..	—	,,	२२-६-६१
२९०.	,, जगन्नाथ	लिपिक	,,	१६-८-६१

कलक्टरी डूंगरपुर

२९१.	श्री कल्याणसिंह ..	पटवारी	नहीं	२२-९-६१

कलक्टरी बूंदी

२९२.	श्री स्याम बिहारी लाल ..	ना. तहसीलदार	नहीं	२९-९-५९
२९३.	,, फतेह मोहम्मद ..	लिपिक	,,	,,
२९४.	,, मुकट बिहारी ..	,,	,,	१५-२-६१
२९५.	,, ईश्वर चन्द ..	एकाउन्टेन्ट	,,	७-९-६१
२९६.	,, प्रतिम सिंह ..	,,	,,	११-१२-६१

१	२	३	४	५
		कलक्टरी चित्तौडगढ़		
२९७.	श्री सोहन लाल ..	पटवारी	नहीं	२१-५-६२
२९८.	,, लालचन्द	इन्सपैक्टर	,,	५-८-६२
२९९.	,, गणपत सिंह ..	——	,,	७-८-६२
३००.	,, राधेश्याम ..	लिपिक	,,	९-६-६२
		कलक्टरी जयपुर		
३०१.	श्री लक्ष्मी नारायण ..	लिपिक	नहीं	२८-२-६०
३०२.	,, अब्दुल रहीम ..	पटवारी	,,	५-१०-६१
३०३.	,, ताराचन्द ..	,,	,,	२७-६-६१
३०४.	,, गोविन्द नाराडा ..	इन्सपैक्टर	,,	२९-५-६१
३०५.	,, अमर नाराडा ..	पटवारी	,,	१६-८-६२
३०६.	,, कृष्ण बिहारी ..	इन्सपेक्टर	,,	७-८-६२
३०७.	,, राधा कृष्ण ..	पटवारी	,,	२३-२-६२
३०८.	,, बनवारी लाल ..	,,	,,	११-८-६२
३०९.	,, मोहन लाल ..	,,	,,	१२-४-६२
३१०.	,, विजय नारायण ..	कानूगो	,,	१४-३-६२
३११.	,, किशोरी लाल ..	पटवारी	,,	१६-१-६२
३१२.	,, राधा किशन ..	,,	,,	१९-४-६२
३१३.	,, राधेश्याम ..	,,	,,	२३-३-६२
३१४.	,, गजानन्द ..	,,	,,	३०-१-६१
३१५.	,, मोहन सिंह ..	,,	,,	१६-१-६२
३१६.	,, नारायण लाल ..	,,	,,	२१-१२-६२
३१७.	,, चाइथ मल ..	,,	,,	२-१-६२
३१८.	,, बदरी नारायण ..	,,	,,	३०-१२-६१
३१९.	,, रामावतार ..	,,	,,	८-१-६२
३२०.	,, लादूराम	,,	,,	१५-१२-६१
३२१.	,, राधेश्याम ..	,,	,,	१-१२-६१
३२२.	,, जगमोहन लाल ..	इन्सपेक्टर	,,	१-१२-६१
३२३.	,, मदन लाल ..	पटवारी	,,	२-११-६१
३२४.	,, श्री नारायण ..	,,	,,	९-१०-६१
३२५.	,, शिव दयाल ..	,,	,,	१-११-६१
३२६.	,, सत्यनारायण ..	,,	,,	२५-९-६१

१	२	३	४	५
३२७.	श्री प्रेमसुख ..	.. इन्सपेक्टर	नहीं	२२-८-६१
३२८.	,, खेराती राम	.. पटवारी	,,	९-६-६१
३२९.	,, गोकलचन्द	.. ,,	,,	२०-४-६१
३३०.	,, केसर सिह	.. पटैल	,,	६-४-६१
३३१.	,, ग्यारसी लाल	.. पटवारी	,,	६-४-६१
३३२.	,, चौथमल ..	.. ,,	,,	१२-६-६१
३३३.	,, मदनलाल	.. ,,	,,	,,
३३४.	,, रामसहाय	.. ,,	,,	२३-१-६१

कलक्टरी जोधपुर

३३५.	श्री नथमल ..	.. लिपिक	नहीं	१९-११-६०
३३६.	,, मोहनसिह	.. पटवारी	,,	७-५-६०
३३७.	,, सोहनलाल	.. ,,	,,	२०-८-५९
३३८.	,, घीसू लाल	.. ,,	,,	११-७-६०
३३९.	,, गणपत सिंह	.. ,,	,,	१-१०-५९
३४०.	,, रेवतीदान	.. इन्सपेक्टर	,,	४-७-६१
३४१.	,, अमर दत्त	.. पटवारी	,,	५-८-६१
३४२.	,, रामचन्दर	.. पटवारी	,,	३१-६-६१

कलक्टरी चुरू

३४३.	श्री सुलतान सिंह	.. पटवारी	नहीं	१४-११-५७
३४४.	,, चेतनदास	.. लिपिक	,,	१६-६-५८
३४५.	,, तोलाराम ..	.. पटवारी	,,	२७-१-५९
३४६.	,, अब्दुलगफार	.. ,,	,,	१-५-५९
३४७.	,, मोहन सिंह	.. ,,	,,	८-६-६१
३४८.	,, रयाज बक्स	.. लिपिक	,,	४-१२-६१
३४९.	,, मायाराम ..	.. पटवारी	,,	१३-५-६०
३५०.	,, इब्राहीमखां ..	.. ,,	,,	२२-१२-६१
३५१.	,, रवीदान ..	.. ,, ..	,,	२-२-६२
३५२.	,, मोहन लाल	.. ,,	,,	८-१-६२
३५३.	,, हरीराम ..	.. ,, ..	,,	२३-६-६२
३५४.	,, नौरंगराम	.. ,, ..	,,	१९-७-६२
३५५.	,, रामचन्द्र ..	.. ,, ..	,,	१९-७-६२

१	२	३	४	५
		कलक्टरी सीकर		
३५६.	श्री माणकचद्र ..	लिपिक	नहीं	१-७-६०
३५७.	,, बृज मोहन सिंह ..	पटवारी	,,	१३-११-६१
३५८.	,, केशर सिंह ..	,,	,,	६-४-६२
३५९.	,, नारायण सिंह ..	,,	,,	जून ६२
३६०.	,, रामलाल	,,	,,	२८-६-६२
		कलक्टरी जालौर		
३६१.	श्री उम्मेदसिंह ..	पटवारी	नहीं	५-१२-५८
३६२.	,, बाबूलाल	,,	,,	८-१०-५९
३६३.	,, मोती लाल ..	,,	,,	१७-६-६२
३६४.	,, जवाहर मल ..	,,	,,	७-३-६०
३६५.	,, गुलाब सिंह ..	,,	,,	२३-११-६१
३६६.	,, पृथ्वीसिंह ...	,,	,,	२४-७-६२
३६७.	,, बालसिंह	,,	,,	६-७-६२
३६८.	,, किशोर चन्द ..	,,	,,	२७-७-६२
		कलक्टरी अजमेर		
३६९.	श्री नारायणसिंह ..	लिपिक	नहीं	१-९-६०
३७०.	,, अब्दुलगफार ..	,,	,,	१-१२-६१
३७१.	,, मुकुन सिंह ..	चपरासी	,,	१०-८-५९
३७२.	,, आनन्द प्रकाश ..	पटवारी	,,	२०-६-६२
३७३.	,, नाथूराम	,,	,,	१८-१-६२
३७४.	,, राम किसन	,,	,,	५-१०-५९
३७५.	,, लक्ष्मण सिंह ..	,,	,,	१२-९-६१
३७६.	,, गुलाब चन्द ..	,,	,,	२-११-६१
३७७.	,, गोविन्द सिंह ..	इन्सपेक्टर	,,	२२-६-६२
३७८.	,, गोरी शंकर ..	पटवारी	,,	२५-८-६२
३७९.	,, शंकर सिंह ..	,,	,,	२-६-६१
३८०.	,, श्याम स्वरूप ..	,,	,,	२-८-६१
३८१.	,, राम स्वरूप ..	,,	,,	१६-९-६०
३८२.	,, बिजैलाल	,,	,,	७-२-५९

१	२	३	४	५
		कलक्टरी भीलवाड़ा		
३८३.	श्री भगवती लाल ..	लिपिक	नहीं	१०-७-६२
३८४.	,, कालू लाल ..	,,	,,	२५-४-६२
३८५.	,, गोरधन सिंह ..	शुतरसवार	,,	१५-३-६२
३८६.	,, मदनसिंह	पटवारी	,,	१-८-६२
३८७.	,, उदयसिंह	,,	,,	१-८-६२

परिशिष्ट—४

(समयाभाव के कारण प्रश्न–समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर).

राजस्थान में अनुज्ञापत्रित उद्योग

६७९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) Will the Industries Minister please state :

(1) How many industries have been licensed in Rajasthan since 1957 under the Industries (Development and Regulation) Act ?

(2) How many of them have started production and how many of them are under construction ? Please place a list of such industries on the table of the House.

(3) What steps the Government is taking to see that the other industries too start their production early ?

उत्तर

1. Sixty five Industries have been licensed in Rajasthan since 1957 under the Industries (Development and Regulation) Act.

2. Eleven have started functioning while twelve are under construction. Lists have been placed on the Table of the House.

3. The State Government on their part are extending all reasonable help to the licensee for implemeting the license. As soon as the Government are aware of any difficulty experienced by the party, in implementing the project, all possible efforts are made to solve them. The two main difficulties are inability to raise sufficient capital and delay in obtaining import licence for machinery.

List of Licenses issued by the Government of India; (Development and Regulation) Act, 1951 for Rajasthan.

S. No. 1	Name and address of the Industrial undertaking/licensee. 2	Location. 3	4
Ajmer.			
1.	Toshniwal Industries Ltd., Jamshedji Tata Road, Bombay.	Ajmer.	Under construction.
2.	Bijai Cotton Mills, Bijainagar ..	Bijainagar.	Under construction.
Banswara.			
3.	Shri Ram Gopal Saharia, 35, Chittaranjan Avenue, Calcutta-12 (M/s. Rajasthan Chip Board & Saw Mills).	Banswara.	Under construction.
Jhalawar.			
4.	M/s. Rajasthan Taxtile Mills, Bhawanimandi.	Bhawanimandi	-do-
Jodhpur.			
5.	M/s. Nahatta Bros. Nahta Bhavan, Chopassani Road, Jodhpur (Jodhpur Woollen Mills) (P) (Ltd.).	Jodhpur	-do-
Kota.			
6.	M/s. Foreign Import and Export Association, 5th Floor, Gool Mansion, Hornby Street, Bombay.	Kota	-do-
7.	M/s. Rajasthan Cable Industries; 23-25 Moti Shaw Chawl, Sheikha Memon Street, Bombay-2.	Kota.	-do-
8.	M/s. Rajasthan Vinyl and Chemical Industries, Bare Hindu Rao, Delhi.	Kota.	-do-
9.	Shri Chandansinha Bharaktiya, 25, Yashwant Niwas Road, Indore (M.P.). (M/s. Oriental Power Cables).	Kota.	-do-

1	2	3	4
10.	M/s. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Bara Hindu Rao, Delhi-6.	Kota.	Under construction.
11.	Shri Kamta Prasad, Ashok Nagar, Ashok Marg, Jaipur, (M/s. Kota Staw Boards Ltd.)	Kota.	-do-
Udaipur.			
12.	The Metal Corporation of India Ltd. 135, Canning Street, Calcutta.	Udaipur	-do-
Ajmer.			
1.	Shri B. Kanoria, India Exchange Calcutta-1. (M/s. Aditya Mills).	Kishangarh.	Starting Functioning.
Bhilwara.			
2.	M/s. Bhopal Mining Works Bhilwara.	Bhilwara.	-do-
3.	M/s. Rajasthan Spinning and Weaving Mills, 23-24 Radha bazar Street, Calcutta-1.	Bhilwara.	-do-
Jaipur.			
4.	M/s. Sanghi oxygen Co. 3/13, B-Asaf Ali Road, New Delhi.	Jaipur	-do-
5.	M/s. A. Mukherjee & Co. Babu-ji-ki-Kothi, Nayaghat Road, Jaipur.	Jaipur.	-do-
Jodhpur.			
6.	M/s. Rajendra Prasad Jawaharlal Engineering Co., and Iron Re-rolling Mills, Jodhur.	Jodhpur.	-do-
Kota.			
7.	M/s. J.K. Synthetics, Kamla Tower, Kanpur (U.P.)	Kota.	-do-
Udaipur.			
8.	M/s. Udaipur Distillery Co., (P.) Ltd., Udaipur.	Udaipur.	-do-

1	2	3	4
9.	M/s. Swadeshi Cotton Mills Ltd., Swadeshi House Kanpur (Udaipur Cotton Mills).	Udaipur.	Starting Functioning
10.	Shri P.P. Singhal, Lake House, Udaipur (M/s. Pesticides India).	Udaipur.	-do-
Bharatpur.			
11.	M/s. Gurunank Steel Rolling Mills, Bharatpur.	Bharatpur.	-do-

Page No 141

राजस्थान के इतिहास का शिक्षण

६८०. **श्री दुगालाल बाढदार,** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय ने राजस्थान के इतिहास के शिक्षण का विषय सन् १९५४ में चालू किया ?

(२) क्या सन् १९५४ से अब तक इस विषय के विद्यापन के लिये अध्यापन का प्रबन्ध किया गया है ?

(३) ा सन् १९५४ से अब तक इस विषय में परीक्षा देने के लिये विद्यार्थियों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं और यदि हां, तो कितने और क्या इस प्रकार की परीक्षा का प्रबन्ध किया गया ?

उत्तर

(१) राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन् १९५४ से राजस्थान का इतिहास एक वैकल्पिक-पत्र के रूप में पाठ्यक्रम में सन्निविष्ट किया है।

(२) व (३) विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एम० ए० का अध्ययन १९५७ से प्रारम्भ हुआ और तब से किसी विद्यार्थी ने उपर्युक्त विकल्प को स्वीकार नहीं किया। अध्यापन का प्रबन्ध प्रस्तुत रहा है। पी. एच. डी. के स्तर पर इस विषय में पर्याप्त कार्य भी सम्पन्न हुआ है।

पाली जिले में अभावग्रस्त घोषित गांवों से भू-राजस्व की वसूली

६८१. **श्री तेजाराम गहलात,** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि पाली जिले अभावग्रस्त घोषित गांवों से लैण्ड रेवेन्यू की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि काश्तकारों से रबी का लगान जो देय भी नहीं हुआ है वह भी वसूल किया जा रहा है व उनकी वसूली के लिये रिट-ऑफ-डिमाण्ड भी तहसीलदारों द्वारा जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो तहसीलवार बताया जावे कि कितने व्यक्तियों को रिट-ऑफ-डिमाण्ड इश्यू किये जा चुके हैं ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. जी नहीं।

वीरगति प्राप्त सैनिकों को सहायता

६८२. **श्री विजय सिंह झाला',** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान निवासी जो सैनिक चीन भारत संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए उनके पीछे उनके कुटुम्ब को सरकार ने क्या सहायता देने का प्रबन्ध किया है ?

(ख) अब तक कितनों को सहायता दी गई है, तथा किस आधार पर ?

उत्तर

(१) चीन के साथ संघर्ष के फलस्वरूप पूर्णरूपेण विकलांग सैनिकों अथवा वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के आश्रितों को सहायता के लिए सरकार ५००) रु० नकद और आफिसरों को १,५००) रु० और अन्य

श्रेणी वालों को १,०००) रु० के बचत बॉण्ड सर्टिफिकेट के रूप में सहायता देती है। ऐसे व्यक्तियों को भूमि देने की भी व्यवस्था है।

(२) वीरगति प्राप्त होने वाले सब सैनिकों को उपरोक्त आधार पर सहायता दी जा चुकी है। मेजर शैतान सिंह के आश्रितों के अलावा जिन्हें परमवीर चक्र मिलने के कारण १०,०००) रु० नकद एवं ५० बीघा जमीन दी गई है, १० सैनिकों के आश्रितों को पूर्ववत आधार पर सहायता दी जा चुकी है।

प्रेसीसन इन्स्ट्रूमेन्ट्स का कारखाना

६८३. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सोवियत रूस की सहायता से राजस्थान में प्रेसीसन इन्स्ट्रूमेन्ट्स बनाने का कारखाना खोले जाने की योजना थी ?

(२) यदि हां, तो वह कारखाना कब और किस स्थान पर खोला जायेगा ?

उत्तर

१. जी हां।

२. यह कारखाना कोटा में खोला जायगा। चूंकि यह कारखाना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए जाने की योजना है अतः राज्य सरकार उसके चालू होने का निश्चित समय नहीं बता सकती। उम्मीद ऐसी है कि कारखाना १९६६ तक चालू हो जायगा।

बाडलियास में हायर सेकिन्डरी स्कूल

६८४. **श्री गणपति लाल वर्मा** (मान्डलगढ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में ग्राम बाडलियास, जिला भीलवाडा में हायर सैकिन्डरी स्कूल खोलने के आदेश सन् १९६०-६१ में तथा सन् १९६१-६२ में दे दिये थे ? क्या ये स्कूल चालू हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या उक्त आदेश स्थगित कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

दिनांक ३०-८-६० को ग्राम बाडलियास जिला भीलवाडा के माध्यमिक विद्यालय को सत्र ६१-६२ के प्रारम्भ से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने के आदेश दिये गये थे बशर्ते कि वहां पर छात्र संख्या काफी उपलब्ध हो और वहां की जनता भवन निर्माण करवाने को तैयार हो तथा २० मील के क्षेत्र में कोई ऐसा दूसरा विद्यालय न हो। सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण न होने के कारण यहां पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न [illegible] जा सक

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २८ मार्च, १९६३)

स्कम्म सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५०७९	प्रथम	दिनांक २८ मार्च, गुरुवार, १९६३	गुरुवार, दिनांक २८ मार्च, १९६३
५०८१	१५	तसदीक	तस्दीक
५०८४	१६	जाने	जानी
५०८८	२०	(श्री वालष्कृण कौल)	(श्री बालकृष्ण कोल)
,,	३	गुडस	गुड्स
,,	अन्तिम से २	एक्चव ा	एक्चुअल
५०९३	शीर्षक	–२७ मार्च,	–२८ मार्च,
५०९४	५	लडढा)	लड्ढा)
५०९६	११	अलांटमेन्ट	अलॉटमैन्ट
५१०१	अन्तिम से २	श्री (।) पी.	(।) श्री पी.
५१०२	१३	श्री निरंजनसिह	श्री निरंजनसिंह
५११३	३	नियमानसार	नियमानुसार
५११८	१६	भदेणा	मदेरणा
५१२३	१७	Bject	Subject
५१२४	अन्तिम से ८	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
५१२५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
,,	६	मने	मैंने
५१२६	१५	ह	है।
,,	अन्तिम से ५	लडढा	लड्ढा
५१२८	१८	श्री मुकटविहारीला ज	श्री मुकुटविहारीलाल
५१३१	अन्तिम से ६	श्री योगन्द्रनथ	श्री यो ेन्द्रनाथ
५१३२	२	प्रनि	प्रति
५१३४	६	्टेटमेंन्ट	स्टेटमेन्ट
५१३६	अन्तिम से ३	श्री रामप्रसांद	श्री रामप्रसाद
५१३८	,, ८	कहा	कहां
५१४०	१५	हुए)	हुए:—
५१४३	१४	राठोड	राठौड़
५१४४	५	Engoneering	Engineering

१	२	३	४
५१४७	शीर्ष	('श्री सतीशन्चद्र)	(श्री सतीशचन्द्र)
५१५०	१०	डिप्डी	डिप्टी
५१५१	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
५१५२	२२	ग्राचर्य	ग्राचार्य
,,	अन्तिम से ६	ग्रावार्य	,,
५१५४	१७	leagl y	legality
५१५५	शीर्ष	(श्री सतीचन्द अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
५१५७	१८	न्त्री	मंत्री
,,	अन्तिम	दो साहव	दा साहब
५१६०	अन्तिम से ४	रे.फेट्रियट	सेक्रेटेरियेट
५१६४	१	श्र. परसरम	श्री परसराम
,,	५	कट हा	कट हो
,,	२०	श्री परसराम मदरणा	श्री परसराम मदेरणा
५१७५	शीर्षक	दसामानय	व सामान्य
५१७६	शीर्ष	वढदार)	वाड़दार)
५१८१	अन्तिम से ५	hapeninig	happening
५१८७	१०	प्र:विजन	प्रोविज़न
५१८८	६	,,	,,
५१६१	अन्तिम से ६	मुवित	मुक्ति
५१६७	३	श्री ज्वालाप्रशाद	श्री ज्वालाप्रसाद
,,	अन्तिम से ८	संम्बन्ध	सम्बन्ध
५१६८	१२	करन चाहिय	करना चाहिये
,,	अन्तिम से ७	प्रयोक	प्रयोग
५१६६	अन्तिम से ८	व्राहमण	ब्राह्मण
५२००	,, ६	,,	,,
५२०१	२०	गेहलोत	गहलोत
५२०२	अन्तिम से ८	विचार	विचार हैं
५२१०	११	उसो	उसको
५२११	१७	इतिहान	इम्तिहान
५२१२	अन्तिम से १५	,,	,,
५२१४	,, ६	इमजेन्सी	एमर्जेन्सी
५२१५	१८	,,	,,
,,	२१	श्री मुकट बिहारी	श्री मुकुटबिहारी

१	२	३	४
५२२१	१०	श्री मथुरदास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
५२२७	१ अन्तिम से ७	शामान्य	सामान्य
,,	१	डवलपमेंट	डेवलपमेन्ट
५२२८	शीर्षक	प्रशाशन	प्रशासन
५२३४	५	मापके	आपके
५२३५		राठोड	राठौड़
५२३७	१०	कम	क्रम
,,	१३	राठोड	राठौड़
,,	१६	टविनकल	टेक्निकल
५२४१	२०	सुफाव	सुझाव
,,	२३	म	में
५२४८	अन्तिम से ६	डवलप	डेवलप
५२५८	६	श्री मुकट बिहारीलाल	श्री मुकुट बिहारीलाल
५२६७	अन्तिम से ४	धर्य	धैर्य
५२७२	८	Point of order	On a Point of order, Sir
५२७३	२१	Fxed	Fixed
५२७७	अन्तिम से ४	अचार्य	आचार्य
,,	अन्तिम	विषलेण	विश्लेषण
५२७६	१३	ह	है
,,	२२	श्री मकुट विहारीलाल	श्री मुकुटबिहारी लाल
५२८१	अन्तिम से ७	श्री योगेन्द्र नथ	श्री योगेन्द्रनाथ
५२८२	१	श्री सतीश चन्द	श्री सतीशचन्द्र
२८३	अन्तिम से ७	श्री निरंजननाथ	श्री निरंजननाथ
५२८५	१	संबध	सम्बन्ध
५२८६	२३	मथुर	माथुर
५२८७	१६	मांग संख्या १—शेष मांगों पर मुख-बंध	शेष मांगों पर मुख-बंध मांग संख्या १—भू-राजस्व
५२९३	स्कम्भ	४२९३	५२९३
५२९५	५	पुनः स्थापन	(पुरः स्थापन)
५२९६	अन्तिम से ४	म. पू. ४ बजकर ४५ मिनिट पर दिनांक २६ मार्च, १९६३ के म० पू० तदनन्तर सदन की कार्यवाही ११ बजे	तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४ बज कर ४५ मिनिट पर दिनांक २६ मार्च, १९६३

१	२	३	४
			के म. पू. ११ बजे
५२९९	१	संक्षिप्त-विवरण	———
,,	अन्तिम से ५	श्री योगन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
५३००	६	सं या	संख्या
,,	अन्तिम से ३	मदेरना	मदेरणा
५३०४	शीर्षक	शेष मांगे—२८ मार्च, १९६३—शेष मांगे	संक्षिप्त—विवरण—२८ मार्च, १९६३—संक्षिप्त-विवरण
५३१४	३७ में	श्री मलचन्द	श्री मूलचन्द
५३२८ से ५३३३ तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर—२८ मार्च, १९६३—तारांकित प्रश्नोत्तर	परिशिष्ट
५३३२	शीर्षक	२८ मार्च,	—२८ मार्च, १९६३
,,	२	श्री दगालाल	श्री दुर्गालाल
,,	अन्तिम से ३	गहलात	गहलोत
,,	अन्तिम	पा	कृपा
५३३३	१३, १९	इन्ट्रमेन्टस	इन्स्ट्रूमेन्ट्स
,,	१५	चेडावत	चूंड़ावत
,,	१५	उद्योग	उद्योग मंत्री यह बताने